



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)
2019 का प्रतिवेदन सं. 4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)
2019 का प्रतिवेदन सं. 4

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय I: केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रशासन	1-17
1.1 संघ सरकार के संसाधन	1
1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	2
1.3 संगठनात्मक ढांचा	4
1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संयोजन	5
1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान	5
1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियों के साथ साथ सेनवेट क्रेडिट उपयोग	7
1.7 मुख्य वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	9
1.8 बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां	10
1.9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत छोड़ा गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	11
1.10 वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर राजस्व	13
1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में कर आधार	13
1.12 अपवंचन-रोधी उपायों से राजस्व उगाही	15
1.13 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण	16
1.14 संग्रहण की लागत	17
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि एवं लेखापरीक्षा की सीमा	19-28
2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश	19
2.2 लेखापरीक्षा समष्टि	20

विषय	पृष्ठ
2.3 लेखापरीक्षा नमूना	22
2.4. लेखापरीक्षा प्रयास एवं लेखापरीक्षा उत्पाद	24
2.5 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्यवाही	25
2.6 प्रतिवेदन विहंगावलोकन	28
अध्याय III : सीबीआईसी में अपील मामलों हेतु निगरानी तन्त्र	29-58
3.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अपील	29
3.2 सीबीआईसी में अपील की प्रक्रिया	29
3.3 अपील मामलों की निगरानी	30
3.4 लेखापरीक्षा कवरेज	30
3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	30
3.6 निष्कर्ष	58
अध्याय IV : सीबीआईसी में बकाया की वसूली हेतु निगरानी तंत्र	59-80
4.1 प्रस्तावना	59
4.2 बकायों का वर्गीकरण	59
4.3 बकायों की वसूली और निगरानी की जिम्मेदारी	60
4.4 लेखापरीक्षा कार्य पद्धति और नमूना चयन	61
4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	62
4.6 निष्कर्ष	80
अध्याय V : कर प्रशासन एवं आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (सेवा कर)	81-126
5.1 प्रस्तावना	81
5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम	81
5.3 कर आधार का विस्तार करना	83

विषय	पृष्ठ
5.4 सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा	87
5.5 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा	88
5.6 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा	92
5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा	97
5.8 अपवंचन रोधी सेल द्वारा जांच	110
5.9 प्रतिदाय दावों का निपटान	111
5.10 एससीएन तथा अधिनिर्णयन	116
5.11 अन्य चूकें	122
अध्याय VI : कर प्रशासन एवं आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारित (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	127-159
6.1 प्रस्तावना	127
6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम	127
6.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा	128
6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा	134
6.5 प्रतिदायों दावों का निपटान	145
6.6 कॉल बुक	146
6.7 एससीएन तथा अधिनिर्णयन	151
6.8 अन्य चूकें	155
परिशिष्ट I	161
परिशिष्ट II	165
परिशिष्ट III	168
परिशिष्ट IV	171
शब्दावली	173

प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो 2017-18 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे जो पूर्व वर्षों में देखने में आए परंतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 16 सीएजी को भारत की समेकित निधि में देय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा यह संतुष्टि करने का अधिकार देती है कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी जांच करने के लिए नियम तथा प्रक्रियाएं बनाई गई हैं तथा उनका विधिवत रूप से पालन किया जा रहा है। हमने संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग के कार्यों की जांच की तथा उन निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की जो यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तंत्र की मौजूदा प्रभावकारिता की जांच करने हेतु कर संग्रहण का आधार बनाते हैं कि निर्धारित स्व-निर्धारण के इस काल में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं।

इस प्रतिवेदन में 263 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 465.55 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर पर 369 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने नवम्बर 2018 तक ₹ 345.22 करोड़ के राजस्व से जुड़े 230 पैराग्राफ स्वीकार किए थे तथा 122 मामलों में ₹ 68.15 करोड़ की वसूली सूचित की थी। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

अध्याय I: केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रशासन

विव17 की तुलना में विव18 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वस्तु एवं सेवा कर (1 जुलाई 2017 से) के कुल राजस्व संग्रहण में ₹ 1,49,068 करोड़ (23.48 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। तथापि, जीएसटी राजस्व में प्रतिकर उपकर की राशि ₹ 62,612 करोड़ शामिल न करने के बाद, क्योंकि जीएसटी प्रतिकर उपकर भारत की समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, विव17 से विव18 में ₹ 11,277 करोड़ तक कुल अप्रत्यक्ष कर (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, जीएसटी और सीमा-शुल्क) में गिरावट आई। विव18 के दौरान अप्रत्यक्ष कर राजस्व में गिरावट के कारणों में से एक कारण इस तथ्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि मार्च 2018 के माह हेतु ₹ 32,179 करोड़ की

जीएसटी की राशि अप्रैल 2018 माह में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विपरीत, संग्रहित की गई थी।

(पैराग्राफ 1.5)

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में 1,05,05,913 तक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2018 तक, सीबीआईसी प्रशासन के तहत जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 32,11,352 थी जिसमें से 10,54,859 पुरानी कर व्यवस्था से परिवर्तित थे और 21,56,493 नए पंजीकृत व्यक्ति थे।

(पैराग्राफ 1.11)

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि एवं लेखापरीक्षा की सीमा

लेखापरीक्षा समष्टि में 4,898 विभागीय इकाईयों (27 जोन, 141 कमिश्नरियों, 737 डिविजनों, 3,530 रेंजों और 463 अन्य विभागीय इकाईयों) को शामिल किया गया है जिनसे ₹ 6,34,994¹ करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 3,80,495 करोड़ और सेवा कर ₹ 2,54,499 करोड़) का राजस्व संगणित किया गया। लेखापरीक्षा नमूना में 22 जोनों (81 प्रतिशत), 68 कमिश्नरियों (48 प्रतिशत), 216 डिविजनों (29 प्रतिशत), 744 रेंजों (21 प्रतिशत) और 90 अन्य विभागीय इकाईयों (19 प्रतिशत) को शामिल किया गया है। लेखापरीक्षित 744 रेंजों में हमारे द्वारा 2,772 निर्धारितियों, जो विव18 के दौरान ₹ 1 करोड़ से अधिक के राजस्व वाले कुल 62,295 निर्धारितियों में से थी, द्वारा जमा की गई 69,610 विवरणियों की लेखापरीक्षा की गई।

(पैराग्राफ 2.2, 2.3 और 2.4)

पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 33,205 आपत्तियां उठाई जिनमें से विभाग द्वारा 16,010 आपत्तियां (48.22 प्रतिशत) स्वीकार की गईं। विभाग ने अधिकतर मामलों में प्रथम उत्तर तक प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे मामले वित्तीय विव14 में 1300 मामलों (18.40 प्रतिशत) से बढ़कर विव18 में 3,067 मामले (47.71 प्रतिशत) हो गए जिसके

1 वित्तीय वर्ष 17 हेतु

परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 तक 8,497 मामलों का संचयन हुआ जो प्रथम उत्तर के लिए प्रतिक्रित थे।

(पैराग्राफ 2.5.2)

अध्याय III: सीबीआईसी में अपील मामलों हेतु निगरानी तंत्र

हमारे द्वारा सीबीआईसी में अपील मामलों हेतु निगरानी तंत्र की जांच की गई तथा इस में कमियां देखी गई। प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में, ₹ 1,04,718 करोड़ के राजस्व सहित 45,749 मामले विव18 के अंत तक अपील के लिए लंबित थे, जो विव17 के अंत तक लम्बित राशि पर 3.5 प्रतिशत की मामूली कमी को दर्शाते थे। सेवा कर में, ₹ 1,20,907 करोड़ के सेवा कर राजस्व सहित 43,718 मामले विव18 के अंत तक अपील के लिए लंबित थे जो विव17 के अंत तक लंबित राशि पर एक प्रतिशत की कमी दर्शाते थे।

(पैराग्राफ 3.5.1)

अपील के लिए लम्बित मामलों के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए तंत्र कमजोर थे क्योंकि बोर्ड स्तर पर जोन/कमिश्नरी स्तर पर आंकड़ें अनुरक्षित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड और क्षेत्रीय संरचना स्तर पर अनुरक्षित आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित नहीं थी क्योंकि विधि मामले के निदेशालय के पास अनुरक्षित आंकड़ों और मासिक निष्पादन प्रतिवेदनों (एमपीआर) में प्रतिवेदित आंकड़ों में विसंगतियां देखी गई थी।

(पैराग्राफ 3.5.3.1 से 3.5.3.4 और 3.5.4.1)

28 कमिश्नरियों में, निपटान किये गये कुल 4,286 अपील मामलों में से हमारे द्वारा 1,833 मामलों की जांच की गई और देखा गया कि 13 कमिश्नरियों से संबंधित ₹ 126.33 करोड़ के निहित राजस्व के 60 मामलों (3 प्रतिशत) में विभाग की ओर से चूकों के कारण अपील मामले निरस्त हो गए थे।

(पैराग्राफ 3.5.5)

उच्च राजस्व मामलों के शीघ्र निपटान हेतु बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था क्योंकि प्रत्येक ₹ 10 करोड़ और इससे अधिक राजस्व वाले

3,047 अपील मामलों में से शीघ्र सुनवाई आवेदन फाइल करने और संवादात्मक आवेदन फाइल करके स्टे हटाने आदि के लिए सक्रिय कार्यवाही केवल 260 मामलों (8.53 प्रतिशत) में की गई थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय संरचनाओं में नमूना जांच किये गए 41 मामलों (5 प्रतिशत) में जिसमें ₹ 1,110 करोड़ का राजस्व शामिल है, में शीघ्र सुनवाई आवेदन फाइल नहीं किया गया था जबकि ₹ 211.85 करोड़ के राजस्व सहित 145 मामलों (नमूना जांच किए गए मामलों का 48 प्रतिशत) में समान मामलों का समूहन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.3.5, 3.5.6.2 और 3.5.6.3)

अध्याय IV: सीबीआईसी में बकायों की वसूली हेतु निगरानी तंत्र

हमने सीबीआईसी में बकायों की वसूली हेतु निगरानी तंत्र की जांच की और इसमें कमियों को पाया। मुख्य आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:

चयनित 20 कमिश्नरियों में 31 मार्च 2018 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 6,816.77 करोड़ की राशि मूल्य सहित लम्बित कुल 5,672 बकाया मामलों में से, हमारे द्वारा ₹ 1,217.29 करोड़ की राशि मूल्य सहित 119 मामलों की फाइलों (2 प्रतिशत) की जांच की गई। उसी प्रकार, 31 मार्च 2018 को सेवा कर में ₹ 13,549.19 करोड़ की राशि मूल्य सहित कुल लम्बित 12,046 बकाया मामलों में से हमारे द्वारा ₹ 6,317.34 करोड़ की राशि मूल्य सहित 154 मामलों की फाइलों (1 प्रतिशत) की जांच की गई।

(पैराग्राफ 4.4)

सेवा कर के संबंध में कुल बकाया विव17 में ₹ 1,17,904 करोड़ से बढ़कर विव18 में ₹ 1,66,553 करोड़ हो गया। इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में कुल बकायों विव17 में ₹ 84,200 करोड़ से बढ़कर विव18 में ₹ 96,496 करोड़ के हो गया। इसके अलावा, सेवा कर हेतु सकल बकायों के प्रतिशत के रूप में वसूली विव17 में 1.19 प्रतिशत से घटकर विव18 में 1.02 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु सकल बकायों के प्रतिशत के रूप में वसूली में विव17 में 1.85 प्रतिशत से घटकर विव18 में 1.27 प्रतिशत रह गई।

31 मार्च 2018 तक सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु सकल बकायों का अंत शेष क्रमशः ₹1,66,553 करोड़ और ₹96,496 करोड़ था। हांलाकि, मार्च 2018 को कर बकाया वसूली रिपोर्टों के अनुसार सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु बकायों का अंत शेष क्रमशः ₹1,27,809 करोड़ और ₹85,158 करोड़ था। अंतर का एक कारण यह था कि जून 2017 को कर बकाया वसूली रिपोर्टों का अंत शेष जुलाई 2017 के आदि शेष में सही ढंग से नहीं लिया गया था।

(पैराग्राफ 4.5.1.1)

मुकदमाधीन राशि के आंकड़ों में विसंगतियां थीं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में जैसाकि विधि मामलों के निदेशालय और वित्तीय वर्ष 2018 की कर बकाया रिपोर्टों द्वारा सूचित किया गया। कर बकाया वसूली रिपोर्टों के अनुसार मुकदमें में कुल लम्बित बकाया 32,100 मामलों में ₹66,604 करोड़ था जबकि विधि मामले निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 35,199 मामलों में आकड़े ₹74,406 करोड़ थे। इसी प्रकार, सेवा कर के संबंध में कर बकाया वसूली रिपोर्ट के अनुसार मुकदमें में कुल लम्बित बकाया 36,367 मामलों में ₹1,11,851 करोड़ था जबकि विधि मामलों के निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा 35,163 मामलों में ₹94,825 करोड़ था।

(पैराग्राफ 4.5.1.2)

16 जोनों ने अपने वसूली लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और छः जोनों ने 50 प्रतिशत से कम वसूली लक्ष्य प्राप्त किया।

(पैराग्राफ 4.5.1.3)

रेंज कार्यालयों को मूल-आदेश भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। हमने देखा कि 9 कमिश्नरियों में 148 मामलों में रेंज कार्यालयों को मूल आदेश भेजने में एक दिन से 20 माह तक का विलम्ब हुआ था।

(पैराग्राफ 4.5.2)

16 कमिश्नरियों के तहत 115 मामलों में (नमूना जांच का 47 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के तहत

2019 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

वसूली हेतु कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,202.33 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 4.5.3)

आधिकारिक परिसमापक के साथ मामले का अपर्याप्त/अनुवर्ती कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप ₹ 15.61 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 4.5.4)

10 कमिश्नरियों में विव17 और विव18 के दौरान वसूली कक्ष को कोई मामला हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.5.5 (i))

अध्याय V: कर प्रशासन और आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (सेवा कर)

हमने विव18 में लेखापरीक्षित 744 रेंजों में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की गयी 18,000 एसटी-3 विवरणियों की जांच की। हमने ₹ 206.54 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 104 मामलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा कर आधार के विस्तारण, विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रतिदाय दावें आदि की मंजूरी में महत्वपूर्ण कमियां देखी। इसके अतिरिक्त, हमने ₹ 52.00 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के 63 मामलों में निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान करने, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाने/उपयोग करने और ब्याज का भुगतान न करने के मामले देखे।

उपरोक्त के अलावा हमने तीसरी पार्टी द्वारा डाटा सत्यापन, विवरणियों की संवीक्षा, अपवंचन रोधी आदि के क्षेत्र में विव18 में हमारी लेखापरीक्षा के दौरान 109 मामलों में विभाग की कार्य-प्रणाली में कमियां भी देखी थी।

(पैराग्राफ 5.2)

अध्याय VI: कर प्रशासन और आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

हमारे द्वारा विव18 में लेखापरीक्षित 744 रेंजों में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की गई केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 51,610 विवरणियों की जांच की गई। हमने विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कारण बताओं नोटिस और

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

अधिनिर्णयन, कॉल-बुक का रखरखाव आदि पर विभागीय अधिकारियों की गंभीर चूक के 67 मामले देखे जिनमें ₹ 45.65 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था।

हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ब्याज के कम भुगतान/भुगतान न करने और सेनवेट क्रेडिट आदि की अनियमित लाभ उठाने/उपयोग करने आदि के मुद्दों पर निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के 26 मामले भी देखे जिसमें ₹ 129.65 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 6.2)

अध्याय I

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों, ट्रेजरी बिलों के जारी होने से उत्पन्न सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा ऋणों की अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियां शामिल होती हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 में वित्तीय वर्ष 2017-18 (विव18) और विव17 के लिए स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)	
	विव18	विव 17
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	23,64,148	22,23,988
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	10,02,738	8,49,801
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	9,16,445	8,66,167
iii. गैर-कर प्राप्तियां	4,41,383	5,06,721
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,582	1,299
ख. विविध पूंजी प्राप्तियां ²	1,00,049	47,743
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ³	70,639	40,971
घ. लोक ऋण प्राप्तियां ⁴	65,54,002	61,34,137
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	90,88,838	84,46,839

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे।

टिप्पणी: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां संघ वित्त लेखे से तैयार की गई हैं। कुल राजस्व प्राप्ति में विव18 में ₹6,73,005 करोड़ और विव17 में ₹6,08,000 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की निवल प्राप्तियों का हिस्सा जो सीधे तौर पर राज्य को दिया गया शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में विव17 में ₹ 84,46,839 करोड़ से विव18 में ₹ 90,88,838 करोड़ तक वृद्धि हुई। विव18 में, इसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 23,64,148 करोड़ थी जिसमें ₹ 1,40,160 करोड़ की वृद्धि हुई जोकि पूर्व वर्ष की तुलना में 6.30 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें ₹ 19,19,183 करोड़ की

2 इसमें बोनस शेयर की मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश, और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

3 संघ सरकार द्वारा की गई ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां;

4 आंतरिक के साथ-साथ बाह्य रूप से भारत सरकार द्वारा उधार लेना।

सकल कर प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 9,16,445 करोड़ सम्मिलित हैं।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विव18 तक की गई लेखापरीक्षा पर आधारित है और जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की उगाही और संग्रहण के संव्यवहार शामिल हैं। उस तिथि तक प्रचलित मुख्य अप्रत्यक्ष कर पर चर्चा नीचे की गई है;

क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उदग्रहित किया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्नू माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84)

ख) सेवा कर: सेवा कर को कर योग्य क्षेत्र के भीतर दी जाने वाली सेवाओं पर उदग्रहित किया जाता था (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 97)। सेवा कर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 बी में प्रावधान है कि सभी सेवाओं, ऋणात्मक सूची में निर्धारित अन्य के अलावा, की कीमत पर, जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दी जाने हेतु सहमति दी गई और निर्धारित⁵ किया जाये कि इस तरह से संग्रहित किया जा सकता है, 14 प्रतिशत की दर से कर उदग्रहित किया जाता था। 'सेवा' को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65 बी (44) में इस आशय से परिभाषित किया गया था कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए

5 धारा 6बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जूलाई 2012 से अन्तर्निविष्ट किया गया था; धारा 66डी उन वस्तुओं की सूची देता है जिसमें ऋणात्मक सूची शामिल है।

किये गये प्रतिफल (इसमें छोड़ी गई मदों से अन्य) के लिए कोई गतिविधि और घोषित सेवा⁶ को शामिल किया जाए।

ग) सीमा शुल्क: सीमा शुल्क भारत में वस्तुओं के आयात और भारत बाहर से कुछ निश्चित वस्तुओं के निर्यात पर उदग्रहित किया जाता है (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 83)

घ) वस्तु एवं सेवा कर: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वह कर है जो, मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थों को छोड़कर, वस्तुओं की आपूर्ति, अथवा सेवाओं अथवा दोनों पर लाया जाता है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावित भारत में है (भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (12ए) (8 जुलाई 2017 से जम्मू व कश्मीर सहित)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर, सीमा शुल्क के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटक और राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष कर को (मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थों को छोड़कर) जीएसटी में शामिल किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर निरन्तर जारी है क्योंकि ये उत्पाद वर्तमान में जीएसटी से बाहर हैं और बाद में जीएसटी में शामिल किया जाएगा। तंबाकू उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अध्यक्षीन हैं। जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है अर्थात् कर उस राज्य में देय है जहां वस्तुएं अथवा सेवाएं अथवा दोनों का अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है। जीएसटी के अतिरिक्त, एक उपकर जीएसटी प्रतिकर उपकर कुछ वस्तुओं अर्थात् तंबाकू उत्पादों, कोयला, एरिएटेड वाटर, मोटर कार आदि पर उदग्रहित किया जाता है।

निम्नानुसार जीएसटी के तीन घटक हैं:

- **केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य/संघ क्षेत्र के भीतर वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति पर केन्द्रीय सरकार को देय।

6 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देता है।

- **राज्य/संघ क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी):** राज्य/संघ क्षेत्र के भीतर वस्तु एवं वस्तुओं की आपूर्ति पर राज्य/संघ क्षेत्र सरकार को देय।
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी):** वस्तुओं और सेवाओं की अन्तरराज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा उदग्रहित की जाती है। समान आईजीएसटी भारत में आयातों पर भी उदग्रहित की जाती है। आईजीएसटी को वस्तु और सेवाएं कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा विधि द्वारा बनाई जाने वाली पद्धति में संघ एवं राज्य के बीच विभाजित की जाएगी।

यह अध्याय वित्त लेखे, विभागीय लेखे के डाटा और सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में उपलब्ध संबंधित डाटा का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर में प्रवृत्ति, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा करता है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय कर से संबंधित मुद्दों का समन्वय दो सांविधिक बोर्डों के माध्यम से करता है जिनके नामत, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पूर्व में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जो केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 के अन्तर्गत गठित है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी की उगाही और संग्रहण से संबंधित मामलों को सीबीआईसी द्वारा देखा जाता है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीआईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, कमिश्नरियों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, जीएसटी के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, 16 जून 2017 से देश को प्रधान मुख्य कमिश्नर/मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में जीएसटी के 21 जोनों में विभाजित किया गया। इन 21 जोनों के अन्तर्गत, 107 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर कमिश्नरियां हैं जो जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सं सम्बन्धित हैं और मुख्य आयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करती है। डिवीजन और

रेंज बाद की संरचना हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमशः उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक करते हैं। इन केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर कमिश्नरियों के अतिरिक्त 49 जीएसटी अपीलीय कमिश्नरियां, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और 22 महानिदेशक/निदेशक हैं जो विशिष्ट कार्यों में व्यवहार कर रहे हैं।

1 जनवरी 2018 को सीबीआईसी की संपूर्ण स्वीकृत कर्मचारी संख्या 91,628 थी।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संयोजन

तालिका 1.2 में विव14 से विव18 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर*	जीडीपी	(₹ करोड़ में)		
			जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
विव14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
विव15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
विव16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
विव17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24
विव18	9,13,486	1,67,73,145	5.45	19,19,184	47.59

स्रोत: कर राजस्व- संघ वित्तीय लेखे, जीडीपी- सीएसओ⁷ का प्रैस नोट,

*अप्रत्यक्ष कर, में सीएक्स, एसटी, जीएसटी, सीमा शुल्क और अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर करों से प्राप्त राजस्व शामिल है

यह देखा गया है कि अप्रत्यक्ष कर संग्रहण, जीएसटी प्रतिकर उपकर सहित में विव17 की तुलना में विव18 में ₹ 51,335 करोड़ (5.95 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह विव17 में 5.68 प्रतिशत से विव18 में 5.45 प्रतिशत तक कम हो गई। सकल कर राजस्व में इनका हिस्सा भी विव17 में 50.24 प्रतिशत से विव18 में 47.59 प्रतिशत तक कम हो गया।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान

तालिका 1.3 विव14 से विव18 की अवधि के लिए जीडीपी शर्तों में प्रमुख अप्रत्यक्ष कर घटकों के प्रक्षेपपथ को दर्शाती है।

7 केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांखिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2018 को जीडीपी पर एक प्रैस नोट जारी किया गया।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सीई राजस्व	एसटी राजस्व	जीएसटी राजस्व	(सीई+एसटी+जीएसटी) राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में (सीई+एसटी+जीएसटी) राजस्व	सीमा शुल्क	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
विव14	1,13,45,056	1,69,455	1,54,780		3,24,235	2.86	1,72,085	1.52
विव15	1,25,41,208	1,89,038	1,67,969		3,57,007	2.85	1,88,016	1.5
विव16	1,35,76,086	2,87,149	2,11,415		4,98,564	3.67	2,10,338	1.55
विव17	1,51,83,709	3,80,495	2,54,499		6,34,994	4.18	2,25,370	1.48
विव18	1,67,73,145	2,58,636	81,229	4,44,197	7,84,062	4.67	1,29,030	0.77

स्रोत: कर प्राप्तियों के आकड़े संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखा के अनुसार हैं-


जीएसटी राजस्व में सीजीएसटी (₹ 2,03,261 करोड़), आईजीएसटी (₹ 1,76,688 करोड़), यूटीजीएसटी (₹ 1,635 करोड़) और प्रतिकर उपकर (₹ 62,612 करोड़) शामिल किया गया।

हालांकि, जीडीपी की तुलना में अप्रत्यक्ष करों के विश्लेषण और पिछले वर्षों के राजस्व से तुलना करने के उद्देश्य हेतु ₹ 62,612 करोड़ की जीएसटी प्रतिकर उपकर की राशि को जीएसटी राजस्व से बाहर रखा जाना चाहिए जैसा जीएसटी अधिनियम (राज्यों के लिए प्रतिकर), 2017 की धारा 10(1) में प्रावधान किया गया है कि जीएसटी उपकर की देय राशि को गैर व्यपगत निधि के रूप में क्रेडिट किया जाएगा, जिसे वस्तु और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में माना जाता है जो भारत के लोक लेखे का हिस्सा होगा। तदनुसार, जीएसटी राजस्व से जीएसटी प्रतिकर उपकर को निकालने के बाद, यह देखा गया कि अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों⁸ में विव17 से विव18 में ₹ 11,277 करोड़ की कमी हुई है जैसा चित्र 1.1 में नीचे दर्शाया गया है। पिछले वर्ष से अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में कमी का एक कारण यह है कि मार्च के महीने के लिए जीएसटी आगामी महीने में संग्रहित की जाती है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विपरीत जो मार्च के महीने में ही संग्रहित किये गए थे। मार्च

8 अप्रत्यक्ष कर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और मद और सेवाओं पर अन्य कर शामिल है।

2018 के महीने के लिए जीएसटी की राशि ₹ 32,179 करोड़⁹ थी, जिसे अप्रैल 2018 में संग्रहित किया गया था।

चार्ट 1.1: अप्रत्यक्ष कर प्रवृत्ति विश्लेषण



1.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियों के साथ साथ सेनवेट क्रेडिट उपयोग

कोई विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता निवेश पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद के शुल्क अथवा निवेश सेवाओं पर प्रदत्त सेवाकर के साथ साथ पूंजीगत वस्तुओं का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के भुगतान में प्राप्त क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।

तालिका-1.4 विव16 से विव18 के दौरान व्यक्तिगत लेखा बही (पीएलए) अर्थात् नकद और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण को दर्शाती है।

⁹ अप्रैल 2018 माह के लिए सीजीएसटी ₹ 32,089 करोड़ है और अप्रैल 2018 के माह के लिए यूटीजीएसटी ₹ 90 करोड़ है।

तालिका 1.4: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां और सेनवेट उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए के माध्यम से प्रदत्त सीई शुल्क		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त सीई शुल्क		पीएलए भुगतानों के प्रतिशत अनुसार सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सीई शुल्क
	राशि#	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	राशि*	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
विव16	2,87,149	51.90	3,10,335	6.39	108.07
विव17	3,80,495	32.51	3,39,274	9.33	89.17
विव18	2,58,636	(-)32.03	99,808	(-)70.58	38.59

स्रोत: #संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे।

* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा गया कि पीएलए के माध्यम से किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व भुगतान विव18 में ऋणात्मक वृद्धि को दिखाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कार्यान्वयन करने के बाद से है, सभी वस्तुएं, पांच पेट्रोलियम उत्पादों और तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर, जीएसटी में शामिल कर लिया गया था। यह भी देखा गया कि पीएलए भुगतान के प्रतिशत के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विव18 में भी कम हो गया है।

तालिका 1.5 विव16 से विव18 के दौरान पीएलए और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवाकर उगाही की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.5: सेवा कर प्राप्तियां और सेनवेट उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए के माध्यम से प्रदत्त एसटी		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त एसटी		पीएलए भुगतानों के प्रतिशत के रूप में सेनवेट क्रेडिट से किये गये एसटी भुगतान
	राशि#	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	राशि *	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
विव16	2,11,415	25.87	1,10,823	34.22	52.42
विव17	2,54,499	20.38	1,24,057	11.94	48.75
विव18	81,229	(-)68.08	38,915	-68.63	47.91

स्रोत: # संघ वित्तीय लेखे का संबंधित वर्ष। विव18 के आंकड़े अंतिम हैं

* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

1 जुलाई 2017 से प्रभावी जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद सेवाकर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इसलिए, सेवा कर राजस्व और सेनवेट

उपयोग के लिए आकड़े पूर्व वर्षों की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि को दिखाते हैं। यह भी देखा गया है कि पीएलए के प्रतिशत के रूप में सेनवेट क्रेडिट से किये गये सेवा कर भुगतान के प्रतिशत को विव18 में ऋणात्मक वृद्धि में दिखाया गया है।

1.7 मुख्य वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, पांच पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एयर टरबाइन ईंधन) और तंबाकू उत्पाद¹⁰ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में रखे गए हैं। हालांकि, तंबाकू उत्पादों, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन हैं, पर 1 जुलाई 2017 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना सं. 11/2017 दिनांक 30 जून 2017 द्वारा प्रभावी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शून्य था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से विव18 के दौरान इन दो वस्तुओं की श्रेणियों से राजस्व को तालिका 1.6¹¹ में दर्शाया गया है

तालिका 1.6: पेट्रोलियम और तंबाकू वस्तुओं से राजस्व

वस्तुएं	(₹ करोड़ में)		
	विव16	विव17	विव18
पेट्रोलियम उत्पाद	1,80,734	2,43,748	2,43,592
तंबाकू उत्पाद	21,463	19,846	6,010
अन्य	84,952	1,16,901	9,034
कुल	2,87,149	3,80,495	2,58,636

स्रोत:- डीडीएम-सीई-1 विवरणी में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तंबाकू उत्पादों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी का कारण यह है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, जीएसटी और जीएसटी प्रतिकर उपकर तंबाकू उत्पादों पर लगाया जा रहा है और प्रभावी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शून्य हो गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के संबंध में यह देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में विव17 में ₹ 63,014 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, विव17 से विव18 में पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई। जब अनुरोध किया गया, मंत्रालय ने (मार्च 2019) पेट्रोलियम क्षेत्र में

10 तंबाकू उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन हैं।

11 मंत्रालय ने डीडीएम-सीई-1 के रूप में पेट्रोलियम क्षेत्र के नवीनतम राजस्व आकड़े उपलब्ध कराये, जो पूर्व में उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

राजस्व में मामूली कमी के लिए अक्टूबर 2017 से मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर शुल्क की दर में ₹ 2 प्रति लीटर की कमी को जिम्मेदार ठहराया था।

1.8 बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां

तालिका 1.7 और 1.8 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर और जीएसटी प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान और संबंधित वास्तविकताओं की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां (सीई, एसटी और जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान		संशोधित बजट अनुमान			वास्तविक प्राप्तियां		
	सीई	एसटी	सीई	एसटी	जीएसटी	सीई	एसटी	जीएसटी
विव14	1,97,554	1,80,141	1,79,537	1,64,927		1,69,455	1,54,780	
विव15	2,07,110	2,15,973	1,85,480	1,68,132		1,89,038	1,67,969	
विव16	2,29,809	2,09,774	2,84,142	2,10,000		2,87,149	2,11,415	
विव17	3,18,670	2,31,000	3,87,369	2,47,500		3,80,495	2,54,499	
विव18	4,06,900	2,75,000	2,76,995	79,507	4,44,631	2,58,636	81,229	4,44,197

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे और प्राप्ति बजट दस्तावेज।

यह देखा गया कि बजट अनुमानों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए बनाया गया था जबकि संशोधित अनुमानों को जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद बनाया गया था और तदनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए संशोधित अनुमानों को कम कर दिया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व उगाही ₹ 18,359 करोड़ (6.63 प्रतिशत) तक कम हो गया, जबकि सेवा कर में ₹ 1,722 करोड़ (2.17 प्रतिशत) तक की वृद्धि और जीएसटी में ₹ 484 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तक की कमी हो गई।

तालिका 1.8: बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों (सीई,एसटी और जीएसटी) के बीच भिन्नता

वर्ष	बजट अनुमान (सीई+एसटी)	संसोधित बजट अनुमान (सीई+एसटी+जीएसटी)	वास्तविक प्राप्तियां (सीई+एसटी+जीएसटी)	वास्तविक और बीई के मध्य भिन्नता	(₹ करोड़ में)		
					वास्तविक और आरई के मध्य भिन्नता	वास्तविक और बीई के मध्य प्रतिशत भिन्नता	वास्तविक और आरई के मध्य प्रतिशत भिन्नता
विव14	3,77,695	3,44,464	3,24,235	(-)53,460	(-)20,229	(-)14.15	(-)5.87
विव15	4,23,083	3,53,612	3,57,007	(-)66,076	3,395	(-)15.62	0.96
विव16	4,39,583	4,94,142	4,98,564	58,981	4,422	13.42	0.89
विव17	5,49,670	6,34,869	6,34,994	85,324	125	15.52	0.02
विव18	6,81,900	8,01,133	7,84,062	1,02,162	(-)17,071	14.98	(-)2.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे और प्राप्त बजट दस्तावेज। विव18 के वास्तविक प्राप्तियों के आकड़े अंतिम हैं।

विव18 में सीई, एसटी, और जीएसटी का वास्तविक राजस्व संसोधित अनुमानों से ₹ 17,071 करोड़ (2.13 प्रतिशत) कम था जबकि बजट अनुमानों की तुलना में यह ₹ 1,02,162 करोड़ (14.98 प्रतिशत) अधिक था।

1.9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत छोड़ा गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944, की धारा 5ए(1) के तहत जन हित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। छोड़े गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है और 2016-17 के बजट तक निम्नलिखित तरीके से गणना की गई थी:

- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ और शुल्क की प्रभावी दरें यथा मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट की जाती हैं - छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)
- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर यथामूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है

तब - छोड़ा गया राजस्व = (सामान का मूल्य x शुल्क की टैरिफ दर)
- (सामान की मात्रा x विशेष शुल्क की प्रभावी दर)

- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर और प्रभावी दर यथामूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, तो परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहां शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, तो छोड़ा गया राजस्व शून्य होगा।

बजट से विव18 के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभावों की गणना के लिए पद्धति को संशोधित किया गया था। बिना शर्त अधिसूचनाएं द्वारा लगाई गई दरों को वास्तविक टैरिफ दरों के रूप में माना गया था और छोड़े गये राजस्व की गणना से बाहर किया गया था। छोड़ गया राजस्व तब केवल छूट की शर्त के कारण था जो टैरिफ दरों अथवा वास्तविक टैरिफ दरों को समझ कर दरों पर स्वीकृत किया गया था।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान-छोड़े गये राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़े जैसा कि संघ सरकार के बजट दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद प्राप्तियां और कुल छोड़ा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां \$	छोड़ा गया राजस्व*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में छोड़ा गया राजस्व
विव14	1,69,455	1,96,223	115.80
विव15	1,89,038	1,96,789	104.10
विव16	2,87,149	79,183	27.58
विव17	3,80,495	71,164	18.70
विव18	2,58,636	-	-

स्रोत: संघ वित्तीय लेखे, विव18 के लिए अंतिम आंकड़े। संघ प्राप्तियां बजट। विव18 के बजट दस्तावेज में पुनरावृत्ति और प्रतिलिखित के रूप में विव16 और 17 के आंकड़े।

विव19 के प्राप्ति बजट में, सरकार ने सूचित किया है कि उत्पाद शुल्क को जीएसटी¹² में शामिल कर लिया गया है, उत्पाद शुल्क के लिए कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को विव18 से बंद कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व प्रभाव की छूट विव20 के बजट के बाद से दी जाएगी।

1.10 वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर राजस्व

बजट दस्तावेजों का अध्ययन यह दिखाता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए छोड़े गये राजस्व का ब्योरा विव07 के बजट से आरंभ होने वाले संबंधित बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष ससंद के समक्ष रखा जाता है। तथापि, सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। 2014 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 06 के पैराग्राफ सं. 1.12 में बताए गये समान मुद्दे के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि पर्याप्त डाटा की अनुपस्थिति के कारण आंकड़े अनुरक्षित नहीं रखे जा रहे हैं।

इसी प्रकार के मामले को कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा जांच की गई थी और अपने तृतीय प्रतिवेदन में (नवंबर 2014) सेवा कर के लिए यह उल्लिखित किया कि, विभाग को छोड़े गये राजस्व आंकड़ों का अनुमान लगाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए और अन्तर विश्लेषण करें।

तथापि, इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि सेवा कर के अन्तर्गत छोड़े गये राजस्व को विभाग द्वारा परिकल्पित नहीं किया गया था।

1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में कर आधार

"निर्धारिती" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो कर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निर्माता अथवा विनिर्माता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए दायी है अथवा निजी वेयर हाऊस जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं संग्रहीत की जाती हैं वाला पंजीकृत व्यक्ति और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 2002 के नियम 2 (सी) में परिभाषित अनुसार ऐसे व्यक्ति के अधिकृत

12 तंबाकू उत्पादों और पांच पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैर और वायु टरबाईन ईंधन, को छोड़कर)

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

एजेन्ट को शामिल करता है, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी हो और उसके एजेन्ट को वित्तीय अधिनियम, 1994 (यथा संसोधित) की धारा 65(7) में परिभाषा के अनुसार शामिल करता है।

जीएसटी के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(107) के अनुसार, 'कर योग्य व्यक्ति' वह व्यक्ति है जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 अथवा धारा 124 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना हों।

तालिका 1.10 सीबीआईसी के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के डाटा को दर्शाता है।

तालिका 1.10: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या (सीई)	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या (एसटी)	कुल निर्धारिती (सीएक्स एवं एसटी)	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या (जीएसटी)	पुर्व वर्षों से प्रतिशत वृद्धि
विव14	4,35,213	22,73,722	27,08,935		-
विव15	4,67,286	25,26,932	29,94,218		10.53
विव16	4,98,273	28,28,361	33,26,634		11.10
विव17	5,27,534	31,60,281	36,87,815		10.86
विव18 (जून 17)	5,39,203	32,47,480	37,86,683		-
विव18 (मार्च 18)	5,39,725	32,48,014	37,87,739	1,05,05,913	-

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गये आंकड़े।

यह देखा गया है कि सभी पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या बढ़ गई है। जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या 31 मार्च 2018 को 1,05,05, 913 थी। लेकिन जीएसटी कर आधार के साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अन्तर्गत कर आधार तुलनात्मक नहीं है। ऐसा इस तथ्य के कारण से है कि जीएसटी पंजीकरण में राज्य वैट व्यवसाय के पंजीकृत निर्धारिती जो अब जीएसटी में चले गये हैं की शामिल है। 1,05,05,913 निर्धारितियों में से 41,16,360 नये निर्धारितियों ने भी जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण करवाया है। जीएसटी के कुल पंजीकृत निर्धारितियों को सीबीआईसी और राज्य कर विभागों के मध्य विभाजित कर दिया गया है। ऐसे

विभाजनों का आधार है कि सभी निर्धारिती जो ₹ 1.5 करोड़ से कम जीएसटी भुगतान कर रहे हैं को राज्य और केन्द्र के मध्य 90:10 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है और परिवर्तित निर्धारिती जो ₹ 1.5 करोड़ से अधिक का भुगतान कर रहे हैं और नये निर्धारिती उन्हे राज्य और केन्द्र के मध्य 50:50 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2018 को, सीबीआईसी प्रशासन के अधीन जीएसटी पंजीकरणों की कुल संख्या 32,11,352 थी।

1.12 अपवचन-रोधी उपायों से राजस्व उगाही

दोनों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सतर्कता के महानिदेशक (डीजीसीईआई) (अब वस्तुएं एवं सेवा कर सतकर्ता के महानिदेशक) के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर कमिशनरियों का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की अपवचन के मामलों की पहचान के कार्य में अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। जबकि कमिशनर, अपने अधिकार क्षेत्र और क्षेत्र में उपस्थित इकाईयों के बारे में अपने व्यापक डाटा बेस के साथ शुल्क के अपवचन के प्रति सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है, डीजीसीईआई पर्याप्त राजस्व के अपवचन के बारे में निर्दिष्ट आसूचना को एकत्रित करने में विशेषज्ञ है। जो आसूचना एकत्रित हुई है उसे कमिशनरियों के साथ सांझा किया जाता है। संपूर्ण भारत पर होने वाले असर के मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच पडताल की जाती है। तालिका 1.11 पूर्व तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11: पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में डीजीसीईआई के अपवचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			सेवा कर		
	पहचान		जांच पडताल के दौरान स्वैच्छिक भुगतान	पहचान		जांच पडताल के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	राशि	मामलों की संख्या	राशि	राशि
विव16	2,366	5,297	804	7,519	18,971	4,658
विव17	2,127	5,773	795	8,085	17,846	5,313
विव18	903	6,440	359	5,319	24,243	3,564

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि विव18 में डीजीसीईआई द्वारा पहचाने गये मामलों के संख्या विव17 की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 2,127 से 903 और सेवा कर में 8,085 से 5,319 तक घट गई है। यद्यपि शामिल राशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 5,773 करोड़ से ₹6,440 करोड़ और सेवा कर में ₹ 17,846 करोड़ से ₹24,243 करोड़ तक वृद्धि हुई है। जांच पड़ताल के दौरान स्वैच्छिक भुगतान तथापि, केन्द्रीय उत्पाद में ₹ 795 करोड़ से ₹ 359 करोड़ (54.84 प्रतिशत) और सेवा कर में ₹5,313 करोड़ से ₹3,564 करोड़ (32.91 प्रतिशत) तक कम हुआ है।

1.13 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

ऐसी विभिन्न पद्धतिया है जिस के द्वारा देय राजस्व, जिसका भुगतान करदाता द्वारा नहीं किया गया है, को विभाग एकत्रित करता है। इन पद्धतियों में, विवरणी की संविक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, न्यायिक निर्णय आदि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणामों को तालिका 1.12 में दिखाया गया है।

तालिका 1.12: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय प्रयास	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर	
		विव17 के दौरान वसूली	विव18 के दौरान वसूली	विव17 के दौरान वसूली	विव18 के दौरान वसूली
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा	304	219	500	386
2.	अपवंचन-रोधी	382	159	1,620	1,153
3.	मांग की पुष्टि	1,043	577	650	897
4.	पूर्व जमा	368	575	525	502
5.	विवरणियों की जांच	291	77	234	179
6.	डिफॉल्टर्स से रिकवरी	3,486	1,093	1,106	470
7.	अनन्तिम निर्धारण	64	11	3	9
8.	अन्य	174	125	379	425
	कुल	6,112	2,836	5,017	4,021

स्रोत:- मंत्रालय द्वारा आकड़े प्रस्तुत।

विव18 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का कुल संग्रहण क्रमशः ₹ 2,58,636 करोड़ और ₹ 81,229 करोड़ था। जिसमें से केवल ₹ 2,836 करोड़ (1.09 प्रतिशत) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में और सेवाकर में ₹ 4,021 करोड़

(4.95 प्रतिशत) विभागीय प्रयासों के कारण वसूल किया गया था। इसी प्रकार विव17 एवं विव18 के लिए तालिका 1.12 में अपवंचन-रोधी के अन्तर्गत दिखाये गये राजस्व संग्रहण के आकड़े तालिका 1.11 में दिखाई गई उसी श्रेणी से संबंधित राशि के साथ नहीं मिलते हैं।

1.14 संग्रहण की लागत

तालिका 1.13 राजस्व संग्रहण के साथ-साथ संग्रहण की लागत को दर्शाती है।

तालिका 1.13: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियां और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	जीएसटी (सीजीएसटी + आईजीएसटी) से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
विव14	1,69,455	1,54,780		3,24,235	2,635	0.81
विव15	1,89,038	1,67,969		3,57,007	2,950	0.83
विव16	2,87,149	2,11,415		4,98,564	3,162	0.63
विव17	3,80,495	2,54,499		6,34,994	4,056	0.64
विव18	2,58,636	81,229	4,44,197	7,84,062	5,249	0.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे। विव18 के आंकड़े अंतिम हैं।

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संग्रहण की लागत विव17 में 0.64 प्रतिशत से विव18 में 0.67 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

अध्याय II

लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि एवं लेखापरीक्षा की सीमा

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 यह प्रदान करता है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ और राज्य तथा कोई अन्य प्राधिकरण अथवा निर्धारित किये जा सकने वाले निकाय के संबंध में संसद द्वारा बनाए गये किसी कानून के अन्तर्गत अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी की डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार और प्रत्येक सरकार और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजी दोनों) का लेखापरीक्षा और स्वयं को सन्तुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित बंटवारे पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए बनाये गये नियम और प्रक्रियाएँ बनाई गई हैं और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिए अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखा, 2007 (विनियम) पर विनियमों को लेखापरीक्षा प्राप्तियों के लिए सिद्धान्तों को निर्धारित करते हैं।

2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं और उनके प्रभाव की जांच

प्राप्ति लेखापरीक्षा मुख्यतः प्रणाली और प्रक्रियाओं और उसके प्रभाव की जांच को शामिल करता है:

- क. संभावित कर निर्धारिती की पहचान, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपवंचन का पता लगाना और उसकी रोकथाम;
- ख. दंड की उगाही और अभियोजन पक्ष की शुरुआत सहित उचित माध्यम से विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग;
- ग. अपीलिय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;
- घ. राजस्व प्रशासन को सशक्त और सुधारने के लिए प्रस्तुत किये गये कोई मापदंड;

- ड. राजस्व जो बकाया हो सकता है बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया में राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही;
- च. उचित परिश्रम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोड़कर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

2.1.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की लेखापरीक्षा

भारतीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रणाली स्वयं निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता अपनी स्वयं की कर रिटर्न तैयार करता है और विभाग को प्रस्तुत करता है। यह प्रणाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 सहित राजकोषीय कानूनों द्वारा निर्देशित है। केन्द्रिय उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग प्रारंभिक संविक्षा, विस्तारित संविक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से रिटर्न का निर्धारण और संविक्षा करता है और करदाता द्वारा जमा किये गये कर की शुद्धता को सुनिश्चित करता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग की प्रणाली और प्रक्रियाओं की प्रभाविकता को जांचने के लिए, सीएजी बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं और कार्यात्मक विभागों के अभिलेखों के साथ निर्धारिती द्वारा दाखिल की गयी विवरणियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करता है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि सीबीआईसी, इसकी अधीनस्थ संरचना और क्षेत्रीय संरचनाओं को शामिल करता है। उसी प्रकार, 1 अप्रैल 2017 को लेखापरीक्षा समष्टि में 4,898 इकाईयां थी जिनका राजस्व ₹6,34,994¹³ करोड़ (₹ 3,80,495 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और ₹2,54,499 करोड़ सेवाकर) था और 27 जोन, 141 कमिश्नरियों, 737 डिवीजनो, 3,530 रेजों और 463 अन्य इकाईयों को शामिल करता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण, विभाग का पुनर्गठन किया गया और इस प्रतिवेदन की पैरा सं. 1.3 में उल्लिखित विभागीय इकाईयों के रूप में परिवर्तित किया गया।

13 विव 17 के लिए

2.2.1 सीबीआईसी

वित्त मंत्रालय में, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, भारत के संघ के अप्रत्यक्ष कर की उगाही और संग्रहण के प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व वस्तु एवं सेवा कर के करारोपण व संग्रह, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर और नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है।

2.2.2 ज़ोन

ज़ोन उच्चतम लेखापरीक्षा योग्य सत्व है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। ज़ोन के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त ज़ोन में सभी कमिश्नरियों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के ऊपर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। वह ज़ोन में प्रत्येक कमिश्नरी द्वारा राजस्व संग्रहण की निगरानी और अधिनियमों/नियमों और समय समय पर जारी किये गये बोर्ड के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन करता है

2.2.3 कमिश्नरियां

प्रत्येक ज़ोन में प्रधान आयुक्त/आयुक्त की अध्यक्षता में कई कमिश्नरियां शामिल हैं। प्रशासनिक रूप से प्रत्येक कमिश्नरी का अपने मुख्यालय के साथ एक 3-स्तरीय सेट-अप है, जिसमें, चार से छः डिवीजन द्वितीय स्तर पर और तृतीय स्तर पर प्रत्येक डिवीजन के तहत चार से छः रैंज और अन्तिम स्तर कमिश्नरियों को तीन श्रेणियों अर्थात् कार्यकारी कमिश्नरी, कमिश्नरी (लेखापरीक्षा) और कमिश्नरी (अपील) में बांटा गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर कमिश्नरी (कार्यकारी कमिश्नरी) का मुख्य कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर अधिनियमों, इन अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित प्रावधान और संसद के अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना है जिसके तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर का शुल्क लगाया और संग्रहण किया जाता है

प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर ज़ोन में एक या अधिक लेखापरीक्षा कमिश्नरियां हो सकती हैं जिनकी अध्यक्षता कमिश्नर (लेखापरीक्षा) करता है।

लेखापरीक्षा कमिश्नरी का मुख्य कार्य इस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्धारितियों की लेखापरीक्षा करना, निगरानी समिति की बैठके करवाना, निर्धारिती के प्रति मामले की खोज में कार्यकारी कमिश्नरी की सहायता करना आदि।

कमिश्नर (अपील) एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और एक कमिश्नर के पद के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित सभी न्यायिक निर्णय के संबंध में अपील पर आदेश देता है।

2.2.4 डिवीजन

प्रत्येक कार्यकारी कमिश्नरी के पास चार से छः डिवीजन होते हैं जिसकी अध्यक्षता उप/सहायक कमिश्नर करते हैं। डिवीजन प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कानूनों और प्रक्रियाओं की उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। वह आसूचना के संग्रहण, अपवंचन-रोधी आपरेशनों का आयोजन और अर्धन्यायिक कार्यों के निष्पादन, अर्थात् उसकी क्षमता के भीतर आने वाले न्यायिक निर्णयों के मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। वह वस्तुओं और उनकी निर्धारण योग्य मूल्य के वर्गीकरण के निर्णय के लिए मूल प्राधिकारी हैं।

2.2.5 रेंज


प्रत्येक डिवीजन में चार से सात रेंज मौजूद हैं। रेंज, जिसकी अध्यक्षता अधीक्षक द्वारा की जाती है निर्धारिती और विभाग के मध्य सम्पर्क का प्रथम कार्यालय है। निर्धारिती रेंज कार्यालय के साथ पंजीकृत है। निर्धारिती द्वारा भरी गई निर्धारित विवरणियों के आधार पर रेंज द्वारा निर्धारण की संवीक्षा की जाती है। निर्धारण कार्य के अतिरिक्त, रेंज अधिकारी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वैधानिक घोषणाओं की सत्यता की जांच करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना

जैसा कि पैरा 2.2.5 में चर्चा की गई है, रेंज मुख्य विभागीय इकाई है जहां निर्धारिती पंजीकृत है और अपनी विवरणी प्रस्तुत करता है। रेंज इसलिए पंजीकरणों के सत्यापन, विवरणियों की संवीक्षा, राजस्व संग्रहण की निगरानी करना आदि के लिए उत्तरदायी हैं। हमने, जैसा कि पैरा 2.1.1 में परिकल्पित है प्रणाली और प्रक्रियाओं की प्रभाविकता की जांच की है।

1 अप्रैल 2017 को विभाग के पास कुल 36,87,815 (5,27,534 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती और 31,60,281 सेवाकर निर्धारिती) पंजीकृत निर्धारिती थे और उन में से 3,32,421 निर्धारिती (54,269 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती और 2,78,152 सेवा कर निर्धारिती) प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक राजस्व का भुगतान कर रहे थे। हमने जांच हेतु, विभिन्न मानदंडों¹⁴ के आधार पर, 2,772 निर्धारितीयों, जैसा नीचे चित्र 2.1 में दर्शाया गया है, (1,780 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 992 सेवा कर) का चयन किया था।

चार्ट 2.1: लेखापरीक्षा समष्टि और नमूना



इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा विभाग के निगरानी तंत्र की दक्षता का निर्धारण करने के लिए 463 अन्य विभागीय इकाईयों जैसे- लेखापरीक्षा कमिश्नरियां, अपील कमिश्नरियां, डाटा प्रबंधन निदेशालय, कानूनी मामलें निदेशालय, निष्पादन प्रबंधन के महानिदेशक, आदि में से 90 (19.44 प्रतिशत) इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई।

14 उच्च राजस्व, सेनवेट की उच्च प्रतिशता और पीएलए का कम प्रतिशत, मद/सेवाओं की प्रकृति, संव्यवहारों की प्रकृति, जारी किए गए एससीएन की संख्या, पुष्टि किए गए मांग के मामलें, अंतिम सीएजी लेखापरीक्षा का वर्ष, आदि।

2.4 लेखापरीक्षा प्रयास एवं लेखापरीक्षा उत्पाद

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007 के अनुसार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षक मानकों के अनुरूप महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा की गई जिन्होंने विव18 में 1140 विभागीय इकाईयों और 2,772 निर्धारितियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई। संघ वित्त लेखे तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से डाटा/सूचना, बोर्ड की मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) प्रयोग में लाये गये।

विव18 के दौरान, 744 रेंजों में हमने चयनित 2,772 निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत 69,610 विवरणियों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 51,610 तथा सेवा कर 18,000) की जांच की तथा ₹ 1,485.91 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 4,641 आपत्तियां प्रस्तुत की। इन 4,641 आपत्तियों में से, हमने प्रतिवेदन में ₹ 201.32 करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 33.32 करोड़ तथा सेवा कर ₹ 168.00 करोड़) की 102 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 43 तथा सेवा कर 59) महत्वपूर्ण आपत्तियों टिप्पणियों सम्मिलित की गई है। हमने एससीएन तथा अधिनिर्णयन जारी करने, कर आधार विस्तृत करने, क्षेत्रीय संरचनाओं के अपवंचन रोधी, प्रतिदाय आदि जैसे अन्य कार्यों से संबंधित ₹ 732.30 करोड़ के राजस्व वाली 1,788 आपत्तियाँ उठाई तथा इस प्रतिवेदन में ₹ 39.01 करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 0.72 करोड़ तथा सेवा कर ₹ 38.29 करोड़) वाली 125 आपत्तियाँ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 05 तथा सेवा कर 120) सम्मिलित थी।

इसके अलावा, हमने अपील मामलों के निगरानी तंत्र तथा बकाया मामलों के निगरानी तंत्र की जांच की तथा लेखापरीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के अध्याय III तथा अध्याय IV में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा, हमने ₹ 225.22 करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 141.26 करोड़ तथा सेवा कर ₹ 83.96 करोड़) के राजस्व वाली 142 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 45 तथा सेवा कर 97) आपत्तियां भी सम्मिलित की गई है जो पूर्व वर्षों के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की अवधि में सामने आए परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके। सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित

महत्वपूर्ण आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय V तथा VI में की गई है।

2.5 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्यवाही

2.5.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर लेखापरीक्षित सत्वों से हमारी आपत्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की। सीएजी की लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 के विनियम 193 के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के समाप्त होने पर, हम विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

विनियम 197 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा टिप्पणी या एलएआर पर लेखापरीक्षा योग्य इकाई का प्रभारी अधिकारी इसकी प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर जवाब भेजेगा। यदि उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणी या एलएआर में कुछ आपत्तियों पर अन्तिम जवाब प्रस्तुत करना व्यवहार्य न हो तब इस आधार पर पहले जवाब में देरी नहीं की जाएगी और उस संभावित तिथि को दर्शाते हुए अंतरिम उत्तर भेजा जाएगा जिस पर अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के परिपत्र संख्या 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016 में सीएजी लेखापरीक्षा में उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को स्थानीय लेखापरीक्षा पैराग्राफ का जवाब तीस दिन में देने का निर्देश दिया है। परिपत्र इसका भी प्रबंधन करता है कि जोन लम्बित एलएआर पैराग्राफों पर चर्चा एवं इसके निपटान हेतु लेखापरीक्षा के साथ तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित करें।

उक्त विनियमों 193 से 204 के प्रावधानों के अनुसार हमने लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की निगरानी और इनका अनुपालन एवं निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जैसे अनुवर्ती कार्यवाही के लिए लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण आपत्तियों को कमिश्नरी के प्रमुख को भेजना, जोनल प्रमुखों को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्ति भेजना, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें करना आदि।


2.5.2 निम्न तालिका 2.1 विव14 से विव18 के दौरान एलएआर में दर्शायी गयी टिप्पणियों की संख्या और स्थिति और उन पर दिए गए उत्तर एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई आपत्तियां दर्शाती है।

तालिका 2.1: उठाई गई आपत्तियां और उन पर विभाग के जवाब

वर्ष	उठाई गई आपत्तियाँ	स्वीकृत आपत्ति	पहला जवाब प्राप्त नहीं हुआ	स्वीकृत आपत्तियों की प्रतिशतता	पहला उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
विव14	7,064	3,724	1,300	52.72	18.40
विव15	5,957	2,994	1,176	50.26	19.74
विव16	7,099	3,669	1,313	51.68	18.50
विव17	6,656	3,624	1,641	54.45	24.65
विव18	6,429	1,999	3,067	31.09	47.71
कुल	33,205	16,010	8,497	48.22	25.59

हमने पूर्व पांच वर्षों के दौरान 33,205 आपत्तियाँ की जिसमें से विभाग ने 16,010 (48.22 प्रतिशत) आपत्तियों को स्वीकार किया। विभाग ने बहुत सारे मामलों पर पहला जवाब तक प्रस्तुत नहीं किया था जिसमें विव14 में 1,300 मामलों (18.40 प्रतिशत) से विव18 में 3,067 (47.71 प्रतिशत) मामलों तक वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 8,497 मामले हो गए जिनमें प्रथम जवाब प्रतीक्षित था।

2.5.3 चार्ट 2.2 स्थानीय लेखापरीक्षा आपत्तियों¹⁵ की लम्बित स्थिति को दिखाता है।



15 30.09.2017 को उठाई गई एवं 31.03.2018 को बकाया एलएआर आपत्तियां

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित जवाबों में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018¹⁶ तक 19,887 लंबित आपत्तियां संचित हो गईं।

बहुत बड़ी संख्या में एलएआर आपत्तियों के लम्बित रहने का मुख्य कारण विभाग द्वारा समय पर प्रतिक्रिया का अभाव है। लम्बित आपत्तियों के समयवार विश्लेषण से पता चला कि 8,422 (42.37 प्रतिशत), 2,101 (10.57 प्रतिशत) 2,636 (13.26 प्रतिशत), 3,800 (19.12 प्रतिशत) 2,928 (14.73 प्रतिशत) क्रमशः पांच वर्षों, चार वर्षों, तीन वर्षों, दो वर्षों और एक वर्ष से ज्यादा समय से लम्बित थे। एलएआर आपत्तियों के बड़े संग्रहण से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय संरचनाओं ने बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया। बोर्ड/मंत्रालय को इसके अनुदेशों के अनुपालन एवं प्रभाविकता सुनिश्चित करने और अननुपालन के मामलों में जवाबदेही निर्धारित करने के लिए उचित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

2.5.4 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुरोध पर वसूली

विव18 के दौरान, विभाग ने स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान विव18 तक 1,614 उठाए गए मामलों में ₹ 29.40 करोड़ की वसूली की।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा¹⁷ के अनुरोध पर वसूली

	स्वीकृत		वसूलियां	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,918	123.33	833	12.02
सेवाकर	2,361	517.39	781	17.38
कुल	5,279	640.72	1,614	29.40

2.5.5 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (इस वर्ष के प्रतिवेदन सहित) में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित ₹ 3,351.46 करोड़ के 1,295 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को सम्मिलित किया था।

16 30.09.2017 को उठाई गई एवं 31.03.2018 को लंबित एलएआर आपत्तियां

17 एलएआर आपत्तियों पर की गई वसूलियों जिन्हें सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्यवाही

(₹ करोड़ में)

वर्ष		विव14	विव15	विव16	विव17	विव18	कुल
सम्मिलित पैराग्राफ	सं.	246	231	255	300	263	1,295
	राशि	897.19	534.37	435.56	1,018.79	465.55	3,351.46
स्वीकृत पैराग्राफ	15.11.18 सं.	232	213	237	269	230	1,181
	पर राशि	568.29	510.17	384.78	548.56	345.22	2,357.02
प्रभावित वसूलियां	15.11.18 सं.	134	139	178	160	122	733
	पर राशि	194.75	83.27	110.97	372.15	68.15	829.29

मंत्रालय ने ₹ 2,357.02 करोड़ की 1,181 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकृत की थी और 733 मामलों में ₹ 829.29 करोड़ वसूल किये थे।

2.6 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कुल लेखापरीक्षा आपत्तियों में से, हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व मंत्रालय को टिप्पणी हेतु महत्वपूर्ण आपत्तियां जारी की थी। हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व मंत्रालय को उन्हें जारी मामलों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए छः सप्ताह दिए थे। हमने वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹ 465.55 करोड़ की 369 आपत्तियों वाले 263 ड्राफ्ट पैराग्राफ सम्मिलित किए। मंत्रालय ने सभी ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर प्रस्तुत किए जिनमें से तीन ड्राफ्ट पैराग्राफ अर्थात् सीबीआईसी में अपील मामलों के निगरानी तंत्र, सीबीआईसी में बकाया मामलों की वसूली का निगरानी तंत्र तथा सीबीआईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं के अन्य कार्यों के उत्तर आंशिक थे। मंत्रालय ने ₹ 345.22 करोड़ (74.15 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 230 ड्राफ्ट पैराग्राफ (87.78 प्रतिशत) स्वीकार किए।

अध्याय III

सीबीआईसी में अपील मामलों हेतु निगरानी तंत्र

3.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अपील

सरकारी राजस्व संग्रह करते समय निर्धारिती और विभाग के बीच में मतभेद और विवाद होना स्वाभाविक है। क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग में विवाद समाधान के लिए सुपरिभाषित तंत्र विकसित किया गया है।

प्रत्येक प्रक्रिया, गैर/कम शुल्क उदग्रहण या किसी अन्य कारणों से राजस्व की वसूली के लिए कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने के साथ शुरू होती है। एससीएन उस आधार को प्रस्तुत करता है जिस पर मंत्रालय ने एक विशिष्ट मत बनाया है। उक्त आधार को तैयार करते समय विभाग नोटिस प्राप्तकर्ता को संबंधित सभी तथ्यों, साक्ष्यों रिपोर्टों एवं कानूनों का खुलासा करता है और उसके दोषों के ब्यौरे देगा तथा कम किये भुगतान या गैर-भुगतान के साथ उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्यवाई का पूर्ण विवरण देता है। तब एससीएन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। निर्णय के आदेश के खिलाफ, निर्धारिती के साथ साथ विभाग भी अपील के लिए जा सकते हैं।

3.2 सीबीआईसी में अपील की प्रक्रिया

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 का अध्याय VI ए अपील के लिए प्रावधान निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 35 और 36 में कमिश्नर (अपील), अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रावधान हैं। अपीलों से संबंधित अधिनियम के प्रावधान को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार सेवा कर पर लागू किया गया है।

निर्धारिती और विभाग दोनों को नियमों और अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध बहुस्तरीय उपायों का अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के लिए प्रथम अपील कमिश्नर (अपील) को और उसके पश्चात

अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्त में सर्वोच्च न्यायालय के पास की जाएगी।

3.3 अपील मामलों की निगरानी

अपील मामलों की निगरानी और समग्र आंकड़ों का रखरखाव कमिश्नरी, डिविजन और रैंज द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय तक फाइल करने वाली अपील का निर्णय क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा होता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय बोर्ड के स्तर पर होता है और क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) के माध्यम से बोर्ड में कानूनी मामलों के निदेशालय (डीएलए) द्वारा निगरानी की जाती है।

3.4 लेखापरीक्षा कवरेज

आंकड़ों के रखरखाव और बोर्ड स्तर पर अपील तन्त्र की निगरानी की पर्याप्तता की जांच के लिए हमने विभिन्न मंचों पर लंबित अपील से संबंधित डीएलए के अभिलेखों/डाटा की जांच की। हमने सेस्टेट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों से संबंधित 28 कमिश्नरियों¹⁸ के डाटा/अभिलेखों की भी जांच की।

3.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने बोर्ड स्तर पर क्षेत्रीय संरचना डाटा के रख-रखाव न करने, बोर्ड एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनुरक्षित डाटा में विसंगतियों तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के अनुदेशों के अननुपालन अर्थात् न्यायालय निर्णयों की समीक्षा में विलंब, जल्द सुनाई के लिए अपील फाइल न करना समान मामलों की बंचिंग, अपील फाइल करने में विलंब और विभाग की तरफ से हुई चूक के कारण विभाग की अपील के खारिज होने के मामले देखे थे। आपत्तियों पर चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

18 अहमदाबाद उत्तर, बेलागावी, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु उत्तर पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, बोलपुर, चेन्नई बाहरी, दमन, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम, डिब्रुगढ, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मैंगलोर, मैसूर, शिलांग, सिलीगुड़ी, सूरत, त्रिची

3.5.1 विभिन्न मंचों पर लम्बित अपील मामले

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निम्न तालिका 3.1 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित विभिन्न मंचों पर अपीलों का लम्बन दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में लम्बित अपीलों

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंच	वर्ष के अंत में लंबित अपील					
		विभागीय अपीलों का विवरण		पार्टी की अपीलों का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	977	5,804	581	2,267	1,558	8,071
	उच्च न्यायालय	3,170	10,329	3,528	9,005	6,698	19,334
	सेस्टेट	7,120	11,915	30,201	65,760	37,321	77,675
	निपटान आयोग	0	0	71	77	71	77
	कमिश्नर (अपील)	2,243	359	12,711	3,047	14,954	3,406
	कुल	13,510	28,407	47,092	80,156	60,602	1,08,563
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	1,054	9,121	501	2,644	1,555	11,765
	उच्च न्यायालय	3,149	9,325	3,285	10,045	6,434	19,370
	सेस्टेट	4,660	11,374	23,136	58,668	27,796	70,042
	निपटान आयोग	0	0	28	50	28	50
	कमिश्नर (अपील)	1,687	492	8,249	2,999	9,936	3,491
	कुल	10,550	30,312	35,199	74,406	45,749	1,04,718

स्रोत:- मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि विव18 के अन्त में ₹ 1,04,718 करोड़ के राजस्व वाले लंबित अपीलों में 45,749 मामलें लंबित थे जिसमें विव17 के अन्त में लंबित रकम से 3.50 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की गयी। आगे यह देखा गया की पार्टियों की अपीलों में विव17 में ₹ 80,156 करोड़ की 47,092 अपीलों से विव18 में ₹ 74,406 करोड़ की 35,199 अपीलों की कमी आई। जबकि विभागीय मामलों की संख्या में विव17 में 13,510 से विव18 में 10,550 तक कमी आई लेकिन विव17 में सम्मिलित राजस्व में ₹ 28,407 करोड़ रुपये से विव18 में ₹ 30,312 करोड़ तक वृद्धि हुई। यह भी देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की राशि में विव17 में ₹ 8,071 करोड़ से विव18 में ₹ 11,765 करोड़ तक की वृद्धि हुई थी।

चूंकि अपीलों के लंबित रहने तक राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, अतः ₹ 1,04,718 करोड़ के संभावित राजस्व को सरकारी कोष में लाने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा इनके जल्द निपटान के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है।

निम्न तालिका 3.2 में विभिन्न मंचों पर सेवाकर से संबंधित अपीलों का लम्बन दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: सेवा कर में अपीलों का लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंच	वर्ष के अंत में लंबित अपील					
		विभागीय अपीलों का विवरण		पार्टी की अपीलों का विवरण		कुल	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि	अपीलों की संख्या	शामिल राशि
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	508	6,116	220	2,031	728	8,147
	उच्च न्यायालय	917	3,067	2,549	9,383	3,466	12,450
	सेस्टेट	5,610	15,506	21,737	78,821	27,347	94,327
	निपटान आयोग	0	0	75	189	75	189
	कमिश्नर (अपील)	2,513	497	16,720	6,398	19,233	6,895
	कुल	9,548	25,186	41,301	96,822	50,849	1,22,008
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	615	6,578	251	7,032	866	13,610
	उच्च न्यायालय	1,023	5,338	2,721	10,086	3,744	15,424
	सेस्टेट	4,584	13,401	20,076	72,748	24,660	86,149
	निपटान आयोग	1	1	58	253	59	254
	कमिश्नर (अपील)	2,332	764	12,057	4,706	14,389	5,470
	कुल	8,555	26,082	35,163	94,825	43,718	1,20,907

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि अपीलों में सेवाकर राजस्व ₹ 1,20,907 करोड़ की राशि के मामले विव18 में अन्त में लंबित थे जिनमें विव17 के अन्त में लम्बित राशि से एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। यह भी देखा गया कि हालांकि कुल अपीलों में विव17 में 50,849 से विव18 में 43,718 तक कमी आई, सर्वोच्च न्यायालय में अपील मामलों में विव17 में ₹ 8,147 करोड़ मूल्य के 728 मामलों से विव18 में ₹ 13,610 करोड़ मूल्य के 866 मामलों तक वृद्धि हुई और उच्च न्यायालय में विव17 ₹ 12,450 करोड़ मूल्य के 3,466 मामलों से विव18 में ₹ 15,424 करोड़ मूल्य के 3,744 मामलों तक वृद्धि हुई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि अपील मामलों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है और आंकड़ों से संबंधित रखरखाव एवं निगरानी के लिए डीएलए उत्तरदायी है। राजस्व के बकायों का कर वसूली सेल द्वारा शीर्ष स्तर पर पता लगया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य प्रकृति का है क्योंकि लंबित मामलों में शामिल रकम में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई। हमारी जांच के दौरान हमने देखा कि क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अपील मामले से संबंधित कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था जिसका उल्लेख अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

3.5.2 अपील मामलों का निपटान

निम्न तालिका 3.3 में पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित विभिन्न मंचों से निपटाए गये मामलों की स्थिति को दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3.3: पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपील मामलों का ब्यौरा

वर्ष	मंच	विभागीय अपीलों				पार्टी की अपीलों			
		विभाग के पक्ष में निर्णीत	विभाग के विरुद्ध निर्णीत	वापस भेजे	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णीत	पार्टी के विरुद्ध निर्णीत	वापस	पार्टी की सफल अपीलों का %
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	27	204	8	11.30	21	36	8	32.31
	उच्च न्यायालय	165	1,212	26	11.76	296	359	80	40.27
	सेस्टेट	422	3,179	275	10.89	4,260	1,056	1,199	65.39
	निपटान आयोग	0	0	0	0	13	45	4	20.97
	कमिश्नर (अपील)	395	573	51	38.76	4,759	3,328	383	56.19
	कुल	1,009	5,168	360	15.44	9,349	4,824	1,674	59.00
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	37	79	12	28.91	93	38	35	56.02
	उच्च न्यायालय	142	693	69	15.71	302	300	147	40.32
	सेस्टेट	674	1,769	392	23.77	5,080	1,975	2,302	54.29
	निपटान आयोग	0	0	0	0	5	27	8	12.50
	कमिश्नर (अपील)	895	916	111	46.57	4,685	5,692	1,028	41.08
	कुल	1,748	3,457	584	30.20	10,165	8,032	3,520	46.81

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि विभाग की अपीलों की सफलता दर में विव17 में 15.44 प्रतिशत से विव18 में 30.20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

जबकि पार्टियों की अपीलों की सफलता की दर में विव17 में 59 प्रतिशत से विव18 में 46.81 प्रतिशत तक कमी आई थी। यह भी देखा गया कि विभाग की विव18 में अपीलों की सफलता की दर पार्टियों की अपीलों की तुलना में सेस्टेट (54.29 प्रतिशत के प्रति 23.77 प्रतिशत), उच्च न्यायालय (40.32 प्रतिशत के प्रति 15.71 प्रतिशत) और सर्वोच्च न्यायालय में (56.02 प्रतिशत के प्रति 28.91 प्रतिशत) बहुत कम है।

निम्न तालिका 3.4 में पिछले दो वर्षों के दौरान सेवा कर से संबंधित विभिन्न मंचों से निपटाए गए मामलों को दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: पिछले दो वर्षों के दौरान सेवाकर के अपील मामलों का ब्यौरा

वर्ष	मंच	विभागीय अपीलें				पार्टी की अपीलें			
		विभाग के पक्ष में निर्णीत	विभाग के विरुद्ध निर्णीत	वापस भेजे	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णीत	पार्टी के विरुद्ध निर्णीत	वापस	पार्टी की सफल अपीलों का %
विव17	सर्वोच्च न्यायालय	9	14	4	33.33	2	6	9	11.76
	उच्च न्यायालय	29	204	10	11.93	139	346	79	24.65
	सेस्टेट	198	1,508	135	10.76	1,560	644	635	54.95
	निपटान आयोग	0	0	0	0	17	53	4	22.97
	कमिश्नर (अपील)	485	781	122	34.94	4,026	3,803	2,098	40.56
	कुल	721	2,507	271	20.61	5,744	4,852	2,825	42.80
विव18	सर्वोच्च न्यायालय	1	61	26	1.14	3	4	6	23.08
	उच्च न्यायालय	20	171	117	6.49	124	286	110	23.85
	सेस्टेट	393	754	274	27.66	1,920	855	1250	47.70
	निपटान आयोग	0	0	0	0	6	35	13	11.11
	कमिश्नर (अपील)	631	847	341	34.69	4,140	6,462	1,849	33.25
	कुल	1,045	1,833	758	28.74	6,193	7,642	3,228	36.29

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

तालिका दर्शाती है कि विभाग की अपीलों की समग्र सफलता की दर में विव17 में 20.61 प्रतिशत से विव18 में 28.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया कि विव18 में विभाग की अपीलों की सफलता की दर पार्टियों की अपीलों की तुलना में सेस्टेट (47.70 प्रतिशत के प्रति 27.66 प्रतिशत), उच्च न्यायालय (23.85 प्रतिशत के प्रति 6.49 प्रतिशत) और सर्वोच्च न्यायालय में (23.08 प्रतिशत के प्रति 1.14 प्रतिशत) बहुत कम थी। इसके

अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में विभाग की अपीलों की सफलता की दर में विव17 में 33.33 प्रतिशत से विव18 में 1.14 प्रतिशत की कमी हुई है। उसी प्रकार, उच्च न्यायालय के मामलों में यह कमी विव17 के 11.93 प्रतिशत से विव18 में 6.49 प्रतिशत की है।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) की यह केवल सांख्यिकीय आंकड़े हैं जिनकी निगरानी डीएलए द्वारा की जा रही है। विभाग की सफलता दर की कमी और उसके कारणों पर कोई टिप्पणियां नहीं की गई है। मंत्रालय को चाहिये कि विभाग की अपीलों की सफलता की निम्न दर की जांच करें और उचित उपाय करें।

3.5.3 बोर्ड स्तर पर अपीलों की निगरानी करना

जैसे कि बोर्ड के आदेश एफ.स. 275/20/2016-सीएक्स.8ए दिनांक 10 जून 2016, में यथा परिकल्पित है, डीएलए बोर्ड क्षेत्रीय संरचनाओं के और इनके कानूनी और न्यायिक कार्यों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। डीएलए को आवश्यक है कि बोर्ड के साथ, मुख्य विभागीय प्रतिनिधि (सीडीआर) कार्यालय, कानून मंत्रालय, प्रणाली निदेशालय, बोर्ड की क्षेत्रीय संरचनाओं, कानूनी मामलों के विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग (सीएएस), वरिष्ठ कानून अधिकारियों, सरकारी वकील इत्यादि के साथ नजदीकी समन्वय से कार्य करें। डीएलए को अखिल भारतीय स्तर पर आधारित सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेस्टेट से संबंधित अपीलों का कानूनी और न्यायिक डाटाबेस के रखरखाव और निगरानी का भी अधिदेश प्राप्त है। हमने डीएलए में अपीलों से संबंधित डेटा रखरखाव प्रणाली और निगरानी तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच की। हमारे संज्ञान में आई कुछ आपत्तियां इस प्रकार हैं:

3.5.3.1 बोर्ड स्तर पर क्षेत्रीय संरचनाओं के निष्पादन के निगरानी तंत्र में कमियां

हमने देखा कि डीएलए में जोन/कमिश्नरी वार रिपोर्ट का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था अथवा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, डीएलए ने बताया कि केवल अखिल भारतीय स्तर पर समेकित आंकड़े ही उपलब्ध थे जिसे आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय

(डीडीएम) द्वारा अनुरक्षित प्रणाली से डाउनलोड किया जाता है और बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। डीएलए ने आगे सूचित किया कि सभी कमिश्नरियों के लिए आकड़ें डाउनलोड करना अधिक समय लेने वाला कार्य होगा तथा क्षेत्रीय संरचनावार सूचना को समेकित करने में तीन माह लगेंगे। जोन/कमिश्नरी-वार प्रतिवेदनों का गैर अनुरक्षण, जोन/कमिश्नरियों में अपीलों की स्थिति की निगरानी के अभाव तथा बोर्ड द्वारा योजना/समीक्षा तथा निपटान हेतु निर्देश जारी करने की गैर मौजूदगी को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि विभिन्न अपीलिय मंचों पर लंबित अपीलों से संबंधित डाटा का रखरखाव डीडीएम द्वारा इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा रहा है। डीएलए डाटाबेस का कार्यकारी स्वामी है और उन डाटा के ऑनलाइन अनुरक्षण में मदद करता है। क्षेत्रवार और कमिश्नरी वार आंकड़े डीडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है जोकि अनुकूलित कमांड डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। आगे यह बताया गया है कि अपीलों के मासिक आंकड़ों का प्रयोग बोर्ड द्वारा लंबन की निगरानी के लिए और योजनाओं/रणनीति का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसके आधार पर अपीलों के निपटान के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी किए जाते हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है यद्यपि डीडीएम द्वारा अनुरक्षित सिस्टम में विस्तृत आंकड़ें उपलब्ध थे, डीएलए जोनो/ कमिश्नरियों के निष्पादन की निगरानी हेतु इसका उपयोग नहीं कर रहा था क्योंकि सिस्टम कमिश्नरी-वार समेकित-रिपोर्ट की डाउनलोडिंग में सक्षम नहीं है। डीएलए को आंकड़ों का अधिक प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन कराने चाहिए।

3.5.3.2 सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील मामलों के संबंध में डाटाबेस का अनुचित अनुरक्षण

डीएलए बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाओं की नोडल-एजेंसी है तथा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील मामलों से संबंधित डाटाबेस की निगरानी और रखरखाव के लिए अधिदेशित है। तदनुसार डीएलए से स्वीकृत मामलों की निगरानी के लिए एक डाटाबेस का रखरखाव करना और कानून अधिकारियों और सलाहकार सहित कानून एवं न्याय मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और

कानून मंत्रालय के केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग के बीच संबंध स्थापित करना अपेक्षित है।

हमने डीएलए से सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों के 3006 लंबित मामलों का विवरण एकत्र किया। मार्च 2018 वर्ष के अन्त में आंकड़ों के विवरणों की संवीक्षा में अनियमितताएं पाई गईं जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

- (i) 146 मामलों में सिविल अपील डायरी संख्या उल्लिखित नहीं थी।
- (ii) 102 मामलों में सिविल अपील/विशेष अवकाश याचिका संख्या और वर्ष उल्लिखित नहीं थी।
- (iii) 74 मामलों में सेस्टेट/उच्च न्यायालय आदेश संख्या उल्लिखित नहीं थी।
- (iv) 67 मामलों में 'शामिल मुद्दा' उल्लिखित नहीं था।
- (v) 11 मामलों में 'अन्तिम दिनांक सूचीबद्ध' उपलब्ध नहीं थी।
- (vi) 1,526 मामलों में केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग संख्या और वर्ष उल्लिखित नहीं था।
- (vii) छः मामलों में कमिश्नरी का नाम उल्लिखित नहीं था।
- (viii) डाटा बेस में इकाईयों के राजस्व आंकड़ों की इकाई भी एकरूप नहीं थी। विभिन्न मामलों में इसे रूपयों में, हजार में, लाख में या करोड़ में दर्शाया था। इसके अलावा, 123 मामलों में, आंकड़ें शून्य से दर्शाये गये या कॉलम को खाली छोड़ा गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2018), मंत्रालय ने यह कहते हुए टिप्पणी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं का डीएलए द्वारा केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग (सीएएस) और क्षेत्रीय संरचनाओं के परामर्श से संशोधन किया गया है/संशोधन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आंकड़ों में अपूर्णता/कमियों का प्रभाव न केवल डीएलए में अपील मामलों की निगरानी पर पड़ता है अपितु यह बोर्ड को शामिल राजस्व और अन्य सूचना का गलत चित्रण करता है।

3.5.3.3 मासिक निष्पादन रिपोर्ट (एमपीआर) में दर्शाए गये अपील मामलों के आंकड़ों में विसंगति

निगरानी तंत्र के भाग के रूप में, सभी क्षेत्रीय संरचनाओं से विभिन्न मंचों पर लंबित अपील मामलों की स्थिति को एमपीआर के रूप में उपलब्ध कराना अपेक्षित है और डीएलए से अपेक्षित है कि एमपीआर को समेकित करें तथा इसकी अखिल भारतीय स्थिति को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

हमने डीएलए द्वारा अनुरक्षित एमपीआर आंकड़ों में कुछ अनियमितताएं देखी जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

- (i) मार्च 2018 माह के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के एमपीआर में दर्शाए गए अपील मामलों के संख्या और राशि के अन्त शेष की गणना गलत थी (अन्त शेष की गणना आदि शेष के रूप में वर्ष के दौरान अपीलों के नए मामलों को जोड़कर व वर्ष के दौरान निपटान किये गये मामलों को घटाकर की गई) जैसा तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: मार्च 2018 की एमपीआर में दर्शाई गई अन्त शेष में विसंगति

(₹ करोड़ में)

	निम्न द्वारा दायर अपीलों	अन्त शेष (मार्च 2018 एमपीआर के अनुसार)		अन्त शेष (लेखापरीक्षा गणना के अनुसार)		अंतर	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	विभाग	10,550	30,312	11,806	35,547	(-)1,256	(-)5,235
	पार्टी	35,199	74,406	41,632	86,518	(-)6,433	(-)12,112
सेवाकर	विभाग	8,555	26,082	10,003	35,596	(-)1,448	(-)9,514
	पार्टी	35,163	94,825	40,810	1,21,430	(-)5,647	(-)26,605

अंतर का एक कारण था कि जून 2017 के एमपीआर में अंतिम शेष को जुलाई 2017 के एमपीआर में आदि शेष के रूप में यथोचित नहीं लिया गया था। इसी प्रकार क्षेत्रीय संरचनाओं में समान अनियमितताएं देखी गईं जैसे हमने देखा कि दिल्ली उत्तर कमिश्नरी में जून 2017 (73 मामलों में ₹ 217.37 करोड़ की राशि) के अन्त शेष को जुलाई 2017 (8 मामलों में ₹ 46.93 करोड़ की राशि) के आदि शेष में त्रुटिपूर्ण लिया था। इसी प्रकार, पूर्वी

दिल्ली कमिश्नरी में जून 2017 के अन्त शेष को (42 मामलों में ₹ 112.05 करोड़ की राशि) जुलाई 2017 के लिए आदि शेष (15 मामलों में ₹ 3.26 करोड़ की राशि) त्रुटिपूर्ण लिया गया था।

(ii) हमने निपटान किये गये मामलों के आंकड़ों में भी विसंगति देखी, जैसे आंकड़ों का उनके ब्यौरों से मिलान नहीं हुआ अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में विभाग के पक्ष में निर्णय, निर्धारिती के पक्ष में निर्णय, अशत: अनुमति, प्रति प्रेषण हस्तांतरण (डीएलए सीई-1 और डीएलए सीई-2 विवरण के अनुसार) और सेवा कर (डीएलए एसटी-1 और डीएलए एसटी-2 के विवरण के अनुसार)। जैसे तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: मार्च 2018 की एमपीआर में दिखाये उनके ब्यौरों के संदर्भ में निपटाए गए कुल अपील मामलों की संख्या में अन्तर

	निम्न द्वारा दायर अपील	कुल निष्पादित मामले (1)	विव18 के दौरान निर्णीत मामलों के ब्रेकअप					अन्तर [सं. 1-(2+3+4+5+6)]
			विभाग के पक्ष में निर्णीत (2)	विभाग के विरुद्ध निर्णीत (3)	अशत: अनुमत (4)	प्रति प्रेषित (5)	हस्तांतरित (6)	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	विभाग	6,697	1,748	3,457	238	584	132	538
	पार्टी	26,611	8,032	10,165	1,932	3,520	489	2,473
सेवाकर	विभाग	4,042	1,045	1,833	142	758	21	243
	पार्टी	22,463	7,642	6,193	3,598	3,228	450	1,352

जब हमने इसे बताया (जून 2018), मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि एमपीआर डीडीएम वेबसाईट पर ऑनलाइन अनुरक्षित की जाती है और आपत्तियां डीडीएम से संबंधित है। अंत: शेष का गलत मिलान सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण है। लेखापरीक्षा आपत्ति को डीडीएम को भेजा गया था (अगस्त 2018) जिसमें उनसे त्रुटियों के संशोधन करने और डीएलए को एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा को अनुपालन प्रस्तुत करने के अनुरोध किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीएलए अपील मामलों की निगरानी के लिए नोडल एजेन्सी होने के नाते सीधे तौर पर लेखापरीक्षा को सूचित करने के लिए डीडीएम को लेखापरीक्षा आपत्तियां भेजने के बजाय आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करना है। यह भी दर्शाता है कि आंकड़ों का कार्यकारी स्वामी

होते हुए, डीएलए डीडीएम द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों की निगरानी नहीं कर रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्तर पर, बोर्ड को प्रस्तुत किए जा रहे, आंकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

3.5.3.4 सर्वोच्च न्यायालय मामलों और एमपीआर के संबंध में डीएलए द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगति

सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में डीएलए द्वारा अनुरक्षित कुल अपील मामलों¹⁹ और एमपीआर में दर्शाए गए उक्त के आंकड़ों के बीच अंतर था। जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।:

तालिका 3.7: सर्वोच्च न्यायालय अपील मामलों के आंकड़ों में विसंगति

वर्ष	डीएलए द्वारा दिये गये एमपीआर के अनुसार कुल मामले	डीएलए द्वारा अनुरक्षित विस्तृत आंकड़ों के अनुसार कुल मामले	अन्तर
विव16	2,925	2,975	50
विव17	2,946	3,323	377
विव18	3,080	3,006	(-)74

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2018) तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि मैनुअल आंकड़ों का बेमेल होना एक सामान्य घटना है। डीएलए के अन्तर्गत विशेष निगरानी सेल अपने आंकड़ा पत्र को प्रतिदिन अद्यति करता है। जबकि, क्षेत्रीय संरचना, निर्णय की सत्यापित प्रतियों की प्राप्ति पर और कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद यह कार्य करता है जिसमें समय लगता है। ऐसे गलत-मिलानों का मिलान समय-समय पर किया जाने वाला अभ्यास है और इसे वर्तमान मामलों में भी मिलान किया गया था।

बोर्ड/मंत्रालय को प्रभावी निगरानी के लिए बोर्ड को भेजे गये आंकड़ों की शुद्धता और आंकड़ों के समय पर मिलान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। कमिश्नरियों द्वारा अनुवर्तित मामलों के मूलभूत आंकड़ों में अन्तर एक गंभीर मामला है और जिसे तत्त्वगत आधार पर सुलझाने की जरूरत है।

19 केन्द्रीय उत्पाद, सेवा कर, सीमाशुल्क के अपील मामलों को शामिल करता है।

3.5.3.5 उच्च राजस्व मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बोर्ड के दिशा निर्देशों का अननुपालन

बोर्ड ने अ.प.सं. 1080/24/डीएलए/तकनीक/बैठक-मुकदमा/17(भाग) दिनांक 25 अगस्त 2017 के अनुसार अवलोकन किया कि 30 जून 2017 को ₹ 10 करोड़ अथवा उससे अधिक राजस्व वाले 3,047 मामले सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सेस्टेट में एक वर्ष से अधिक से लंबित थे और शीघ्र सुनवाई/रोक हटाने हेतु विविध आवेदनों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय/ सेस्टेट में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु केन्द्रीय जीएसटी और सीमा शुल्क निपटान हेतु सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रा. आयुक्त को निर्देशित किया।

क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा इस पर की गई कार्यवाही और डीएलए द्वारा इसकी निगरानी की जांच पर हमने देखा (जुलाई 2018) कि ₹ 10 करोड़ और अधिक के शामिल राजस्व के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए 63 अन्तर्गत आवेदनों को शीघ्र सुनवाई हेतु दायर किया गया है। सेस्टेट और उच्च न्यायालय में 197 मामलों भी आवेदन दिये गये थे। इस प्रकार, 3,047 मामलों में से केवल 260 मामलों (8.53 प्रतिशत) पर ही कार्यवाही की गई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि 3,047 में से, प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ उससे अधिक के शामिल राजस्व मामले विभागीय मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विभागीय मामलों की कुल संख्या 201 है, इनमें से, 63 मामलों में शीघ्र सुनवाई वाले आवेदनों को पहले ही दायर किया जा चुका है। और 11 मामलों में शीघ्र सुनवाई के आवेदनों का मसौदा प्रक्रिया धीन है। पार्टी में दायर अपील जहां स्टे स्वीकृत किया गया है, विभाग ने वहां बड़ी राजस्व के शामिल होने के मामले में आईए द्वारा स्टे छोड़ने के लिए कदम उठाये हैं। आगे, क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार सेस्टेट और उच्च न्यायालय में 197 आवेदनों को दर्ज किया गया है।

मंत्रालय के उत्तर से स्पष्ट है कि 3,047 मामलों में से केवल 271 मामलों (8.89 प्रतिशत) पर कार्यवाही की गई/या की जा रही थी।

बोर्ड/मंत्रालय को इस संबंध में सभी संबंधितों द्वारा इसके दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.5.4 क्षेत्रीय संरचनाओं में अपील मामलों की निगरानी

हमने 28 कमिश्नरियों में अपील मामलों के संबंध में डाटा बेस के रखरखाव और इसकी निगरानी की जांच की। हमने अपील मामलों के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा रखे गए डाटा में विसंगति देखी। हमने प्रक्रियाओं/निर्देशों के गैर-अनुपालन के उदाहरणों को भी देखा, जिसके परिणाम स्वरूप मामलों के गैर-निपटान के साथ-साथ विभाग के खिलाफ मामलों का निपटान भी हुआ है। अभियुक्तियों पर अगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.5.4.1 अपील मामलों के आंकड़ों का अनुचित अनुरक्षण

(i) हमने चार कमिश्नरियों²⁰ द्वारा रखे गए और एमपीआर में दर्शाये गये आंकड़ों में विसंगति को देखा जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- अहमदाबाद कमिश्नरी में, एक वर्ष से भी कम समय के लिए वास्तव में लंबित 224 मामलों के प्रति 345 मामले सेस्टेट (अनुलग्नक एसटी-2) में लंबित के तौर पर दिखाए गए थे।
- कोच्चि कमिश्नरी में, एमपीआर में दर्शाए गए सेस्टेट में लंबित मामलों (933) की संख्या समीक्षा सेल (1,461) द्वारा रखे गए आंकड़ों से अलग थी।
- दक्षिण दिल्ली कमिश्नरी में, सर्वोच्च न्यायालय (अनुलग्नक सी ई-6) में लंबित के रूप में दर्शाए गए चार मामलों में ₹ 1,515.02 करोड़ की राशि शामिल है जो विधि सेल द्वारा रखे गए डाटा में उपलब्ध नहीं थी।
- हैदराबाद कमिश्नरी में, विवरण में उच्च न्यायालय के मामलों की संख्या और राशि के अंत शेष में भिन्नता थी जैसे सीई-1 (23 मामले, ₹ 9.60 करोड़), सीई-2 (7 मामले, ₹ 9.19 करोड़), सीई-6 (0, ₹ 54.93

20 अहमदाबाद, कोच्चि, दक्षिण दिल्ली, हैदराबाद

करोड़), एसटी-1 (4 मामले, ₹ 61.71 करोड़), एसटी-2 (14 मामले ₹ 4.20 करोड़), एसटी-6 (1 मामला, ₹ 60.80 करोड़)

- हैदराबाद कमिश्नरी में, सेस्टेट मामलों में सीई-2 (1 मामला, ₹ 0.65 करोड़) एसटी-1 (211 मामलों ₹ 799.38 करोड़), एसटी-2 (452 मामले, ₹ 2,830.04 करोड़) और एसटी-6 (59 मामले, ₹ 2,133.91 करोड़) में इसी तरह की भिन्नता देखी गई थी

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि सभी कमिश्नरियों में विसंगति का समाधान कर लिया गया है।

(ii) हमने पांच कमिश्नरियों²¹ में उनके एमपीआर में दर्शाए गए लेखापरीक्षा और आंकड़ों के लिए विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों में विसंगति देखी जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- चेन्नई आउटर कमिश्नरी में, उच्च न्यायालय के कुल लम्बित मामलों (211 मामले) और सेस्टेट (18 मामलों) एमपीआर में दिखाए गए आंकड़ों (209 मामले) और सेस्टेट (126 मामले) से अलग थे। इसी प्रकार विव18 के दौरान उच्च न्यायालय में (24 मामले) और सेस्टेट (94 मामले) में निपटाए गए मामलों की संख्या, एमपीआर में दर्शाये गये आंकड़ों उच्च न्यायालय (0) सेस्टेट (1 मामला) से अलग थी।
- बंगलुरु दक्षिण कमिश्नरी में, विव16 (16 मामले), विव17 (22 मामले), विव18 (28 मामले) के दौरान निर्धारितियों के पक्ष में निर्णय दिए गए मामलों की संख्या एमपीआर के आंकड़ों, विव16 (33 मामलों), विव17 (67 मामले), विव18 (93 मामले) से अलग थे।
- अहमदाबाद कमिश्नरी में विव16 (184 मामले), विव17 (247 मामले) और विव18 (85 मामले) के लिए एमपीआर में उपलब्ध आंकड़े विव16 (30 मामले), विव17 (42 मामले) और विव18 (84 मामले) के दौरान सेस्टेट में निपटाए गए अपील मामलों की संख्या से अलग थे।

21 चेन्नई आउटर, बंगलुरु दक्षिण, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता दक्षिण

- सूरत कमिश्नरी में, विव18 (352 मामले) के दौरान सेस्टेट में निपटाए गए मामलों की संख्या विव18 (285 मामले) के लिए एमपीआर के आंकड़ों से अलग थी।
- कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में विव18 के लिए लंबित अपील मामलों के आंकड़े सीई (344 मामले) और एसटी (481 मामले) मुख्य कमिश्नरी कार्यालय में उपलब्ध आंकड़ों सीई (403 मामले) एवं एसटी (490 मामले) से अलग थे।

मंत्रालय ने आपत्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और बताया कि चेन्नई आउटर कमिश्नरी में उच्च न्यायालय मामलों के निपटान की सत्याथ सत्यापित प्रतियां विव18 के दौरान प्राप्त नहीं हुई थी और इस मुद्दे पर कार्यवाही की जा रही है। अहमदाबाद कमिश्नरी में, पूर्व की अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी द्वारा नई सीजीएसटी और सीएक्स अहमदाबाद दक्षिण कमिश्नरी को आंकड़ें प्रदान नहीं किये गये थे। समग्र आदेशों में सेस्टेट द्वारा निपटाए गए कई मामलों के तरीकों में भी अन्तर है। विसंगति, हालांकि, सुधार ली गई थी। सूरत कमिश्नरी में, एमपीआर में केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में शामिल करने के कारण विसंगति उत्पन्न हुई। कोलकाता कमिश्नरी में विसंगतियों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे। बेंगलुरु दक्षिण कमिश्नरी के संबंध में जवाब का इंतजार था।

जवाब इंगित करता है कि क्षेत्र में आंकड़ें सम्मिलित करते समय और उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के दौरान उचित देखभाल की कमी थी। चूंकि उच्च प्राधिकारियों को क्षेत्रीय संरचनाओं के द्वारा प्रस्तुत डाटा अपील मामलों में निपटारे के लिए उचित निगरानी और नीति तैयार करने का आधार है, डाटा के अनुचित रखरखाव और उसे उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने में अपील मामलों की निगरानी की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभाग/मंत्रालय को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा रखे गए आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.5.4.2 क्षेत्रीय संरचना में अपील मामलों का लंबन

हमने देखा कि विव18 के अंत में विभिन्न मंचों में 28 कमिश्नरियों में 19,721 मामलों में शामिल ₹ 69,362 करोड़ बकाया थे। 19,721 मामलों में

से 880 मामलों में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक राजस्व, ₹ 46,451 करोड़ का कुल राजस्व था। इसके साथ 10 वर्ष से अधिक तक 721 मामले लंबित थे। 20 कमिश्नरियां जहां अपीलों में लंबित मामलों में शामिल की गई राशि ₹ 1,000 करोड़ से अधिक थी, जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक लंबित अपील मामलों की कमिश्नरी

कमिश्नरियां	वर्ष 2017-18 के अंत में लंबित मामले		लंबित मामलों का समय-वार ब्रेकअप				ऐसे मामलों जहां ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि शामिल थी	
	सं.	राशि	1-3 साल	3-5 साल	5-10 साल	>10 साल	सं.	राशि
दिल्ली दक्षिण	548	8,516.02	325	148	68	7	71	8,913.61
बेंगलुरु उत्तर	819	6,896.68	411	213	188	7	74	5,814.59
हैदराबाद	1,004	6,271.75	636	127	204	37	124	5,860.32
दिल्ली उत्तर	264	4,489.79	181	35	43	5	12	4,251.43
कोलकाता उत्तर	1,101	4,421.84	559	150	290	102	77	2,615.88
सिलीगुड़ी	1,058	4,092.91	570	185	246	57	5	78.90
दमन	1,633	4,053.97	1,228	260	132	13	28	2,462.72
कोलकाता दक्षिण	740	3,665.24	353	115	215	57	74	2,088.13
सूरत	1,291	3,330.50	569	413	268	41	47	2,355.35
बेंगलुरु दक्षिण	918	2,906.17	257	249	391	21	53	1,885.53
बोलपुर	781	2,814.63	486	141	121	33	59	1,554.53
हावड़ा	788	2,255.33	539	123	53	73	43	140.27
कोच्चि	1,977	1,894.99	1,441	348	177	11	18	361.05
बेंगलुरु पूर्व	970	1,727.33	459	220	247	44	35	795.42
हल्दिया	409	1,711.27	193	17	183	16	21	1,312.40
मंगलौर	968	1,492.60	469	246	229	24	19	1,002.52
दिल्ली पूर्व	286	1,480.16	191	45	38	6	14	591.23
अहमदाबाद	1,063	1,336.34	687	148	214	14	15	891.32
बेंगलुरु उत्तर पश्चिम	606	1,112.62	211	209	177	9	12	581.62
त्रिची	659	1,017.61	273	179	188	19	19	546.53
कुल	17,883	65,487.74	10,038	3,571	3,672	596	820	44,103.36

विव18 के अंत में 20 कमिश्नरियों में यह देखा गया कि अपील में ₹ 65,488 करोड़ के राजस्व के 17,883 मामले लंबित थे। 17,883 मामलों में से 3,672 मामले पांच से दस वर्ष तक लंबित थे जबकि 596 मामले दस

वर्ष से अधिक लंबित थे। इसके अतिरिक्त कुल ₹ 44,103 करोड़ की राशि वाले 820 मामले थे जहां प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक की राशि शामिल थी।

मंत्रालय ने मुख्य स्तर पर बड़े लंबनों में कोई टिप्पणी नहीं की और केवल कमिश्नरियों से प्राप्त उत्तरों को ही अग्रेषित (अक्टूबर 2018) किया जो निम्न प्रकार हैं:

- हैदराबाद, सिलिगुड़ी, सूरत और मंगलौर कमिश्नरियों जहां आवश्यकता हो में शीघ्र सुनवाई आवेदन दायर किये जा रहे थे, और लंबन को कम करने के प्रयास किये जा रहे थे।
- कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में, कमिश्नरियों द्वारा अपीलों की निगरानी की जा रही थी।
- हल्दिया कमिश्नरी के संबंध में, केवल अपील मामलों के आंकड़ें ही दिये गये थे।
- त्रिची कमिश्नरी में, 10 करोड़ से अधिक के 19 मामलों की स्थिति को सूचित किया गया था।
- बोलपुर और बेंगलुरु पूर्व कमिश्नरियों में यह सूचित किया गया था कि 392 और 177 मामलों का क्रमशः अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 के दौरान निपटान किया गया था।
- बेंगलुरु दक्षिण, अहमदाबाद और सात अन्य²² कमिश्नरी के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

अपीलों में बड़ी रकम का अवरूद्ध होना चिंता का विषय है। मंत्रालय को निगरानी और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या उच्च राजस्व मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयास करने के लिए इसके अनुदेशों का अनुपालन क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा किया जा रहा है।

22 दिल्ली दक्षिण, बेंगलुरु उत्तर, दिल्ली उत्तर, दमन, हावड़ा, कोच्चि और दिल्ली पूर्व

3.5.5 क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अधिनियम/ नियमावली/ पद्धतियों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अपील निरस्त होना

अधिनियम/ नियमावली/ प्रक्रियाओं तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के निर्देशों की उचित निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हमने 28 कमिश्नरियों में निपटाए गए कुल 4,286 अपील मामलों में से, 1,833 मामलों की जांच की तथा यह पाया कि 13 कमिश्नरियों से संबंधित ₹ 126.33 करोड़ के राजस्व वाले 60 मामलों (3 प्रतिशत) में, अपीलों को विभाग की ओर से चूकों के कारण सेस्टेट/ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था जैसाकि तालिका 3.9 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 3.9: विभागीय कमियों के कारण सेस्टेट/उच्च न्यायालय में निरस्त अपीलें
(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कमिश्नरी के नाम	निरस्त अपीलों की सं.	राशि	विभाग की कमी
1	दमन	37	51.75	कार्यालय आपत्तियों को हटाया न जाना
2	बेंगलुरु उत्तर	1	0.04	आरंभ में स्वीकृत पुन भुगतान के प्रति नयी एससीएन जारी करना
3	छह कमिश्नरियां ²³	8	65.81	एससीएन समय बाधित
4	बेंगलुरु दक्षिण	1	0.08	अधिनिर्णयन के दौरान निर्धारिती को समुचित अवसर और आधार दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
5	मंगलौर	2	0.78	उचित मंच में अपील दाखिल न किया जाना
6	बेलगाम	1	2.18	एससीएन में शास्ति की मांग न करना लेकिन अधिनिर्णयन चरण में उसकी पुष्टि करना
7	पाँच कमिश्नरियां ²⁴	9	5.64	एससीएन में असत्य या कम जानकारी देना
8	हैदराबाद	1	0.05	अलग एससीएन जारी न करना, पुनर्भुगतान की नीरस्त राशि के लिए प्रस्ताव करना और अपीलकर्ता को कोई अवसर न देना
कुल		60	126.33	

23 बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु दक्षिण, बेलगाम, हल्दिया, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण

24 बोलपुर, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, शिलांग

एक मामले का वर्णन निम्नानुसार है:

हमने पाया कि दमन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले एक निर्धारित (₹ 2.15 करोड़ का राजस्व शामिल) के मामले में, विभाग ने सीईजीएटी आदेश के प्रति गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दायर (फरवरी 2004) की। 26 अप्रैल 2004 को विभाग की अपील को कार्यालय की आपत्तियों²⁵ को हटाये न जाने के कारण निष्पादित दिखाया गया। तथापि, मामले के निपटान का तथ्य विभाग को अक्टूबर 2016 में पता चला जब अगस्त, 2016 में उच्च न्यायालय की वेब साइट पर मामले की स्थिति अद्यतन हुई (विभाग द्वारा तब तक स्थिति लंबित ही दर्शायी जा रही थी)। इसके अतिरिक्त हमने पाया कि 27 अगस्त 2004 को मामले के लिए (स्टैम्प सं. 350/2004) शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किया गया था यद्यपि अप्रैल 2004 में मामले का निपटान किया जा चुका था।

इस प्रकार, विभाग सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से उक्त अपील की स्टेटस निश्चित करने में विफल रहा। इससे अपील मामलों की खराब अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी का पता चलता है। दमन कमिश्नरी के संबंध में निर्धारितियों से संबंधित 2012 से 2016 के बीच विभाग द्वारा दायर 36 अन्य समान अपीलों (₹ 49.60 करोड़ के राजस्व सहित) समान कारणों से गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी। इन 36 मामलों में से, विभाग को न्यायालय द्वारा उनके निपटान के 2 वर्षों से भी अधिक अवधि के पश्चात केवल 16 मामलों के निपटान की जानकारी थी। यह दर्शाता है कि अपील मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही तथा निगरानी तंत्र में गंभीर कमी है।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2018) तो मंत्रालय ने बताया कि (अक्टूबर 2018) 37 अपीलों में से, 18 अपीलों अपील के लिए मौद्रिक सीमा के संशोधित नियमों के कारण वापिस ली जा चुकी है/ वापिस ली जाने की प्रक्रिया में है। शेष मामलों में, उच्च न्यायालय में नवीनीकरण अपील दायर की गई है। मंत्रालय ने मामले की निगरानी में विलंब के लिए विभिन्न कारण जैसे कि अपील मामलों का एकत्रित हो जाना, क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण

25 कागजी कार्यवाही में प्रक्रियात्मक खामियों से संबंधित मामूली आपत्तियां

मुम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर करना, विभाग का पुनर्गठन, सरकारी अधिवक्ता द्वारा स्थिति की सूचना न दिया जाना और उच्च न्यायालय वेबसाइट का अद्यतित न होना बताए।

शेष 23 मामलों के संबंध में, 11 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है और 12 मामलों में मंत्रालय का उत्तर निम्नानुसार है:

आठ मामलों में से (क्रम सं. 03) चार मामलों में मंत्रालय ने विवरण उपलब्ध कराए जो यह दर्शाते हैं कि एससीएन में विस्तारित अवधि का अनुरोध अधिकरण/न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया। चार मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था।

दो मामलों में (क्रम सं. 05) यह कहा गया कि ये मामले निरस्त कर दिये गए क्योंकि इन्हें सेस्टेट में फाइल किया गया था यद्यपि इन्हें रिवीजन आवेदन (आरए) में फाइल किया जाना था।

एक मामले में (क्रम सं. 06) यह कहा गया कि एससीएन में अनुचित धारा के अंतर्गत शास्ति लगाई गई थी और अनुचित धारा के अंतर्गत शास्ति लगाए जाने के लिए विभाग की अपील निरस्त कर दी गई। विभागीय कमियों के कारण ₹ 2.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

नौ मामलों में से (क्रम सं. 07) पांच मामलों में यह कहा गया कि मामलों का निपटान मेरिट के आधार पर किया गया किंतु उनके विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए। चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था।

तीन अन्य मामलों में (क्रम सं. 2, 4 तथा 8) में उत्तर प्रतीक्षित था।

3.5.6 क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अननुपालन के अन्य मामले

नियमों तथा प्रक्रियाओं के अननुपालन के परिणामस्वरूप पैरा 3.5.5 में चर्चा किए अनुसार विभागीय चूकों की वजह से मामलों को खारिज किया गया, हमने अधिनियम/ नियमावली/ प्रक्रियाओं तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के निर्देशों के अननुपालन के अन्य मामलों का भी अवलोकन किया जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

3.5.6.1 सेस्टेट/ उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों की प्राप्ति और समीक्षा में विलंब

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35जी के अनुसार अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील में परित प्रत्येक आदेश से 01 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात उच्च न्यायालय में अपील तभी प्रस्तुत होगी (उत्पाद शुल्क की दर या निर्धारण के उद्देश्य के लिए वस्तु के मूल्य के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है, अन्य बातों के साथ, इस तथ्य का निर्धारण होने के पश्चात) यदि उच्च न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। अपील प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश से असंतुष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर या अन्य पक्ष उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कर सकता है और इस उप-धारा के तहत इस प्रकार की अपील उस तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती है, जिस दिन कमिश्नर या अन्य पक्ष द्वारा अपील की गई थी। उच्च न्यायालय एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट होता है कि उक्त अवधि के अंतर्गत दर्ज नहीं किये जाने के पर्याप्त कारण थे। डीएलए, सीबीआईसी, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गए अपीलीय अदालतों में मुकदमेबाजी पर मानक प्रचालन प्रक्रिया उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल के लिए 90 दिनों की समावधि अनुबंधित करती है।

चार कमिश्नरियों²⁶ में कुल 813 मामलों में से हमने 163 मामलों की जांच की तथा यह पाया कि चेन्नई आउटर कमिश्नरी में, ₹ 2.27 करोड़ के राजस्व को सम्मिलित करते हुए 11 मामलों (9 प्रतिशत) में, सेस्टेट और उच्च न्यायालय के आदेशों की विलम्ब से समीक्षा की गई जबकि ₹ 5.13 करोड़ के राजस्व वाले 4 मामलों में अभी भी समीक्षा की जानी है, ब्यौरे नीचे दिये गए हैं-

तालिका 3.10 : आदेशों की समीक्षा में विलम्ब

कमिश्नरी के नाम	न्यायालय	मामलों की संख्या	मूल्यराशि (₹ करोड़ में)	विलम्ब सीमा (दिनों में)
चेन्नई आउटर	सेस्टेट	7	1.18	23-222
	उच्च न्यायालय	4	1.09	90-300
	उच्च न्यायालय	4	5.13	90-450 (समीक्षा की जानी है)

26 चेन्नई आउटर, त्रिची, हैदराबाद तथा सिलीगुड़ी

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

एक निर्धारिती (₹ 1.24 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए) से संबंधित सीएमए सं. 2704/2017 के संबंध में दिनांक 30 अगस्त 2017 का मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश 27 दिसम्बर 2017 को विभाग द्वारा प्राप्त किया गया था। विवादित उच्च न्यायालय आदेश की स्वीकार्यता के संबंध में टिप्पणियों और राय लेने हेतु सहायक कमिश्नर (विधि) ने 25 जनवरी 2018 को एसी, गुमीडीपोन्डी डिवीजन को सम्बोधित किया और इस उद्देश्य हेतु 27 फरवरी 2018 को एक अनुस्मारक भी डिवीजन को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी समीक्षा लम्बित थी और विभाग के लिए अपील को प्राथमिकता देने का अवसर, यदि कोई हो, 90 दिनों की समय सीमा के कारण समाप्त हो गया था। डिवीजन की टिप्पणियों के विषय में चेन्नई आउटर कमिश्नरी को दिनांक 09 मार्च 2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था जो कि विधि प्रभाग में 12 मार्च 2018 को प्राप्त हुआ था। 4 महीनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी समीक्षा अभी भी लम्बित थी (अगस्त 2018)।

इस प्रकार, विभाग ने बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और अंतर-विभागीय समन्वय न होना भी न्यायालय के आदेशों की समीक्षा में विलम्ब हेतु एक उत्तरदायी कारक था। मुख्यरूप से, उन मामलों में जहां विभाग के विरुद्ध निर्णय दिया गया हो और आदेश के विरुद्ध अपील करने की कोई संभावना नहीं हो, इस प्रकार का विलम्ब विभाग द्वारा किए जाने वाली समीक्षा के वास्तविक उद्देश्य को विफल करता है, क्योंकि मामले समयबद्ध हो जाते हैं।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2018), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और बताया कि जीएसटी परिवर्तन काल के दौरान अधिकारियों और फाइलों के हस्तांतरण के कारण विलम्ब हुआ।

बोर्ड को परिवर्तन चरण के दौरान व्यापार निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने की जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद पुराने मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जाए, की आवश्यकता है।

3.5.6.2 शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दर्ज नहीं किया जाना

बोर्ड ने परिपत्र सं. 746/62/2003-सीएक्स दिनांक 22 सितम्बर 2003 के द्वारा, निर्देशित किया था कि सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सेस्टेट के समक्ष इस प्रकार की प्रार्थना हेतु स्पष्ट रूप से आधार को इंगित करते हुए उच्च राजस्व हिस्सेदारी के मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु विविध आवेदन को दर्ज किया जाना चाहिए।

17 कमिश्नरियों²⁷ में कुल 3,422 मामलों में से हमने 852 मामलों की जांच की तथा यह पाया कि सात कमिश्नरियों में ₹ 1,109.56 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए 41 मामलों (5 प्रतिशत) में विविध शीघ्र सुनवाई याचिकाएं दर्ज नहीं की गई थी, जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 3.11: मामले जहां शीघ्र सुनवाई आवेदन दर्ज नहीं किये गए थे।

क्र. सं.	कमिश्नरी के नाम	मामलों की संख्या	मूल्यराशि (₹ करोड़ में)	जहां लम्बित है
1	दिल्ली पूर्व	2	242.97	सर्वोच्च न्यायालय
2	दिल्ली दक्षिण	7	345.94	सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
3	दिल्ली पश्चिम	1	26.26	उच्च न्यायालय
4	चेन्नई आउटर	11	449.90	उच्च न्यायालय
5	कोच्चि	6	2.47	उच्च न्यायालय और सेस्टेट
6	अहमदाबाद	13	41.49	उच्च न्यायालय
7	बेलगाम	1	0.53	सेस्टेट
कुल		41	1,109.56	

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

चेन्नई आउटर (पूर्व में चेन्नई III) कमिश्नरी में एक निर्धारिती को धारा 77 और 78 के तहत क्रमशः ब्याज और दंड के साथ-साथ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के प्रावधान के तहत ₹ 32.12 करोड़ का मांग प्रस्तावित करते हुए एक एससीएन (जुलाई 2014) जारी किया गया था। मूल-आदेश से असंतुष्ट, निर्धारिती ने कमिश्नरी के द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 26122 और 26123/2014

27 अहमदाबाद उत्तर, बेलागावी, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु उत्तर पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, चेन्नई आउटर, दिल्ली पूर्व, दिल्ली उत्तर, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली पश्चिम, हैदराबाद, कोच्चि, मंगलोर, मैसूर, और त्रिची।

दर्ज की थी। यद्यपि मामला चार वर्षों से अधिक तक अपील के अधीन था, विभाग द्वारा सुनवाई याचिका दाखिल करके इसके शीघ्र निपटान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया जिनके परिणामस्वरूप बड़े राजस्व वाले अपील के मामले लम्बे समय तक लम्बित थे।

जब हमने इसके विषय में बताया (अगस्त 2018), मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि एक निर्धारिती के मामले में, शीघ्र सुनवाई के आवेदन दर्ज करने हेतु स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए थे और अपील का दायर किया जाना प्रक्रियाधीन है।

दिल्ली पूर्व कमिश्नरी के संदर्भ में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किया गया है। चार कमिश्नरियों²⁸ में शीघ्र सुनवाई का आवेदन फाइल करने के लिए स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए हैं।

दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी के संदर्भ में मंत्रालय ने बताया कि राजस्व का वास्तविक मूल्य ₹ 4.38 करोड़ ही था परन्तु मासिक तकनीकी रिपोर्ट में गलती से ₹ 26.25 करोड़ दर्शाया गया था। चूंकि सन्निहित राशि ₹ 10 करोड़ से कम है अतः बोर्ड की परिपत्र संख्या 416/62/2003-सीएक्स दिनांक 22 सितम्बर 2003 के अनुसार शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन करना अपेक्षित नहीं था।

दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2018)।

दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त परिपत्र में कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं है और निर्देश दिया गया था कि उन मामलों में शीघ्र सुनवाई दर्ज की जानी चाहिए जिनमें पर्याप्त राजस्व शामिल हो। इसके अलावा, चार कमिश्नरियों में 23 मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दर्ज करने के लिए स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए थे जहां राशि 10 करोड़ से कम है। यह दर्शाता है कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय संरचनाओं के मध्य कोई एकरूपता नहीं है।

28 चेन्नई आउटर, कोच्चि, अहमदाबाद, बेलागावी

मंत्रालय को शीघ्र सुनवाई के आवेदन के लिए मौद्रिक सीमा के साथ उचित निर्देश जारी करना चाहिए ताकि इस संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं के मध्य एकरूपता बनी रहे। मंत्रालय लम्बित मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं को संवेदनशील भी बना सकता है।

3.5.6.3 मामलों की बंचिंग

बोर्ड ने परिपत्र संख्या 296/34/2004-सीएक्स.9 (पीटी), दिनांक 11 अगस्त 2004 के द्वारा अनुबंध किया कि क्षेत्राधिकारी कमिश्नर को पर्याप्त राजस्व वाले समान मुद्दों पर मामलों की बंचिंग भी करनी चाहिए और उनके शीघ्र निपटान के लिए एक साथ सुनवाई हेतु न्यायालय को अनुरोध करना चाहिए।

चार कमिश्नरियों²⁹ में कुल 2,635 मामलों में से हमने 300 मामलों की जांच की तथा तीन कमिश्नरियों में देखा कि 21 समान मुद्दों के तहत बंचिंग के लिए ₹ 211.85 करोड़ के राजस्व वाले 145 मामलों (48 प्रतिशत) उपयुक्त थे जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है:-

तालिका 3.12: मामले जो एकत्रित नहीं किये गये

क्र. सं.	कमिश्नरी का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	शामिल समान मुद्दों की संख्या
1	चेन्नई आउटर	24	71.51	5
2	त्रिची	104	137.66	11
3	कोच्चि	17	2.68	5
	कुल	145	211.85	21

तथापि इन मामलों की बंचिंग के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा ट्रिब्यूनल को एक साथ सुनवाई करने के लिए अनुरोध भी किया गया।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि चेन्नई आउटर और त्रिची में समान मुद्दों वाले मामलों की बंचिंग हेतु याचिका दायर करने के लिए स्थाई परिषद को निर्देश जारी किए गए थे। मंत्रालय ने कोच्चि कमिश्नरी के संदर्भ में बताया कि 17 मामलों में से 11 मामलों में शामिल राशि ₹ 20 लाख से कम है अतः बोर्ड के निर्देशों के आधार पर इन मामलों को वापिस लिया जाना है।

29 चेन्नई आउटर, त्रिची, कोच्चि, हैदराबाद

यद्यपि मंत्रालय ने इन तीन कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और स्थाई परिषदों को निर्देश जारी किए, तथापि तथ्य यह है कि अपेक्षित कार्यवाही लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही की गई। लेखापरीक्षा ने पहले भी 2017 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा संख्या 2.8.4 और 2016 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा संख्या 2.8.4 के माध्यम से इस मामले को उठाया था जिसके लिए मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि बंचिंग की जा रही थी।

अपील मामलों के अधिक लम्बन के मद्देनजर मंत्रालय को लम्बित अपील मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए इसके क्षेत्रीय संगठनों को संवेदनशील बनाना चाहिए।

3.5.6.4 अपील दायर करने में विलम्ब

डीएलए, सीबीआईसी, नई दिल्ली द्वारा जारी 'अपीलीय फोरम में मुकद्दंबाजी पर मानक प्रचालन प्रक्रिया' में उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 90 दिनों की समयावधि और सेस्टेट आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए 180 दिनों की समयावधि निर्धारित की गई है।

28 कमिश्नरियों में कुल 7,331 मामलों में से हमने 1,969 मामलों की जांच की तथा चार कमिश्नरियों में देखा कि ₹ 25.33 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 12 मामलों (0.6 प्रतिशत) में, अपीले 10 दिनों से 577 दिनों तक के विलम्ब से दायर की गई थी जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका 3.13: मामला जहां अपील विलंब से दर्ज की गई

क्र. सं.	कमिश्नरी का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अपील के मंच	देरी की सीमा (दिनों में)
1	सूरत	4	1.83	सर्वोच्च न्यायालय	33
2	अहमदाबाद	4	5.56	उच्च न्यायालय	10
3	दिल्ली पश्चिम	3	11.47	सर्वोच्च न्यायालय	59-363 (अपील जिन्हे दर्ज किया जाना है)
4	दिल्ली उत्तर	1	6.47	उच्च न्यायालय	577
	कुल	12	25.33		

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

दिल्ली उत्तर कमिश्नरी में, ₹ 6.47 करोड़ के राजस्व वाले एक निर्धारिती के अपील मामले से संबंधित फाइलों की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने इस आधार पर विलम्ब की माफी के लिए आवेदन किया था कि विवादित सेस्टेट के अंतिम आदेश दिनांक 14 फरवरी 2013 की प्रमाणित प्रति विभाग द्वारा 24 सितम्बर 2014 को प्राप्त की गई। सेस्टेट के अंतिम आदेश दिनांक 14 फरवरी 2013 को चुनौती देने वाली अपील करने में 577 दिनों का असामान्य विलम्ब हुआ था। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने विलम्ब और मामले की मैरिट के आधार पर आवेदन को रद्द कर दिया था (जुलाई 2015)। अतः विभाग द्वारा दायर करने में समय सीमा के अननुपालन के परिणामस्वरूप अपील रद्द हो गई।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने तीन कमिश्नरियों³⁰ में विलम्ब को स्वीकार किया तथा बताया कि दो मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने विलम्ब माफ कर दिया था। शेष कमिश्नरियों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था।

मंत्रालय को यथोचित कार्यवाही करने चाहिए तथा राजस्व हित में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5.6.5 पूर्व जमा सूचना का अननुरक्षण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में कमिश्नर (अपील) या सेस्टेट के समक्ष अपील दायर करने के लिए निश्चित शुल्क या लगाई गई शास्ति के अनिवार्य पूर्व जमा का प्रावधान करती है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई के द्वारा सेवाकर पर भी लागू है।

पूर्व जमा के प्रतिदाय के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ईई के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफएफ में प्रावधान है कि “जहां अपील प्राधिकरण ने अपीलकर्ता के पक्ष में मामले पर निर्णय दिया है वहां पूर्व जमा राशि का प्रतिदाय, मांगने वाले अपीलकर्ता के पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर ब्याज सहित किया जाना

30 सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली पश्चिम

है चाहे अपील प्राधिकरण का आदेश विभाग द्वारा चुनौती हेतु प्रस्तावित हो या नहीं।”

इसके अलावा, पूर्व जमा करने की प्रक्रिया तथा तरीका यह अनुबंधित करता है कि “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ई के अन्तर्गत किए गए जमा के अभिलेखों का रखरखाव कमिश्नरी द्वारा किया जाना है ताकि अपील प्राधिकरण से पक्ष में किए गए आदेश के मामले में प्रतिदाय दावों के संसाधन के समय जमा की निर्बाध जांच को सरल बनाया जा सके।”

21 कमिश्नरियों³¹ में कुल 3,735 मामलों में से हमने 1,822 मामलों की जांच की तथा कोलकाता दक्षिण कमिश्नरी में यह देखा कि 20 मामलों (1 प्रतिशत) में आस्थगन आदेश जारी किए गए थे जिनमें अक्टूबर 2014 से जुलाई 2015 तक की अवधि हेतु ₹ 2.74 करोड़ के पूर्व जमा आवेदनकर्ता/निर्धारिती द्वारा जमा कराए जाने थे। तथापि पूर्व जमा का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलिखित नहीं पाया गया। पूर्व जमा अभिलेखों का अनुरक्षण न होना कोडल प्रावधानों के अननुपालन को दर्शाता है जिसके फलस्वरूप विलम्बित/ चूकपूर्ण प्रतिदाय दावे यदि कोई हो, हो सकते हैं।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि अभिलेखों के अद्यतन के लिए कार्यवाही की गई है।

3.5.6.6 क्षेत्रीय संरचनाओं में डाटाबेस/अपील रजिस्ट्रों का अनुपयुक्त रखरखाव

10 नमूना जांच कमिश्नरियों³² में से दो कमिश्नरियों में हमने देखा कि डाटाबेस और अपील रजिस्ट्रों का रखरखाव उचित रूप से नहीं किया गया था जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

31 बेलागावी, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु उत्तर-पश्चिम, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु पश्चिम, बोलपुर, चेन्नई आउटर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, हल्दिया, हावड़ा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मंगलोर, मैसूर, शिलांग, सिलीगुड़ी और त्रिची ।

32 दिल्ली पूर्व, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली उत्तर, दिल्ली पश्चिम, अहमदाबाद उत्तर, चेन्नई आउटर, त्रिची, हैदराबाद, कोलकाता दक्षिण और शिलांग।

- (i) दिल्ली पूर्व कमिश्नरी में लेखापरीक्षा ने देखा कि सेसटैट निलंबित अपील मामलो के लिए निर्धारिती के ब्यौरे अर्थात पार्टी का नाम, मामला संख्या, वर्ष, सम्मिलित मामला आदि का कोई केन्दीकृत डाटाबेस नहीं था।
- (ii) अहमदाबाद कमिश्नरी में विव16 से विव18 के लिए विभाग द्वारा दायर की गई अपील हेतु सेस्टेट रजिस्टर की जांच के दौरान यह देखा गया कि उक्त का रखरखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था क्योंकि अपेक्षित स्तंभ रिक्त और अपूर्ण पाए गए थे। 'समीक्षा की अंतिम तिथि' 'अपील दायर करने के ब्यौरे' 'विभाग द्वारा स्वीकृत है या नहीं' आदि से संबंधित सूचना/ प्रविष्टियां रजिस्टर में दर्ज नहीं थी।

अतः विभाग ने अपील मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण ब्यौरों का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया जिसने अपील मामलों की उचित निगरानी को प्रभावित किया।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018) जब मंत्रालय ने दोनों कमिश्नरियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकृत की (अक्टूबर 2018) तथा बताया कि उपचारात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है/ कर ली गई है तथा अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है।

3.6 निष्कर्ष

अपीलों में बड़ी मात्रा में राजस्व अवरूद्ध होने के बावजूद, बोर्ड के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर मामलों की अपील के निगरानी तंत्र अपर्याप्त है जैसा कि आंकड़ों के अव्यवस्थित रखरखाव, बोर्ड के निर्देशों जैसे जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन भरना, मामलों की बंचिंग, का पालन नहीं किया जाने और विभाग की चूक के फलस्वरूप अपील के निरस्त होने से प्रमाणित होता है। मंत्रालय द्वारा उचित निगरानी और मामलों की अपील के निपटान के लिए तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अध्याय IV

सीबीआईसी में बकाया की वसूली हेतु निगरानी तंत्र

4.1 प्रस्तावना

मूल आदेशों (ओआईओ) या आगे के विभाग अनुकूल अपील आदेशों (ओआईए), ट्रिब्यूनल आदेशों, न्यायालय के आदेशों या पूर्व-जमा की शर्त के साथ आस्थगन आवेदनों की मंजूरी के माध्यम से विभाग के पक्ष में मांगों की पुष्टि के कारण निर्धारिती से वसूल करने योग्य किसी भी राशि को बकाया माना जाएगा।

चूककर्ता निर्धारिती के खिलाफ मांग की पुष्टि होने के साथ बकायों की वसूली की प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें कई अपीलीय मंच शामिल होते हैं जिनमें निर्धारिती के साथ विभाग भी अपील के लिए जा सकता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में बकाया की वसूली से संबंधित मुख्य सांविधिक प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को बकायों की वसूली के लिए कार्यवाही करने का अधिकार देता है), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामले में, अधिसूचना संख्या 68/63-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 4 मई 1963 को लागू होती है) और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 (जो विभाग की सेवा कर के बकायों की वसूली के लिए कार्यवाही करने अधिकार देता है) हैं।

4.2 बकायों का वर्गीकरण

बकायों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे वसूलनीय और अवसूलनीय बकाया। सभी विधि बाधित बकाया अवसूलनीय है। वसूलनीय बकायों को आगे वर्गीकृत किया गया जैसे निषिद्ध (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)/डेबिट वसूली न्यायाधिकरण/आधिकारिक परिसमापन मामले, लंबित आवेदन के लिए रोक/रोक का विस्तार आदि), अनिषिद्ध (मामले जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कार्यवाही की शुरुआत की गई है, जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र

भेजे गए अन्य सीमा-शुल्क सीई संरचनाएं आदि) और बड़े खाते में डालने लिए उपयुक्त (जैसे इकाईयां बंद की गई/चूककर्ता तक नहीं पहुंचा गया/कंपनी की संपत्ति उपलब्ध नहीं आदि)।

4.3 बकायों की वसूली और निगरानी की जिम्मेदारी

बोर्ड बकायों की वसूली में क्षेत्रीय संरचनाओं के समग्र कार्यों एवं निष्पादन की निगरानी करता है और उक्त के लिए लक्ष्य तय करता है। इस वसूली प्रक्रिया को तेज करने को क्षेत्रीय संरचनाओं को नियतकालिक निर्देश भी जारी करता है।

मुख्य आयुक्तों को संबंधित जोन के तहत वसूली प्रक्रिया की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने की समग्र जिम्मेदारी वहन करनी है।

कमिश्नरियां, बकायों की वसूली की समग्र जिम्मेदारी रखते हैं, इस संबंध में मंडल एवं रेंज अधिकारियों के प्रकार्यों की समीक्षा और निगरानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्थगन आदेशों से छूट के कार्य, सेस्टेट/कोर्ट मामलों के जल्दी सुनवाई के लिए फाइलिंग, चूककर्ताओं की संपत्ति की कुर्की के लिए कार्यवाही और बीआईएफआर/डीआरटी/ओएल के लंबित मामलों की अनुवर्ती कार्यवाही आदि और मासिक प्रगामी रिपोर्टों के माध्यम से वसूली सेलों की प्रगति एवं निष्पादन को देखे और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए।

रेंज अधिकारियों का पर्यवेक्षण डिविजनल अधिकारियों (सहायक/उप आयुक्त) को सौंपा जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

रेंज निम्नतम स्तर के क्षेत्रीय संरचना है जिन्हें बकायों एवं अपीलों से संबंधित रिकॉर्डों को बनाए रखने, वसूली की प्रक्रिया शुरू करने और उच्च प्राधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके साथ-साथ, क्षेत्राधिकारी आयुक्त के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के तहत वसूली सेल चलाया जाता है। वसूली सेल के प्रमुख प्रकार्यों में चूककर्ताओं को नोटिस भेजना तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री है। इसे बकायों के संबंध में कमिश्नरी को मासिक प्रगामी रिपोर्ट भी भेजनी अपेक्षित है।

4.4 लेखापरीक्षा कार्य पद्धति और नमूना चयन

हमने इस क्षेत्र में विभाग द्वारा नियमों एवं विनियमों के अनुपालन एवं निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र की प्रभाविकता के स्तर के आकलन के लिए विव16 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवा कर के बकायों की वसूली से संबंधित अभिलेखों की जांच की थी। हमने बकायों की वसूली में शामिल विभिन्न चरणों में असामान्य देरी के उदाहरण देखे जैसे ओआईओ से रेंज कार्यालयों का संप्रेषण, वसूली कार्यवाही का प्रवर्तन, वसूली सेल को मामलों का हस्तांतरण और बकाया मामलों का स्थिति अद्यतन। हमने मामलों की स्थिति जानने के तंत्र, साथ ही कर बकाया वसूली सेल (टीएआर) में प्रासंगिक अभिलेखों/डाटा की अनुपस्थिति, जोनल टीएआर द्वारा रणनीति के गैर-निर्माण आदि भी देखे जिन्हें 2016 की प्रतिवेदन संख्या, 41 (सेवा कर) और 2017 की प्रतिवेदन 3 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अध्याय-II में रिपोर्ट किया गया था।

मंत्रालय ने अपनी कार्यवाही नोट में कहा (मई 2017) कि बोर्ड ने क्षेत्रीय संरचनाओं से सभी मुद्दों पर स्पष्ट निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।

विभाग में बकायों की वसूली के लिए निगरानी तंत्र की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए, हमने सीबीआईसी के तहत निष्पादन प्रबंधन महानिदेशक (डीजीपीएम) में अभिलेखों और 20 चयनित कमिशनरियों³³ के अन्य संबंधित अभिलेखों सहित मासिक निष्पादन रिपोर्टों (एमपीआर) को सत्यापित किया। इसके अलावा, चयनित कमिशनरियों में 31 मार्च 2018 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 6,816.77 करोड़ के धन मूल्य के कुल लंबित 5,672 मामलों में से हमने ₹ 1,217.29 करोड़ के धन मूल्य की 119 मामला फाइलों (2 प्रतिशत) की जांच की थी। इसी प्रकार, चयनित कमिशनरियों में 31 मार्च 2018 तक सेवा कर में ₹ 13,549.19 करोड़ के धन मूल्य वाले कुल लंबित 12,046 मामलों में से हमने ₹ 6,317.34 करोड़ के धन मूल्य वाले 154 मामलों की फाइलों (1 प्रतिशत) की जांच की थी। बकायों के लंबित मामलों को आमतौर उच्च धन मूल्य और मामले की लंबी विचाराधीनता के आधार पर चयनित किया गया था।

33 अहमदाबाद उत्तर, औरंगाबाद, बेलागावी, भुवनेश्वर, दिल्ली उत्तर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोच्चि, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, पटना-I, पुणे-I, रांची, सिलीगुड़ी, सूरत, ठाणे ग्रामीण और विशाखापत्तनम।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने बोर्ड स्तर पर डाटा रखरखाव में विसंगतियों और क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा बोर्ड के अनुदेशों के अननुपालन के उदाहरणों को देखा अर्थात् मूल-आदेश के संप्रेषण में देरी, वसूली कार्यवाही को शुरू नहीं किया गया/देरी से किया गया, आधिकारिक परिसमापक के साथ मामले की अपर्याप्त/गैर-पालन, वसूली सेल को मामलों का हस्तांतरण न करना आदि। अनुवर्ती पैराग्राफों में टिप्पणियों पर चर्चा की गई है।

4.5.1 बकायों की वसूली में विभाग का निष्पादन

कानून रोपित परन्तु उद्गृहीत न किए गए राजस्व की वसूली के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। इनमें उस व्यक्ति को देय, जिससे राजस्व की वसूली होनी है, राशियों के प्रति देयताओं, यदि कोई है, के समायोजन, कुर्की द्वारा वसूली, उत्पाद शुल्क योग्य सामान की बिक्री और जिला राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल है।

4.5.1.1 सेवा कर के बकायों की वसूली के संबंध में विभाग के निष्पादन को तालिका 4.1 में दर्शाया है।

तालिका 4.1: बकाया प्राप्ति - सेवा कर

(₹ करोड़ में)

	विव17		विव18	
	सकल बकाया	प्राप्य बकाया ³⁴	सकल बकाया	प्राप्य बकाया
आदि शेष	90,170	2,658	1,17,935	3,766
वर्ष के दौरान जोड़े गये	68,634	6,176	1,01,016	11,338
कुल बकाया	1,58,804	8,834	2,18,951	15,104
मांग का निपटान	39,006	4,285	50,172	9,013
संपादित बकाया	1,894	783	2,226	1,164
कुल बकाया में से उद्गृहीत बकाया का प्रतिशत	1.19	8.86	1.02	7.71
अंत शेष	1,17,904	3,766	1,66,553	4,927

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा जा सकता है कि सेवा कर के संबंध में वसूली योग्य बकायों की वसूली विव17 में 8.86 प्रतिशत से घटकर विव18 में 7.71 प्रतिशत रह गई

34 वसूली योग्य बकाया में वह मामले शामिल हैं जिनमें अपील अवधि समाप्त हो गई है परन्तु पार्टी द्वारा मांग की पुष्टि, निपटान आयोग में निर्णित मामलों, बंद यूनिटों/पता न लगे निर्धारितियों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की क्रमशः धारा 11/धारा 142 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु लंबित मामलों आदि के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है।

है। इसके अलावा, सकल बकाया के प्रतिशत के रूप में वसूली विव17 में 1.19 प्रतिशत से घटकर विव18 में 1.02 प्रतिशत हो गई।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकायों की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: बकायों की वसूली - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

(₹ करोड़ में)

	विव17		विव18	
	सकल बकाया	प्राप्य बकाया	सकल बकाया	प्राप्य बकाया
आदि शेष	74,940	7,751	84,122	9,075
वर्ष के दौरान जोड़े गये	37,591	5,314	56,457	9,123
कुल बकाया	1,12,531	13,065	1,40,579	18,198
मांग का निपटान	26,252	2,756	42,293	5,762
संपादित बकाया	2,079	1,234	1,790	1,124
कुल बकाया में से उद्गृहीत बकाया का प्रतिशत	1.85	9.44	1.27	6.18
अंत शेष	84,200	9,075	96,496	11,313

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में वसूली योग्य बकायों की वसूली विव17 में 9.44 प्रतिशत से घटकर विव18 में 6.18 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा, सकल बकायों के प्रतिशत के रूप में वसूली विव17 में 1.85 प्रतिशत से घटकर विव18 में 1.27 प्रतिशत हो गई।

वसूल किए जाने वाले बकायों की महत्वपूर्ण राशि को देखते हुए, यह आवश्यक है कि बोर्ड विशेष रूप से जीएसटी व्यवस्था के संक्रमण के बाद पुराने मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।

इसके अलावा, हमने विभाग से प्राप्त टीएआर मासिक रिपोर्ट से सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सकल बकायों के आंकड़ों की गणना की थी। 31 मार्च 2018 तक सकल बकाया का अंत शेष क्रमशः सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए ₹ 1,66,553 करोड़ और ₹ 96,496 करोड़ था। हालांकि, मार्च 2018 के लिए टीएआर रिपोर्टों के अनुसार बकायों का अंत शेष क्रमशः सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए ₹ 1,27,809 करोड़ एवं ₹ 85,158 करोड़ था। अंतर के कारणों में से एक यह था कि जून 2017 के टीएआर रिपोर्टों के अंत शेष को जुलाई 2017 के आदि शेष में सही ढंग से

नहीं लिया गया था। जून 2017 के अंत शेष और जुलाई 2017 के आदि शेष के बीच अन्तर के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 3,534 मामलों के बकाया मुकदमों में ₹ 7,059 करोड़ की धन मूल्य शामिल था और सेवाकर के 3,887 मामलों में ₹ 18,752 करोड़ शामिल था। मंत्रालय को जांच करने और उक्त के कारण बताने को कहा गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि शुल्क/कर के अपवंचन पर अंकुश लगाने, लंबित मामलों के तेजी से अधिनिर्णयन, मुकदमेबाजी और पता न लगाए जाने वाले चूककर्ताओं/ इकाईयों में अवरुद्ध बकायों पर विभाग का दबाव बढ़ने के कारण बकायों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसके अलावा, जून 2017 के अंत शेष और जुलाई 2017 के आदि शेष में अंतर से संबंधित, मामले को डीडीएम के साथ उठाया गया।

मंत्रालय का उत्तर विभाग द्वारा डाटा को बनाए रखने में बड़ी कमी को दर्शाता है, जिसके कारण विसंगति के एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी, विभाग गलत रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय संरचनाओं का भी पता नहीं लगा सका।

4.5.1.2 डीएलए/टीएआर रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट किए गए मुकदमे में बकाया राशि के आंकड़ों में विसंगति

अधिनिर्णय में पुष्टि की गई मांग राजस्व का बकाया बन जाती है। यदि निर्धारिती, जिसके खिलाफ मांग की पुष्टि की जाती है, वह अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह अपीलीय मंच में आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। यदि एक निर्धारिती अपील दायर करता है, तो मामले में शामिल मांग मुकदमें में बकाया बन जाती है। टीएआर सेल अखिल भारतीय आधार पर बकाया राशि के आंकड़े रखता है। इसी प्रकार, कानूनी मामलों के निदेशालय (डीएलए) अखिल भारतीय आधार पर निर्धारिती के साथ-साथ विभाग के द्वारा अपीलीय मंच में मुकदमें के आंकड़े रखता है। जैसे कि केवल पुष्टि की गई मांग राजस्व का बकाया बन जाती है, और केवल एक निर्धारिती ही पुष्टि की गई मांग के खिलाफ अपील करेगा, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि टीएआर द्वारा बनाए गए मुकदमें में बकाया और पार्टी द्वारा दायर की गई

अपील को मेल खाना चाहिए, लेकिन दोनों आंकड़ों में अन्तर था जैसा कि तालिका 4.3 में विवरण दिया है।

तालिका 4.3: मुकदमों के बकाया मामलों के लंबन के संबंध में बेमेलता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क				सेवा कर			
	टीएआर रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को मुकदमेंबाजी में लंबित बकाया राशि		डीएलए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को मुकदमेंबाजी में पार्टी के अपीलें		टीएआर रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को मुकदमेंबाजी में लंबित बकाया राशि		डीएलए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च को मुकदमेंबाजी में पार्टी की अपीलें	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
विव16	34,472	58,589	45,473	69,987	29,378	78,769	35,977	75,327
विव17	36,836	65,925	47,092	80,156	34,636	97,136	41,301	96,822
विव18	32,100	66,604	35,199	74,406	36,367	1,11,851	35,163	94,825

मंत्रालय को इन दोनों आंकड़ों में बेमेलता के लिए कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (अक्टूबर 2018) कि यह इस तथ्य के कारण था कि टीएआर रिपोर्टों में केवल पुष्टि की गई मांग शामिल है जबकि डीएलए के आंकड़ों में पार्टी की अपील के साथ-साथ अधिनिर्णय आदेशों के विरुद्ध विभाग की अपीलों को भी शामिल किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि डीडीएम को बेमेलता की जांच करने और सुधारात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त डीएलए रिपोर्ट में केवल पार्टी की अपीलों से संबंधी आंकड़े शामिल है जिसकी मुकदमें बकायों के टीएआर आंकड़ों से तुलना की गई है। इसलिए, दोनों का मिलान होना चाहिए। मंत्रालय इन आंकड़ों का मिलान करे और सही स्थिति की रिपोर्ट करें क्योंकि इन आंकड़ों में ₹ 24,828 करोड़ का अन्तर है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

4.5.1.3 वसूली के लिए तय लक्ष्यों की तुलना में बकाया की वसूली में विभाग का निष्पादन

बोर्ड द्वारा विव17 के लिए दिनांक 19 मई 2016 को पत्र सं. सीसी (टीएआर) 63/टेक/बजट/2015 और विव18 के लिए दिनांक 09 मई 2017 की पत्र सं.

सीसी (टीएआर) 43/टेक/बजट 2016 के अनुसार बकायों की वसूली के लिए लक्ष्य तय किए गए थे। विव17 और विव18 के लिए क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क के ₹ 5000 करोड़ और ₹ 6000 करोड़ के संयुक्त लक्ष्य तय किए थे जो विव17 और विव18 के लिए बकायों के वसूलने योग्य बकाया का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर क्रमशः 48 प्रतिशत एवं 47 प्रतिशत था।

विभाग ने विव17 में तय मौद्रिक लक्ष्य प्राप्त किया था और विव18 में मौद्रिक लक्ष्य का 86.93 प्रतिशत प्राप्त किया था। यद्यपि विव18 में 86.93 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया था, हमने देखा कि 21 जोनों में से, 16 जोनों³⁵ ने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था। छह जोनों³⁶ द्वारा 50 प्रतिशत से भी कम लक्ष्य को प्राप्त किया था।

मंत्रालय ने 14 जोनों के संबंध में तथ्यों (अक्टूबर 2018) को स्वीकार किया। चेन्नई एवं मुम्बई जोन के संबंध में यह कहा गया था कि लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि निष्पादन में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

4.5.2 मूल आदेशों (ओआईओ) के संप्रेषण में असामान्य देरी

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसम्बर 2008 को अपने परिपत्र में कहा था कि सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल के भाग III के अध्याय 18 में दिए गए अनुसार अधिनिर्णय आदेश का विवरण पुष्टि मांग रजिस्टर और वसूली के लिए की गई कार्रवाही को दर्ज किया जाएगा। हालांकि, परिपत्र में ओआईओ से रेंज कार्यालय को संप्रेषण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई।

हमारी पिछली लेखापरीक्षा के दौरान हमने 212 मामले देखे जिसमें 2016 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 41 (सेवाकर) के अध्याय II और 2017 की रिपोर्ट संख्या 3 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) में उल्लिखित रेंज कार्यालयों से ओआईओ के संप्रेषण में देरी हुई थी। मंत्रालय ने अपने कार्यवाही करने वाले नोट में कहा था (मई 2017) कि रेंज कार्यालयों को ओआईओ के संप्रेषण के लिए एक सीमा पर विचार करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा अग्रेषित की गई थी।

³⁵ जयपुर, रांची, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, वडोदरा, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, मेरठ, नागपुर, चंडीगड, पंचकुला, गुवाहटी, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली क्षेत्र।

³⁶ चंडीगड, पंचकुला, गुवाहटी, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली क्षेत्र।

हमने देखा कि बोर्ड ने मंत्रालय की अनुशंसा पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और रेंज कार्यालय को ओआईओ के संप्रेषण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई।

हमने 17 कमिश्नरियों³⁷ में ₹ 7,229.16 करोड़ के धन मूल्य के 262 ओआईओ की नमूना जांच की थी जिनमें से नौ कमिश्नरियों³⁸ में ₹ 764.18 करोड़ मूल्य के 89 ओआईओ (34 प्रतिशत) में ओआईओ से रेंज अधिकारी/निर्धारिती को सूचना भेजने में सात दिनों से अधिक लिया गया समय 1 दिन से 20 माह के बीच था जो इसके लिए किसी निर्धारित समय सीमा के अभाव में इस संप्रेषण हेतु एक सप्ताह की स्वीकार्य समय-सीमा मान लिया गया।

इसे जुलाई-अगस्त 2018 में विभाग/ मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था। मंत्रालय ने छः कमिश्नरियों के संदर्भ में तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018)। बेलागावी कमिश्नरी के लिए, यह कहा गया कि ओआईओ की सूचना में कोई विलम्ब नहीं था तथा कोच्चि कमिश्नरी के लिए यह कहा गया कि उत्तर दिया जाएगा।

दो मामलों के दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं:

- (i) निर्धारिती के अनुरोध करने पर, 12 माह पश्चात् निर्धारिती को ₹ 6.62 करोड़ के राजस्व वाली सूरत कमिश्नरी में पारित ओआईओ (मार्च 2017) की प्रति भेजी गई (मार्च 2018)।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकार किया तथा यह कहा (अक्टूबर 2018) कि विलम्ब जीएसटी को लागू करने के पश्चात पुनर्गठन के कारण था।

- (ii) कोच्चि कमिश्नरी में ₹ 52.28 करोड़ के राजस्व वाले 62 मामलों में ओआईओ को सूचना देने में 14 से 111 दिनों का विलंब हुआ था। इसके अलावा, 59 मामलों में निजी सुनवाई के निष्कर्ष के बाद ओआईओ पास करने में विलंब हुआ था। विलंब 10 से 543 दिनों के बीच था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि उत्तर दिया जाएगा।

37 अहमदाबाद उत्तर, सूरत, जोधपुर, मदुरै, कोच्चि, फरीदाबाद, लुधियाना, औरंगाबाद, लखनऊ, पटना, रांची, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, बेलागावी, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और दिल्ली उत्तर।

38 औरंगाबाद, बेलागावी, फरीदाबाद, जोधपुर, कोच्चि, मदुरै, लखनऊ, सिलीगुड़ी और सूरत।

4.5.3 वसूली कार्यवाही का आरम्भ न करना/विलम्ब से करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर राजस्वों के बकायों की वसूली करने के लिए क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 की धारा 11 तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73/धारा 87 के तहत शक्ति प्रदान की गई थी।

यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के तहत अनुबंधित कार्यवाही द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयों की वसूली नहीं होती, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों पर भी लागू) के उस प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी जो उस चूककर्ता जो उचित अधिकारी के नियंत्रण के अधीन है, से सम्बंधित माल को बेचने तथा ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति को जब्त करने तथा बेचने के लिए कार्यवाही करने हेतु चूककर्ता की ओर से देय किसी धन से प्रदेय राशि से कटौती करने के लिए विभाग को अधिकार प्रदान करती है।

इसी प्रकार, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 सेवा कर प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को अधिकार प्रदान करती है जिसने इसका उदग्रहण अथवा भुगतान नहीं किया है अथवा कम उदग्रहण या कम भुगतान किया है अथवा गलती से प्रतिदाय किया है और धारा 87 थर्ड पार्टी जो उसके प्रति धन रखती है, से निर्धारित द्वारा प्रदेय राशि की वसूली करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को अधिकार प्रदान करती है।

हमारी पिछली लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 86 मामलों देखें जिनमें सीएजी के 2016 की प्रतिवेदन संख्या 41 (सेवा कर) तथा 2017 की 3 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अध्याय-II में सूचित अनुसार वसूली प्रक्रिया आरम्भ करने में विलम्ब था।

मंत्रालय ने अपनी की गई कार्यवाही टिप्पणी में कहा था (मई 2017) कि बकायों की वसूली के लिए समय पर कार्यवाही करने तथा अवपीड़क कार्यवाही हेतु पहले ही उपाय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को सिफारिश भेजी गई थी।

हमने 18 कमिश्नरियों³⁹ के तहत 246 मामलों की नमूना जांच की जिसमें ₹ 7,141.72 करोड़ की राशि शामिल थी जिसमें से 16 कमिश्नरियों⁴⁰ में ₹ 1,202.23 करोड़ मूल्य के 115 मामलों (47 प्रतिशत) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 तथा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 तथा 87 के तहत समय पर वसूली हेतु कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी विलम्ब पांच महीने से 12 वर्षों के बीच था।

ये मामलें जुलाई-अगस्त 2018 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2018) में 14 कमिश्नरियों के संदर्भ में तथ्यों को स्वीकार किया तथा जोधपुर, बेलागावी और रांची कमिश्नरी के लिए यह कहा कि उत्तर दिया जाएगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि मामलें की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने दो परिपत्र जारी किए थे (दिसम्बर 2017 तथा जून 2018) जिसमें उन्होंने सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश/अनुदेश दिए थे कि जोन तथा कमिश्नरी स्तर पर कर बकाया वसूली पर अधिक ध्यान देने तथा बेहतर निगरानी की आवश्यकता है।

कुछ मामलों के दृष्टांत नीचे दिए गए हैं:

i) सूरत कमिश्नरी में, यह वर्णित करने वाला एक चेतावनी परिपत्र जारी किया गया (जून 2005) कि दो निर्धारित धोखे से सेनवेट क्रेडिट पारित कर रहे थे तथा कथित फर्म अथवा उनके मालिक उनके घोषित पंजीकृत परिसर/आवास में कभी नहीं थे। हालांकि, कथित चेतावनी से पांच से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात् विभाग द्वारा क्रमशः ₹ 11.81 करोड़ तथा ₹ 10.53 करोड़ की मांगों की पुष्टि की गई (जुलाई तथा अगस्त 2010)। इसके अलावा, विभाग ने मांग की पुष्टि से 5 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् इन निर्धारितियों के ठिकाने/सम्पत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों को पत्र जारी करना प्रारम्भ किया (सितम्बर 2015 के बाद से)।

39 अहमदाबाद उत्तर, बेलागावी, भुवनेश्वर, दिल्ली उत्तर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोच्चि, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, पटना-1, पुणे-1, रांची, सिलीगुड़ी, सूरत और विशाखापत्तनम।

40 अहमदाबाद उत्तर, बेलागावी, भुवनेश्वर, दिल्ली उत्तर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, कोच्चि, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, पुणे-1, रांची, सिलीगुड़ी, सूरत और विशाखापत्तनम।

इसी प्रकार, लगभग चार वर्ष बीत जाने के पश्चात सूरत कमिश्नरी में अन्य निर्धारिती के प्रति ₹ 5.03 करोड़ की मांग की पुष्टि की (मार्च 2009) जिसे चेतावनी परिपत्र द्वारा यूनिट को नकली/गैर-मौजूद घोषित किया गया था (मई 2005) जबकि विभाग द्वारा अन्य सरकारी प्राधिकरणों को मांग की पुष्टि से 44 माह से अधिक की अवधि के पश्चात् निर्धारितियों के ठिकाने/ब्यौरे जानने के लिए पत्र लिखा गया था (दिसम्बर 2012)।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इसी प्रकार की 43 इकाईयों को विभाग द्वारा नकली के रूप में निर्धारित किया गया था परन्तु चेतावनी की तिथि से 3 से 5 वर्षों के बीच समय के पश्चात् ₹ 127.41 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती लापता हो गए तथा राशि की वसूली नहीं हुई।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विभाग ने सरकारी राजस्व की रक्षा करने के लिए समय पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

ii) अहमदाबाद उत्तर कमिश्नरी में, एक निर्धारिती के प्रति समान शास्ति के साथ ₹ 6.79 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की गई (जून 2015)।

मांग की पुष्टि होने के पश्चात् न तो विभाग द्वारा सरकारी देयों की वसूली के लिए उक्त अनुबंधित अधिनियम की धारा 11 अथवा धारा 142 के तहत कोई ठोस कार्यवाही आरम्भ की गई न ही मामले को आगे कार्यवाही हेतु कमिश्नरी के कर वसूली सेल को हस्तांतरित किया गया। यद्यपि विभाग ने निर्धारिती के प्रति अभियोजन प्रक्रिया पर विचार किया (दिसम्बर 2016) अततः इस संदर्भ में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस प्रकार, विभाग को 3 वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद अधिनियम की धारा 11 और धारा 142 के तहत वसूली प्रक्रिया अभी आरम्भ करनी है।

iii) सूरत कमिश्नरी में एक निर्धारिती के प्रति ₹ 9.46 करोड़ की मांग तथा समान शास्ति की पुष्टि की गई थी (सितम्बर 2015)। निर्धारिती को डाक द्वारा भेजा गया आदेश बिना डिलीवरी के वापिस हो गया (सितम्बर 2015) तथा पार्टी लापता थी। यद्यपि विभाग को सरकारी देयों की

वसूली के लिए उक्त अनुबंधित अधिनियमों की धारा 11 अथवा धारा 142 के तहत कोई ठोस कार्यवाही अभी शेष है।

iv) गुवाहाटी सीजीएसटी कमिश्नरी के तहत एक निर्धारिती के प्रति विभाग द्वारा ₹ 98.26 लाख की सेवा कर मांग तथा समान शास्ति और ब्याज की पुष्टि की गई (अक्टूबर 2015)।

यद्यपि, विभाग ने इस तथ्य कि निर्धारिती ने सेस्टेट के साथ कोई स्थगन आवेदन दायर नहीं किया था, के बावजूद वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के तहत न तो कोई कार्यवाही आरम्भ की और न ही मई 2016 के पश्चात् बकायों की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

v) जोधपुर कमिश्नरी में एक निर्धारिती के प्रति ₹ 5.85 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग तथा समान शास्ति की पुष्टि की गई थी (अगस्त 2015) तथा इसके निदेशक पर ₹ 5.00 लाख की शास्ति भी लगाई गई थी।

निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील को त्रुटियों का निराकरण करने के लिए चिन्हित किया गया (जनवरी 2016) तथा सेस्टेट द्वारा अनिवार्य पूर्व-जमा प्रस्तुत न करने के लिए वापिस कर दिया गया परन्तु विभाग ने इसे सेस्टेट में लंबित दर्शाया। इसके पश्चात्, विभाग ने सेस्टेट द्वारा अपील वापिस करने के तथ्य को नोटिस किया (दिसम्बर 2017) तथा फिर विभाग ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कार्यवाही आरम्भ करने पर विचार किया (फरवरी 2018)। यद्यपि विभाग द्वारा अभी तक ऐसी कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी (अगस्त 2018)।

इस प्रकार, विभाग मामले की समय पर अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में 22 माह से अधिक की अवधि हेतु मामले का निपटान करने से अनभिज्ञ था तथा अपेक्षित कार्यवाही अभी तक आरम्भ की जानी थी जिसके फलस्वरूप परिहार्य लम्बन हुआ।

vi) कोच्चि कमिश्नरी में, एक निर्धारिती के प्रति ₹ 3.69 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई (जुलाई 2015)। विभाग अक्टूबर 2015 तक निर्धारिती को कथित ओआईओ नहीं दे सका क्योंकि निर्धारिती का ठिकाना पता नहीं था

और निर्धारिती के परिसर में एक महजर (पंचनामा) बनाया गया (जनवरी 2016) जिसके पश्चात् वसूली प्रक्रिया हेतु कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने जांच की तथा यह पाया कि ईएसआईएसटी (विभागीय वेबसाइट) ने दर्शाया है कि निर्धारिती कोच्चि कमिश्नरी के तहत एर्नाकुलम-5 रेंज के तहत अभी भी 'सक्रिय' था। विभाग द्वारा निर्धारिती का पता लगाने के लिए ऐसी मूल कार्यवाही नहीं की गई थी।

इस प्रकार, इस मामले में राजस्व की महत्वपूर्ण राशि को शामिल करने के बावजूद विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए उचित मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव स्पष्ट है।

मंत्रालय ने उक्त सभी मामलों में तथ्यों की पुष्टि की (अक्टूबर 2018) तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा किए गए प्रयास सूचित किए। तथ्य यह है कि विभाग द्वारा की गई शिथिल कार्यवाही के कारण राजस्व की महत्वपूर्ण राशि की वसूली नहीं हो सकी।

4.5.4 आधिकारिक परिसमापक (ओएल) के साथ मामले का अपर्याप्त अनुसरण/अनुसरण न करना

आधिकारिक परिसमापक (ओएल) वह अधिकारी है जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से जोड़ा जाता है। ओएल को कम्पनी बन्द करने के आदेश की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा कम्पनी की सम्पत्ति का 'कब्जा' लेने के पश्चात्, यह क्रेडिटर्स तथा डिबेंचर धारकों के बीच कम्पनी (जो लगभग बन्द होने वाली है) की परिसम्पत्ति को रिलीज करने तथा आवंटन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(i) विभाग ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ओएल (अप्रैल 2001) के साथ अहमदाबाद-उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती के प्रति ₹ 10.51 करोड़ के लम्बित देयों का दावा दर्ज किया। लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा अपील के साथ अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव देखा क्योंकि राजस्व की महत्वपूर्ण राशि के समावेश के बावजूद सात वर्षों से अधिक (अप्रैल 2001 से

नवम्बर 2008) और तीन वर्षों से अधिक (सितंबर 2014 से अक्टूबर 2017) समय तक कोई पत्राचार नहीं हुआ था।

यह वर्णित करना उपयुक्त है कि विभाग को अधिक प्रबलता से मामले पर विचार करने की आवश्यकता थी क्योंकि विभाग ने पिछले सात वर्षों में पत्राचार प्राप्त किया था (अगस्त 2011) जिसमें ओएल द्वारा यह वर्णन किया गया था कि विभाग की देयताओं का भुगतान निधि उपलब्धता के आधार पर अन्य क्रेडिटर्स के साथ यथानुपात आधार पर किया जाएगा तथा उचित समय में सूचना दी जाएगी। ओएल के दौरे के पश्चात् पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत (दिसम्बर 2017) नोट ने दर्शाया कि ओएल के पास अब केवल ₹ 15-16 करोड़ उपलब्ध है जिसे शेष क्रेडिटर्स के बीच संवितरित किया जाएगा।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मामले पर सरकारी देयों की शीघ्र उगाही के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता थी।

इसे अगस्त 2018 में विभाग/ मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि की (अक्टूबर 2018) तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना दी।

(ii) सूरत कमिश्नरी में एक निर्धारिती से उगाही के लिए ₹ 5.10 करोड़ की राशि तथा ब्याज लम्बित था जिसे बीआईएफआर द्वारा रूग्ण इकाई घोषित किया गया तथा इसे बन्द करने एवं परिसमापन के लिए बीआईएफआर द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय को यह मत भेजा गया (जुलाई 2002)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि इस मामले में, विभाग द्वारा उच्च न्यायालय के साथ था उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक (ओएल) के साथ देयों यदि कोई हो तो उनके दावे मांगने तथा पंजीकरण करने के 10 से अधिक वर्षों की अवधि (अगस्त 2002 से मार्च 2013) के लिए किसी अनुवर्ती कार्यवाही का कोई प्रमाण नहीं था। इसके पश्चात् विभाग द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थाई परिषद, बीआईएफआर तथा कोलकाता उत्पाद शुल्क प्राधिकरण के साथ कई पत्राचार तथा अनुवर्ती कार्यवाही की गई (अप्रैल 2013 से जून 2017) परन्तु यह इससे अनभिज्ञ था कि क्या देयों के इसके दावे को उच्च न्यायालय या आधिकारिक

परिसमापक, यदि उच्च न्यायालय द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो, के साथ दायर किया गया था।

इसे अगस्त 2018 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने तथ्यों की पुष्टि की (अक्टूबर 2018) तथा क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना दी।

आन्तरिक नियंत्रण

4.5.5 बकाया वसूली प्रक्रिया के लिए जारी बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन न होना

बोर्ड ने बकायों की वसूली प्रक्रिया को तेज करने तथा बेहतर करने के लिए निर्देश जारी किए थे। यद्यपि, हमने देखा कि इनका क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा उचित रूप से/समय पर पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह अनुदेश/कार्यवाही करना निष्फल हो गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 12 जिसे समान केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुद्दों पर लागू सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 (1)(ग) (ii) बना दिया गया था के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 48/97-सीई (एनटी) दिनांक 2 सितंबर 1997 के माध्यम से सरकार को देय किसी राशि के भुगतान में विफल रहने वाले किसी व्यक्ति की चल और/या अचल संपत्तियों को कुर्क करने और बेचने की शक्तियां दी गई हैं। यदि विभागीय प्रयासों से कोई वसूली नहीं हुई है तो मामले को वसूली सेल को भेजा जाना चाहिए जिसे चूककर्ता की संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली हेतु कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

हमारी पिछली लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 86 मामलों देखे जिनमें 2016 की प्रतिवेदन संख्या 41 (सेवा कर) तथा 2017 की 3 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अध्याय-II में सूचित अनुसार वसूली प्रक्रिया आरम्भ करने में विलम्ब था।

मंत्रालय ने अपनी की गई कार्यवाही टिप्पणी में कहा था (मई 2017) कि बकायों की वसूली के लिए समय पर कार्यवाही करने तथा अवपीड़क कार्यवाही

हेतु पहले ही उपाय करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को सिफारिश भेजी गई थी।

हमने 10 कमिश्नरियों⁴¹ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया कि विव17 तथा विव18 के दौरान वसूली सेल को कोई बकाया मामले हस्तांतरित नहीं किए गए थे। आगे जांच करने पर हमने देखा कि 10 कमिश्नरियों में से पांच कमिश्नरियों⁴² में ₹ 331.19 करोड़ मूल्य राशि के 473 मामले एमपीआर में काफी समय से वसूली हेतु लंबित थे जो बोर्ड के उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार वसूली सेल को हस्तांतरण हेतु योग्य थे परन्तु हस्तांतरित नहीं किए गए।

इसे जुलाई-अगस्त 2018 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने छः कमिश्नरियों⁴³ के संदर्भ में तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) तथा अपने क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्यवाही के ब्यौरे प्रस्तुत किए। मद्रुरे कमिश्नरी के संबंध में यह बताया गया कि वसूली सेल कमिश्नरी में क्रियाशील था। कोचीन, दिल्ली उत्तर कमिश्नरी के लिए यह बताया गया कि उत्तर भेजा जाएगा।

(ii) बोर्ड ने मुख्य कमिश्नर (टीएआर) के अधीन केन्द्रीयकृत कार्यबल (सीटीएफ) के गठन का अनुदेश दिया (अगस्त 2004) जिसमें बकायों की वसूली के लिए सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के केन्द्रीय संरचनाओं के प्रयासों के संबंध में समन्वय, सरलीकरण, मॉनीटर तथा निरीक्षण करने के लिए इसके नोडल अधिकारियों के रूप में कमिश्नर शामिल होंगे। मुख्य कमिश्नर (टीएआर) के इन कार्यों और जिम्मेदारियों को महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को सौंपा गया था (2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यबल के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों (अब डीजीपीएम द्वारा किया जाना है) को निष्पादित नहीं किया गया था:

41 अहमदाबाद उत्तर, भुवनेश्वर, दिल्ली उत्तर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, जोधपुर, कोच्चि, लुधियाना, मद्रुरे और सूरत।

42 भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, कोच्चि और लुधियाना।

43 अहमदाबाद उत्तर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, जोधपुर और लुधियाना।

- उचित बकाया मामलों में बिन बारी सुनवाई और शीघ्र निर्णयों के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं और संबंधित विभागीय प्रतिनिधियों के बीच समन्वय।
- बकाया वसूली के लिए राजस्व के पक्ष में न्यायालय द्वारा पारित बकाया मामलों का अनुसरण।
- शर्तों को पूरा करने की अनुपालना जांच जिनमें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सशर्त स्थगन आदेश दिए गए थे।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), तब मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि कमिश्नरियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति से संबंधित नहीं है क्योंकि आपत्ति डीजीपीएम की कार्यप्रणाली पर थी।

(iii) कमिश्नर (टीएआर), नई दिल्ली ने तीन माह के अन्दर वसूली के लिए सभी प्रयास करने के लिए 'चयनित निवारक दल' को 5 वर्षों से अधिक के लिए 'बन्द इकाईयों/पता न लगने योग्य चूककर्ता' के मामले सौंपने तथा यदि वह दल सभी उपायों का उपयोग करने के पश्चात् तीन माह के बाद के ऐसे मामलों के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो मार्च 2018 तक उसे बड़े खाते में डालने पर विचार करने की सिफारिश की (अगस्त 2017)।

हमने नौ कमिश्नरियों⁴⁴ में पाया कि 'चयनित निवारक दल' को या तो गठित नहीं किया गया था या उपयुक्त मामलों को सौंपने के लिए निर्धारित समय सीमा मार्च 2018 के पश्चात् गठित किया गया था।

इसे जुलाई-अगस्त 2018 में विभाग/ मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) तथा यह कहा कि उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(iv) बोर्ड का दिनांक 1 जून 2011 का परिपत्र संख्या 946/2011 अनुबंधित करता है कि मुख्य कमिश्नरों तथा कमिश्नरों की तीन सदस्य समिति का गठन अवसूली योग्य बकायों को बड़े खाते में डालने के प्रस्ताव की जांच करने तथा बोर्ड के दिनांक 21 सितम्बर 1990 के परिपत्र के अनुसार ऐसे बड़े खाते

44 अहमदाबाद उत्तर, औरंगाबाद, पुणे-1, कोच्चि, पटना-1, जोधपुर, भुवनेश्वर, सूरत और ठाणे ग्रामीण।

में डालने के आदेश देने हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित मामलों पर परामर्श देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, विव16 के लिए कार्यवाही योजना में, बड़े खाते में डालने के लिए उचित सभी मामलों की पहचान और अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने का अनुरोध जोनल मुख्य कमिश्नर को किया गया ताकि ऐसे मामलों को शीघ्रता से बड़े खाते में डाला जा सके। इन निर्देशों को अगस्त 2016 में पुनः दोहराया गया।

हमारी पिछली लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 177 मामलें देखे जिनमें बकाया को बड़े खाते में डालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई भले ही ये स्पष्ट रूप से अवसूली योग्य हो गए तथा काफी समय से लम्बित थे। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2017) कि एक प्रणाली पहले से ही विद्यमान है तथा मामलों पर परामर्श तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कमिश्नरियों द्वारा बड़े खाते में डालने के लिए विचार किया जा रहा है।

हमारी जांच के दौरान, हमने पाया कि किसी भी चयनित कमिश्नरी में, अवसूली बकायों को बड़े खाते में डालने की प्रक्रिया को तीव्र करने के मंत्रालय के दावों के बावजूद लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अवसूली योग्य बकाया मामलों को बड़े खाते में डालने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई।

जब हमने इस विषय में बताया (अगस्त 2018), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि कमिश्नरियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि 20 नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में से किसी में भी बकायों को बड़े खाते में डालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

4.5.6 टीएआर मासिक निष्पादन प्रतिवेदन (एमपीआर) में गलत वर्णन

हमने पांच कमिश्नरियों⁴⁵ में 11 मामले देखे जिनमें वसूली मामलों की मॉनीटरिंग का अभाव था जिसके फलस्वरूप मामलों का अनुपयुक्त वर्गीकरण/गलत वर्णन अर्थात् टीएआर तथा विधिक सेल को प्रस्तुत आंकड़ों में भिन्नता, टीएआर (एमपीआर) में मामलों की स्थिति का अद्यतन न होना,

45 भुवनेश्वर, जोधपुर, कोच्चि, पटना-1 और सूरत।

कमिश्नरी के विभिन्न संरचनाओं द्वारा मामलों के लम्बन के आकड़ों में भिन्नता आदि हुआ।

इन्हें जुलाई-अगस्त 2018 में विभाग/मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने नौ मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) तथा दो मामलों में यह कहा गया कि कोई भिन्नता नहीं थी।

चार मामलें नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) विभाग ने कोच्चि कमिश्नरी में एक निर्धारिती के प्रति ₹ 3.25 करोड़ की राशि की पुष्टि की। सेस्टेट ने अक्टूबर 2006 में अपने पूर्व आदेश के अननुपालन पर निर्धारिती की अपील को निरस्त कर दिया (फरवरी 2007)। इस निर्धारिती ने 2015 में पूर्वावस्था प्राप्ति आवेदन दायर किया तथा सेस्टेट वेबसाइट ने दर्शाया कि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई पूर्वावस्था प्राप्ति अपील को 'खारिज' किया गया था (दिसम्बर 2017)। यद्यपि कमिश्नरी के समीक्षा सेल ने 'सेस्टेट मामलों' की सूची में यह मामला सम्मिलित किया तथा सरकारी देयों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि सरकारी देयों की वसूली के लिए कार्यवाही अभी आरम्भ की गई थी।

(ii) सूरत कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने विभाग द्वारा पुष्टि की गई ₹ 6.62 करोड़ की मांग के प्रति सेस्टेट में अपील फाइल की थी (जून 2017)। यद्यपि, मामले को अभी भी 'वसूलीयोग्य बकायों' के रूप में दर्शाया गया था क्योंकि कमिश्नर (अपील) ने संबंधित रेंज/ डिविजन/ कमिश्नरी को अपील की प्रति नहीं दी थी जो अन्तः विभागीय समन्वय के अभाव को दर्शाता है।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि चूक को अब ठीक किया गया है तथा भविष्य में एमपीआर में इस प्रकार के मामलों को अद्यतित करने के लिए अधिकतम सावधानी बरती जाएगी।

(iii) विभाग ने सात ओआईओ द्वारा कोच्चि कमिश्नरी में एक निर्धारिती के प्रति ₹ 9.72 करोड़ की राशि की पुष्टि (2007 से 2014) की, जिसके लिए चल तथा अचल सम्पत्ति को जब्त करने के लिए आदेश जारी किए गए थे (मार्च 2015)।

यद्यपि विभाग ने केवल ₹ 7.17 करोड़ की मांग करने वाले निर्धारिती की कुल देयता की सगणना करने के लिए 2013 में जारी केवल दो ओआईओ पर विचार किया (जनवरी 2016) तथा ₹ 2.55 करोड़ की राशि तथा लागू ब्याज सहित अन्य पांच ओआईओ को अनदेखा किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.55 करोड़ तक वसूली योग्य बकायों तथा उस पर ब्याज की कम मांग हुई। चूंकि निर्धारिती की चल/अचल सम्पत्तियों को जब्त करके वसूली कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई थी, इस राशि की चूक ₹ 2.55 करोड़ तक कम वसूली के समान होगी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि छोड़ी गई राशि को बकाया रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था तथा जल्ती आदेश में राशि सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

4.5.7 विभाग द्वारा बकायों की वसूली को मॉनीटर करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग

लेखापरीक्षा ने सीएजी की 2017 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 के पैराग्राफ 2.10.3 तथा सीएजी की 2016 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 41 के पैराग्राफ 2.10.2 के द्वारा बकायों की वसूली के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/ प्रोग्राम की आवश्यकता के विषय में बताया था। इसकी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि बोर्ड ने एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) बनाई है तथा प्रणाली के चरण-1 में जून 2015 से परिचालित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने के लिए वेब आधारित यूटिलिटी सम्मिलित है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि द्वितीय चरण को लागू करने के लिए एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया था जिसमें मैन्यूअल रजिस्ट्रों को डिजिटल रजिस्ट्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था।

यद्यपि हमने देखा कि चयनित कमिश्नरियों में से सभी में परियोजना के द्वितीय चरण को इसके प्रथम चरण के कार्यान्वयन के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी कार्यान्वित किया जाना है।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया था (अक्टूबर 2018)।

4.6 निष्कर्ष

राजस्व की बड़ी मात्रा निरन्तर बढ़ते बकाया में फंसी हुई है। हमने पहले भी इस पर ध्यान देने में गंभीर चूके दर्शाई थी (सीएजी की 2016 की प्रतिवेदन संख्या 41 तथा सीएजी की 2017 की प्रतिवेदन संख्या 3 का अध्याय II)। इसके बावजूद, हमारे मुद्दों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कमियों तथा अनियमितताओं के मामलों से स्पष्ट है। इसके अलावा वसूली प्रक्रिया को बढ़ाने तथा मॉनीटरिंग उपकरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को दर्शाने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेष प्रयोजन वाहनों अर्थात् वसूली सेल, विशेष निवारक दल आदि की अप्रभावकारिता के संबंध में मामलों पर भी अभी ध्यान दिया जाना है।

अध्याय V

कर प्रशासन एवं आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

(सेवा कर)

5.1 प्रस्तावना

किसी संरचना में आंतरिक नियंत्रण जोखिमों का समाधान करने तथा यह उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए परिकल्पित है कि सत्व के मिशन के अनुसरण में निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों⁴⁶ को प्राप्त किया जा रहा है:

- जवाबदेही दायित्व पूर्ण करना;
- लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति से संसाधनों की सुरक्षा।

स्व-निर्धारण के युग में, एक सुदृढ अनुपालन सत्यापन तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार कर बोर्ड ने दो कार्यों अर्थात् विवरणियों की संवीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास तथा नियमित रूप से कर जाल के अन्तर्गत लाई जा रही नई सेवाओं के साथ, उन व्यक्तियों की पहचान के लिए अनुदेश भी मौजूद है जो कर चुकाने के दायी थे परन्तु भुगतान टालते रहे, ताकि उन्हें कर जाल में लाया जा सके, जिसके फलस्वरूप कर आधार विस्तृत हो।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमें 744 लेखापरीक्षित रेंजों में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की गई 18,000 एसटी-3 विवरणियों की जांच के दौरान लागू अधिनियम/नियम प्रावधानों अनुदेशों आदि के अनुपालन में कई कमियों का पता चला। लेखापरीक्षा संसृति, नमूना एवं निष्कर्षों के संबंध में इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 2.3 और 2.4 में चर्चा के अनुसार मंत्रालय को जारी 263 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से कराधार विस्तारण, विवरणियों की संवीक्षा, निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा,

46 इंटीसाई जीओवी 9100-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानकों के लिए दिशानिर्देश।

अपवंचन रोधी सेल, प्रतिदाय दावों का निपटान, एससीएन के अधिनर्णयन और क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली से संबंधित 168 डीएपी पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

उपरोक्त 168 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से हमने ₹ 206.54 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 104 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को अपनी आपत्तियां भेजी जिसमें 43 कमिश्नरियों के विभागीय अधिकारियों की चूक के बारे में बताया गया था। उपरोक्त में से मंत्रालय ने 51 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया, मंत्रालय ने 42 मामलों में राजस्व हानि तथा राजस्व वसूली हेतु उपचारात्मक कार्यवाही के मामलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। मंत्रालय ने 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार नहीं की (सितम्बर 2018)। इन मामलो को परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है।

उपरोक्त 168 डीएपी में से हमने 36 कमिश्नरियों में निर्धारितियों द्वारा सेवा कर/ ब्याज के भुगतान न करने/ कम भुगतान करने तथा सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना/ उपयोग के आधार पर ₹ 52.00 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 63 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ भी जारी किये थे। उपरोक्त में से 55 मामलों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है तथा वसूली की गई/ वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है, आठ मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही अभी की जानी थी (सितम्बर 2018)। इन मामलों को परिशिष्ट-II में शामिल किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, विव18 में विभागीय यूनिटों की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने 46 कमिश्नरियों तथा एडीजी (लेखापरीक्षा), मुम्बई में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, एससीएन का अधिनिर्णयन, प्रतिदाय आदि से संबंधित प्रणालीगत चूके भी देखी जिन्हें 109 टिप्पणियों वाले एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ के माध्यम से मंत्रालय को भेजा गया जिनमें से कुछ मामलों, जहां हम संगणना कर सकते थे, में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की धन राशि ₹ 31.71 करोड़ थी।

आठ प्रमुख शीर्षकों के तहत आगामी पैराग्राफों में निम्नलिखित टिप्पणियों की चर्चा की गई है:

- कर आधार का विस्तार करना
- विवरणियों की संवीक्षा
- आन्तरिक लेखापरीक्षा - सूचना प्रस्तुत न करना
- आन्तरिक लेखापरीक्षा - चूकों का पता न लगना
- अपवंचन-रोधी सेल द्वारा जांच
- प्रतिदाय दावों का निपटान
- एससीएन जारी करना तथा अधिनिर्णयन
- अन्य चूके

5.3 कर आधार का विस्तार करना

कर आधार का विस्तार करना तथा कर अपवंचन का निवारण करना इष्टतम कर उगाही के लिए कर प्रशासन के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अधिकतम कर प्रदाताओं द्वारा ऐच्छिक अनुपालन पर बढ़ते विश्वास के साथ, अनैतिक निर्धारितियों को कर आधार में लाने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहित करने हेतु एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, बोर्ड ने नवम्बर 2011 में अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को यह निर्देश दिया कि प्रत्येक कमिश्नरी में संभावित निर्धारितियों को लाने के लिए कर आधार का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक विशेष सेल सृजित किया जाएगा।

5.3.1 थर्ड पार्टी डाटा का सत्यापन न करना

मुम्बई जोन तथा दो कमिश्नरियों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मुख्य कमिश्नर कार्यालय द्वारा कमिश्नरों को सीबीडीटी डाटा से सत्यापन हेतु आवंटित 19,168 निर्धारितियों में से विभाग ने 17,113 निर्धारितियों का सत्यापन नहीं किया। विभाग द्वारा विव13 से विव15 के दौरान सत्यापित 2,055 मामलों (11 प्रतिशत) में से 836 मामलों में ₹ 239.75 करोड़ की राजस्व देयता का पता चला। यह दर्शाता है कि आवंटित मामलों में अधिक राजस्व संभावना थी तथा तदनुसार इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। यद्यपि 89 प्रतिशत निर्धारितियों में सत्यापन नहीं किया गया जैसाकि नीचे दिया गया है:

तालिका 5.1: थर्ड पार्टी डाटा का सत्यापन न करना

					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्रीय संरचना	कुल मामले	सत्यापित न किए गए मामले	सत्यापित मामले	पता चला शुल्क अपवंचन
1.	मुम्बई जोन	14,568	12,738	1,830	239.11
2.	पुणे एसटी कमिश्नरी का डिविजन IV	3,013	2,842	171	उ. न.
3.	मदुरै कमिश्नरी का तूतीकोरिन डिविजन	1,587	1,533	54	0.64
कुल		19,168	17,113	2,055	239.75

इन मामलों में अधिक राजस्व की संभावना पर विचार करते हुए सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप राजस्व का काफी निकास हो सकता है।

मंत्रालय ने दो कमिश्नरियों के उत्तर भेजे (अक्टूबर 2018)। भिवंडी कमिश्नरी (मुम्बई जोन के तहत) ने कहा कि कार्य प्रक्रियाधीन था तथा मुम्बई दक्षिण कमिश्नरी (मुम्बई जोन के तहत) ने कहा कि विव13 से सम्बंधित मामलों का सत्यापन किया गया था। इसके अलावा, विव14 तथा विव15 के लिए भी लम्बन के परिसमापन के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे थे।

उपरोक्त के अलावा, हमने सात अन्य मामलें देखे तथा ₹ 69.60 करोड़ के राजस्व सहित दो ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए (परिशिष्ट-1 के भाग ए में सम्मिलित) जैसाकि नीचे विस्तृत किया गया है:

5.3.2 स्थानीय निकाय का पंजीकरण न होना तथा इसके परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी के खण्ड (ए) के अनुसार, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक सत्वों को प्रदत्त समर्थन सेवाएं सेवा कर भुगतान की पात्र है। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4 अनुबंधित करता है कि सेवा कर का भुगतान करने के उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस तिथि से 30 दिनों के अन्दर पंजीकृत होना चाहिए जिस पर सेवा कर प्रदत्त सेवा पर उद्ग्राह्य हो सकता है। बोर्ड की दिनांक 23 अगस्त 2007 की परिपत्र संख्या 97/8/2007-एसटी वर्णित करती है कि पंजीकरण के

लिए आवेदन करने वाले निर्धारितियों को पैन आधारित पंजीकरण दिया जाएगा। सेवा कर नियमावली का नियम 7 सभी पंजीकृत निर्धारितियों द्वारा एसटी-3 विवरणियों की प्रस्तुति का वर्णन करता है। अधिनियम की धारा 73ए अनुबंधित करती है कि सेवा कर के प्रति संग्रहित किसी राशि को सरकारी खाते के अन्दर जमा किया जाएगा।

निर्धारिती, जो राज्य विधायिका द्वारा स्थापित प्रासांगिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत शहरी स्थानीय निकाय है, शहर के निवासियों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं के प्रशासन एवं इन्हें प्रदान करने के लिए स्थानीय स्व-सरकार है। इस प्रकार निर्धारिती वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी प्राधिकरण दोनों के लिए योग्य है।

संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत सौंपे गए कार्य करने के अतिरिक्त, निर्धारिती अपने क्षेत्राधिकार के तहत स्थित व्यावसायिक सत्वों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु इसके द्वारा धारित भवन तथा भूमि को पट्टे पर देने, सार्वजनिक पार्को में फिल्म की शूटिंग की स्वीकृत देने, टेलीकॉम कम्पनियों को केबल बिछाने के कार्य के लिए सड़क का उपयोग करने की स्वीकृति देना आदि जैसी विभिन्न कर योग्य सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारिती ने विव15 तथा विव16 के लिए वित्तीय विवरणों में वर्तमान देयताओं के तहत सेवा कर के रूप में ₹ 10.24 करोड़ बताए जो यह संकेत देता है कि कथित राशि को निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों से सेवा कर के रूप में संग्रहित किया गया परन्तु इसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया। निर्धारिती के वित्तीय अभिलेखों के सत्यापन से यह पता चला कि निर्धारिती विव14 से विव16 के दौरान इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रति प्राप्त प्रतिफल पर उक्त संदर्भित ₹ 10.24 करोड़ सहित ₹90.07 करोड़ के सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

सत्यापन से यह भी पता चला कि निर्धारिती के कुछ जोनल कार्यालय/ डिविजन को सेवा कर प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत किया गया था तथा उनके पास अस्थाई पंजीकरण नम्बर थे जबकि अन्य डिविजन/ जोनल कार्यालय में पंजीकृत नहीं थे जो कर योग्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निर्धारिती के पंजीकृत डिविजन/ जोनल कार्यालयों ने अभी तक कोई एसटी-3 विवरणी फाइल नहीं की थी (अक्टूबर 2017)। निर्धारिती को जुलाई 2012 से प्रभावी

उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कर योग्य होने के लिए 30 दिनों के अन्दर सेवा कर प्राधिकारियों से स्वयं के लिए पूर्ण अथवा इसके सभी डिविजनों के लिए पृथक रूप से पंजीकरण करवाना चाहिए। यद्यपि विभाग को यह पता था कि नकारात्मक सूची आधारित कराधान तंत्र द्वारा सरकारी/ स्थानीय निकाय द्वारा व्यावसायिक सत्वों को प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर आधार में लाया गया, इसने सेवा कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण निर्धारिती को पंजीकृत करवाने अथवा कुछ जोनों/डिविजनों द्वारा प्राप्त अस्थाई पंजीकरणों को पैन-आधारित पंजीकरणों में परिवर्तित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग ने भी निर्धारिती के पंजीकृत जोन कार्यालयों/ डिविजनों द्वारा नियमित रूप से विवरणी फाइल करने को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

हमने इस विषय में बताया (अक्टूबर 2017), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि अचल परिसम्पत्ति सेवाओं को किराए पर देने के अन्तर्गत ₹ 68.81 करोड़ के लिए एक एससीएन जारी किया गया था तथा आगे कहा गया कि स्थाई पंजीकरण नम्बर न लेने अथवा अपनी सभी डिविजनल इकाईयों का पंजीकरण न करने से संबंधित अन्य मामलों का अधिनिर्णयन कार्यवाहियों द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर विभागीय अधिकारियों की विफलता पर मौन है।

5.3.3 प्रावधान की कमी

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 69 के अनुसार, सेवा कर के भुगतान हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति उस तिथि से 30 दिनों की अवधि में पंजीकरण हेतु एसटी-1 में आवेदन करेगा जिस पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 (बी) के अंतर्गत सेवा कर उद्ग्राह्य है। इस एसटी-1 फॉर्म में व्यवसाय के आरम्भ होने की तिथि तथा पूर्व-पंजीकरण अवधि के वित्तीय परिणामों को भरने का कोई कॉलम नहीं है। नियमावली इस सूचना को एकत्र करने के लिए कोई जांच बिन्दु भी प्रदान नहीं करती।

कोचीन कमिश्नरी में सेवा कर रेंज कोट्टायम की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2015) के दौरान राज्य वैट विभाग के साथ पंजीकृत आठ निर्माण कार्य ठेकेदारों के

सेवा कर पंजीकरण स्थिति के सत्यापन से पता चला कि उन्होंने अपनी वैट पंजीकरण तिथि से काफी बाद सेवा कर पंजीकरण लिया था। इसके बाद, लेखापरीक्षा ने वैट विवरणियों तथा राज्य वाणिज्यिक कर विभाग में उपलब्ध अभिलेखों से पाया कि छः कार्य ठेकेदारों की सेवा कर पंजीकरण की तिथि से पूर्व करयोग्य आय थी (जून 2011 से फरवरी 2014 के बीच पंजीकृत) जिसे उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप विव11 से विव13 तक की समयावधि के लिए ₹ 60.30 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ था।

सेवा कर पंजीकरण के लिए व्यवसाय के आरम्भ की तिथि का पता लगाने के लिए अधिनियम/ नियमावली में कोई जांच बिन्दु प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रथम एसटी-3 विवरणी के पंजीकरण/ फाइल करने के समय वित्तीय अभिलेखों के सत्यापन के लिए एक तंत्र के अभाव के फलस्वरूप इन निर्धारितियों द्वारा सेवा कर का भुगतान न करने का पता नहीं चला।

जब हमने इस विषय में बताया (सितम्बर 2015), तब मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2018) कि छः मामलों में से केवल चार में सेवा कर का कम भुगतान किया गया था। चार मामलों में से तीन में सुधारात्मक कार्यवाही की गई थी तथा चौथे मामले में जांच चल रही है।

सेवा प्रदाताओं को एसटी पंजीकरण देते समय पूर्व-पंजीकरण अवधि की आय की जांच करने के लिए प्रावधानों के अभाव पर मंत्रालय का उत्तर मौन है।

मंत्रालय इस पर विचार करे कि पंजीकरण देते समय विभाग द्वारा पूर्व अवधि की सेवा कर देयता की जांच करने के लिए व्यवसाय के आरम्भ से सम्बंधित ब्यौरे तथा इस अवधि का वित्तीय विवरण मांगा जाएं।

5.4 सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

बोर्ड ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वयं निर्धारण शुरू किया था। स्वयं निर्धारण की शुरुआत के साथ, विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ सुदृढ़ अनुपालन जांच तंत्र का भी प्रावधान किया। निर्धारण कर अधिकारियों का मुख्य कार्य था जिन्हें कर भुगतान की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा करनी थी। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा हेतु

नियमपुस्तक 2009, के अनुसार रेंज अधिकारी द्वारा प्राप्त एवं संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या के संबंध में डिविजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप कमिश्नर के समक्ष मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी। संवीक्षा दो चरणों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के स्वचालन (एसीईएस) द्वारा प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा में की गई थी जिन्हें एसीईएस या अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर हस्त्य रूप से किया गया था।

उक्त नियम पुस्तक के पैरा 1.2 बी के अनुसार, विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा सभी विवरणियों पर की जानी थी। उक्त नियम पुस्तक के पैरा 4.2ए के अनुसार केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच विस्तृत संवीक्षा में किए जाने की आवश्यकता थी।

5.5 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

बोर्ड ने दिनांक 30 जून 2015 के परिपत्र द्वारा सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा हेतु संशोधित जांच सूची जारी की थी। परिपत्र के पैरा 2.1 के अनुसार, प्रणाली महानिदेशक एवं डाटा प्रबंधन (डीजीएसएंडडीएम) द्वारा एसीईएस में सम्मिलित जांच सूची के वैधीकरण के आधार पर, सभी विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस में ऑनलाइन की जानी थी और कुछ त्रुटियों वाली विवरणियों को समीक्षा एवं सुधार (आरएनसी)⁴⁷ हेतु चिन्हित किया गया था। इन्हें रेंज अधिकारियों द्वारा तदनुसार संशोधित किया जाना था। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, संगणित राशि की अंकगणितीय सटीकता तथा नॉन-फाइलर्स/स्टॉप फाइलर्स की पहचान सुनिश्चित करना था। यदि एसीईएस प्रणालियों द्वारा कोई विसंगति पाई गई तो ऐसी सभी विवरणियों को आरएंडसी हेतु चिन्हित किया गया था। एसीईएस द्वारा आरएनसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों को निर्धारिती से परामर्श के बाद वैधीकृत किया जाना तथा प्रणाली में पुनः दर्ज किया जाना चाहिए। विवरणियों तथा आरएनसी की प्राथमिक संवीक्षा विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर पूरी की जानी थी।

47 चिन्हित विवरणियों के संदर्भ में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया को आरएनसी कहा जाता है।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद, मंत्रालय/ विभाग ने विव17 तथा विव18 के लिए सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा से सम्बंधित डाटा प्रदान नहीं किया। यद्यपि एसीईएस द्वारा विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा तथा आरएनसी हेतु विवरणियों का ऑनलाइन चिन्हांकन किया गया था तथापि, विभाग लेखापरीक्षा को यह सूचना प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2018) कि अभी मुख्य कमिश्नरियों को बोर्ड को यह सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया था। स्व-निर्धारण तंत्र में, कर निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विवरणियों की संवीक्षा विभाग के पास उपलब्ध एक उपकरण है। डाटा का अनुरक्षण न करना तथा डाटा प्रस्तुत न करना विभाग द्वारा अभिलेख के खराब संरक्षण की ओर संकेत करता है।

विव18 के दौरान विभागीय इकाईयों पर अभिलेखों की संवीक्षा की नमूना जांच के दौरान, हमने 20 कमिश्नरियों⁴⁸ में आरएनसी/ विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों को निष्पादन न करने/ मंजूर न करने के 45 मामलों देखें। इसके अलावा, हमने सात कमिश्नरियों⁴⁹ में विलम्ब से फाइल होने वाली अथवा फाइल न होने वाली 420 विवरणियां देखी जिस पर कमिश्नरियों द्वारा ₹ 56 लाख का विलम्ब शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, हमने ₹ 22.55 करोड़ के राजस्व सहित 26 ड्राफ्ट पैराग्राफ (परिशिष्ट-I के भाग बी में सम्मिलित) जारी किए जहां विभाग द्वारा प्राथमिक संवीक्षा की व्यवस्था, एसटी-3 विवरणी में प्रदर्शित कर देयता का कम भुगतान करने/ भुगतान न करने, कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने अथवा एसटी-3 विवरणी फाइल न करने/ विलम्ब से फाइल करने में विसंगतियों के कारण का पता नहीं लगाया गया। मंत्रालय ने 19 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा 13 मामलों में इन चूकों के लिए एसीईएस में सुविधा न होने/ कमी होने को जिम्मेदार ठहराया। चार मामलों में, मंत्रालय ने राजस्व हानि को स्वीकार किया परन्तु विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया जबकि तीन मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया।

48 अहमदाबाद एसटी, अहमदाबाद-I, आगरा, बेलापुर, बंगलुरु-IV, दिल्ली एसटी-I, दिल्ली एसटी-II, हैदराबाद, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मेडचल, मुंबई पूर्व, मुंबई पश्चिम, नागपुर-I, नवी मुंबई, पुणे एसटी, राजकोट, सलेम, तिरुपति तथा विशाखापट्टनम

49 बंगलुरु-I, बंगलुरु-IV, हैदराबाद, मैंगलोर, मेरठ, सिकन्दराबाद और विशाखापट्टनम।

कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

5.5.1 एसीईएस द्वारा आरएनसी के लिए चिन्हित एसटी-3 विवरणियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

5.5.1.1 बेंगलुरु-IV कमिश्नरी में यह देखा गया कि एसीईएस ने मार्च 2016 के माह के लिए अन्तः शेष तथा अप्रैल 2016 के माह हेतु आदि शेष के बीच सेनवेट खाते में ₹ 63.82 लाख की भिन्नता की वजह से आरएनसी हेतु निर्धारिती द्वारा फाइल एसटी-3 विवरणियों को चिन्हित किया। भिन्नता इसलिए हुई क्योंकि निर्धारिती ने संशोधित एसटी-3 विवरणी की बजाय सितम्बर 2015 से मार्च 2016 की समयावधि हेतु फाइल की गई मूल एसटी-3 विवरणियों के अनुसार अन्तः शेष को अपनाया। आरएनसी न करने की वजह से ₹ 63.82 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट की वसूली नहीं की जा सकी।

जब हमने इस विषय में बताया (मई 2017) तब मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018)।

5.5.1.2 सलेम कमिश्नरी में, एक निर्धारिती ने विव15 से विव17 के लिए प्रस्तुत विवरणी में ₹ 3.58 करोड़ का भुगतान योग्य सेवा कर घोषित किया गया था, जबकि विवरणी में दर्शाए गए कर के भुगतान का कोई विवरण नहीं था। लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि 31 दिसम्बर 2017 को निर्धारिती ने निर्धारित अवधि के बाद ₹ 2.52 करोड़ कर का भुगतान किया था लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया था जो ₹ 34.07 लाख गिना गया। इसके अलावा ₹ 17.46 लाख के ब्याज के साथ ₹ 90.47 लाख की बकाया राशि भी बिना भुगतान के रही थी (लेखापरीक्षा की तिथियों तक)।

यद्यपि निर्धारिती ने लगातार भुगतान में चूक की और एसीईएस ने आरएनसी के लिए प्रस्तुत एसटी विवरणी को भी चिन्हित किया था, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक बकाया कर एवं ब्याज असंग्रहित रहा।

जब हमने यह इंगित किया (जनवरी 2018), मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि विभाग पहले ही इस मुद्दे से अवगत था और बकाया के भुगतान के लिए निर्धारिती को

जनवरी 2016 को एक पत्र जारी किया गया था और निर्धारिती ने बकाया का आंशिक भुगतान किया और पूर्ण भुगतान के लिए मई 2016 तक का समय मांगा। वर्तमान में निर्धारिती ने ₹ 5 लाख के ब्याज के साथ ₹ 1.10 करोड़ की आपत्तिकृत राशि का भुगतान किया था।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती 2014 से नियमित चूककर्ता था जो प्रत्येक वर्ष सेवा कर का कम भुगतान करता था। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा पूर्ण भुगतान के लिए मांगी गई समय सीमा भी मई 2016 तक थी लेकिन इसके बाद भी विभाग द्वारा कोई प्रतिरोधी कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, फरवरी 2018 में धारा 87 के तहत वसूली के लिए एक नोटिस (किसी तृतीय पक्ष-सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया) जारी किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने निर्धारिती द्वारा सेवा कर के बार-बार कम भुगतान पर शास्ति उगाही के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

5.5.1.3 बेंगलुरु एसटी-II कमिश्नरी में, निर्धारिती एक सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत एसटी-3 विवरणी के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने सेनवेट खाते में मार्च 2016 के महीने के लिए ₹ 18.85 करोड़ के अंत शेष के प्रति अप्रैल 2016 के महीने के लिए ₹ 19.96 करोड़ का आरंभिक शेष घोषित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ के अतिरिक्त सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया। हालांकि एसीईएस ने इस त्रुटि को दर्शाते हुए आरएनसी के लिए एसटी-3 विवरणी को चिन्हित किया, फिर भी विभाग ने अनियमित क्रेडिट को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (मई 2018) कि निर्धारिती ने लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर अप्रैल 2017 में सेनवेट खाते में ₹ 1.11 करोड़ की वापसी हुई। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि प्री-जीएसटी काल में एसीईएस कार्यपद्धति में कुछ खामियां थीं। आरएनसी के लिए चिन्हित विवरणी का भारी लंबन मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है। बोर्ड द्वारा भारी लंबन का समाधान करने के लिए आरएनसी के लिए चिन्हित विवरणी के निपटारे में तेजी लाने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को डी.ओ (अप्रैल 2018) पत्र जारी किया गया।

5.5.2 नॉन/स्टॉप फाइलर एवं सेवा कर का भुगतान न करने वालों का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7 में बताया गया है कि सेवा कर चुकाने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को आधा वर्ष समाप्त होने के 25 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फार्म एसटी-3 अर्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी है।

एसटी-1 कमिश्नरी बेंगलुरु में एक निर्धारिती विभिन्न ग्राहकों को कार्यक्रम प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है और उनसे सेवा कर संग्रह करता है। रेंज कार्यालय में सेवा कर भुगतान विवरणों का सत्यापन करने पर पता चला है कि निर्धारिती ने विव13 के बाद की अवधि के लिए न तो सेवा कर का भुगतान किया है न ही एसटी-3 विवरणी दायर की है। लेखापरीक्षा ने विव13 से विव15 तक की अवधि के लिए निर्धारिती का वित्तीय विवरण प्राप्त किया (फरवरी 2017) जिसमें पता चला कि निर्धारिती उक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर ₹ 1.04 करोड़ के सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। कमिश्नरी ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72 के अनुसार इस मामले में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की।

जब हमने इसे इंगित किया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने कहा (जून 2018) कि ₹ 1.40 करोड़ के सेवा कर की मांग करने वाला एक एससीएन जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कमिश्नरियों में पंजीकृत निर्धारितियों की बड़ी संख्या से संवीक्षा के लिए प्रत्येक विवरणी को लेना मुश्किल हो जाता है। तथापि, जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के साथ तदनुसार जीएसटी पोर्टल को चूककर्ता/नॉन-फाइलरों के विवरण पकड़ने के लिए संशोधित किया जा रहा था।

5.6 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

दिनांक 30 जून 2015 के परिपत्र के अनुसार बोर्ड द्वारा सेवा कर विवरणी की विस्तृत संवीक्षा के लिए संशोधित जांच सूची जारी की गई थी। परिपत्र के अनुसार विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य निर्धारिती द्वारा किए गए निर्धारण की सत्यता को सुनिश्चित करना है। इसमें सेवा की कर देयता की जांच, सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 के साथ पठित वित्त

अधिनियम, 1994 कि धारा 67 के संदर्भ में कर योग्य सेवा के मूल्य की शुद्धता, है और खाते की स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर कर की प्रभावी दर शामिल है छूट अधिसूचना, कमी, या निर्यात, यदि कोई हो, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 आदि के सन्दर्भ में इनपुट, पूंजीगत वस्तुओं और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का उचित लाभ/उपयोग सुनिश्चित करना है। उक्त परिपत्र के पैरा 6.3 के अनुसार जोनल मुख्य आयुक्तों को अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सेवा कर महानिदेशालय को तब तक प्रस्तुत करना था जब तक कि आयुक्त को सीबीआईसी के एमआईएम में डेटा अपलोड करने में सक्षम नहीं किया गया।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद मंत्रालय/विभाग ने विव16 से विव18 के लिए विवरणियों की संवीक्षा से संबंधित डाटा प्रदान नहीं किया। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (मई 2018) कि सभी मुख्य आयुक्तों से बोर्ड को यह सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। स्व-निर्धारण व्यवस्था में, विवरणी की संवीक्षा कर निर्धारण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों में से एक है। डेटा के अननुरक्षण एवं अप्रस्तुतिकरण विभाग द्वारा रिकार्ड के रखरखाव में कमी की ओर इशारा करता है।

विव18 के दौरान विभागीय इकाईयों में विस्तृत संवीक्षा से संबंधित रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, हमने छह कमिशनरियों⁵⁰ में विस्तृत संवीक्षा के गैर-संचालन के छः उदाहरणों को देखा। इसके अलावा, हमने सात कमिशनरियों⁵¹ में विस्तृत संवीक्षा के लिए चिन्हित 704 विवरणियों के गैर-निपटान के 16 उदाहरणों को देखा।

उपर्युक्त के अलावा, हमने 10 मसौदे पैराग्राफ भी जारी (परिशिष्ट-I की धारा बी में शामिल) किए जिनमें ₹ 6.88 करोड़ रुपये का राजस्व शामिल था, जहां विवरणी की गैर-संचालन/ अप्रभावी विस्तृत संवीक्षा, कर का कम/ गैर-भुगतान, कर के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया आदि का विभाग को पता नहीं चला था। पांच मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीखा आपत्ति को स्वीकार किया, चार मामलों में मंत्रालय ने राजस्व हानि को

50 आगरा, दिल्ली एसटी-I, मुंबई पश्चिम, नागपुर-I, नवी मुंबई और सलेम।

51 बेलापुर, दिल्ली एसटी-II, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, मुंबई पूर्व, पुणे एसटी और तिरुपति।

स्वीकार किया लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया और एक मामले में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया।

उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

5.6.1 विवरणी की विस्तृत संवीक्षा में सेवा कर की गैर-उगाही का पता नहीं लगना

दिनांक 20 जून 2012 (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) की अधिसूचना सं. 30/2012-एसटी के क्रम संख्या 10 के अनुसार, जब सेवा प्रदाता गैर कर योग्य क्षेत्र में है और सेवा प्राप्त करने वाला कर योग्य क्षेत्र में है, तो सेवा कर सेवा प्राप्त करने वाले को देना है।

कच्छ कमिश्नरी में एक निर्धारिती को विभाग द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा के लिए चुना गया था। प्रासंगिक दस्तावेजों की संवीक्षा पर हमने देखा कि निर्धारिती ने विव14 एवं विव15 की अवधि के दौरान “रॉयल्टी भुगतान” (गैर-कर योग्य क्षेत्र से सेवा प्राप्त हुई) की ओर ₹ 1.84 करोड़ डेबिट कर दिया, जिस पर ₹ 22.71 लाख का कुल सेवा कर देय था लेकिन निर्धारिती द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।

विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा के लिए निर्धारिती द्वारा रेंज को प्रस्तुत किए रिकॉर्डों में यह सूचना उपलब्ध थी लेकिन इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी रेंज अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2016), मंत्रालय ने (जून 2018) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और सूचित किया कि विभाग ने ₹ 8.04 लाख के ब्याज के साथ ₹ 22.71 लाख वसूल किए थे। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि ईकाई का चयन केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों/रिकॉर्डों की विस्तृत मैनुअल संवीक्षा के लिए किया गया था और उक्त को रेंज कार्यालय द्वारा (मार्च 2016) आयोजित किया गया था। इसलिए, क्षेत्राधिकारी रेंज अधिकारी के तरफ से कोई विफलता/चूक नहीं हुई थी।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रेंज अधिकारी को सेवा कर के संबंध में राजस्व की रक्षा के लिए बुद्धिमानी से उपलब्ध जानकारी की जांच

करनी चाहिए और केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्देश्य के लिए यांत्रिक रूप से नहीं।

5.6.2 सेवा कर के कम भुगतान का पता नहीं लगा क्योंकि विस्तृत संवीक्षा आयोजित नहीं हुई थी।

5.6.2.1 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडओ) प्रदान करता है कि तिपहिया, स्कूटर, आटो रिक्शा के अलावा किसी भी मोटर वाहन की मरम्मत, पुननिर्माण, बहाली या सजावट या किसी अन्य समान सेवाओं के लिए किसी भी सेवा के संबंध में प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा या प्रदान की जानी है और मोटर वाहन का मतलब माल ढोने वाली गाड़ी, एक कर योग्य सेवा है।

पटना-II कमिश्नरी में हाजीपुर रेंज के एक निर्धारिती के वार्षिक वित्तीय विवरण, फार्म 26 एस और एसटी-3 विवरणियों की लेखापरीक्षा जांच (अक्टूबर 2016) करने पर पता चला कि निर्धारिती ने विव14 से विव16 के दौरान ₹ 1.90 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिसे विभिन्न स्रोतों जैसे हीरो मोटोकॉर्प (निःशुल्क सेवा प्रकार के लिए), इंडसइंड बैंक लिमिटेड (व्यावसायिक एवं अन्य के लिए), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस (बीमा कमीशन के लिए), और अन्यो से प्राप्त हुई थी। निर्धारिती ने विव14 से विव16 के दौरान एसटी-3 विवरणियों में केवल ₹ 80.17 लाख की राशि दर्शाई थी। इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान उस पर लागू ब्याज के साथ ₹ 14.53 लाख का सेवा कर और उपकर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2016), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली और कहा (जुलाई 2018) कि विव14 से विव17 तक की अवधि को कवर करने के लिए निर्धारिती को ₹ 39.17 लाख (₹ 14.53 लाख की आपत्तिकृत राशि सहित) का एससीएन जारी (फरवरी 2018) किया गया है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणी दायर करने की अवधि के दौरान वास्तविक मूल्य को छुपाया। विवरणियों की संवीक्षा के आधार पर सेवा कर के गैर-भुगतान का पता नहीं लगाया जा सकता है।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि दिनांक 30 जून 2015 के परिपत्र के अनुलग्नक III के अनुसार, वित्तीय रिकॉर्डों अर्थात् लाभ एवं हानि खाता, प्रासंगिक आईटीआर आदि में दिखाए गए राजस्व को एसटी-3 विवरणियों में दर्शाए गए राजस्व के साथ सत्यापित करना चाहिए, इसलिए, यदि विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा की जाती तो कमी का पता चल जाता।

5.6.2.2 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68(2), प्रदान करता है कि कर चुकाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारित तरीके से भुगतान करेगा। सेवा कर एक निर्धारिती (एक व्यक्ति, मालिकाना फर्म या साझेदारी फार्म के अलावा) द्वारा देय है जिस महीने में कर योग्य सेवाओं (ई-भुगतान के मामले में 6वीं) का मूल्य भुगतान प्राप्त हुआ है उससे अगले महीने की 5वीं (केवल मार्च को छोड़कर) [सेवा कर नियमावली के नियम 6(1)]। यदि निर्धारिती एक व्यक्ति या मालिकाना फर्म या साझेदारी फर्म थे, तो मार्च के अलावा तिमाही की समाप्ति के 5 दिनों में (ई-भुगतान के 6 दिनों में) तिमाही आधार पर कर देय था।

जयपुर कमिश्नरी में एक निर्धारिती, ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2015 की (अप्रैल 2012 से मार्च 2016 लेखापरीक्षा अवधि) अवधि के लिए 1 से 151 दिनों की देरी के साथ सेवा कर का भुगतान किया था, हालांकि उस पर लागू ब्याज का भुगतान/ कम भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सेवा कर के देरी से भुगतान पर ₹ 27.35 लाख ब्याज का गैर/कम भुगतान हुआ।

एसीईएस ने आरएनसी के लिए निर्धारिती के विवरणी को चिन्हित नहीं किया था।, इसके अलावा, विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा अवलोकन में शामिल अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी क्योंकि रेंज अधिकारी द्वारा विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा की गई थी, लेकिन सेवा कर के देरी से भुगतान को विस्तृत संवीक्षा में नहीं बताया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (अक्टूबर 2016), मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि निर्धारिती ने ₹ 27.35 लाख का ब्याज जमा करवाया था। इसके अलावा,

मंत्रालय ने कहा कि उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

मंत्रालय का जवाब विरोधाभासी है क्योंकि कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अपने जवाब में कहा (अगस्त 2018) कि इकाई को आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया था क्योंकि रेंज द्वारा विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा आयोजित की गई थी।

5.6.2.3 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(7) प्रदान करता है कि आगत सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट को अनुमति दी जाएगी, जिस दिन या उसके बाद चालान, बिल या जैसा भी मामला हो, चालान प्राप्त किया गया था, बशर्ते कि निवेश सेवा के संबंध में जहां सेवा कर का पूरा या हिस्सा सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान हेतु दायी था, प्राप्तकर्ता द्वारा देय सेवा कर का क्रेडिट इस तरह के सेवा कर का भुगतान करने के बाद अनुमति दी जाएगी।

आगरा कमिश्नरी में सेवा कर रेंज III की लेखापरीक्षा के दौरान एक निर्धारिती के एसटी-3 विवरणियों एवं जीएआर-7 चालान की लेखापरीक्षा जांच (मई 2017), विव15 से सितम्बर 2017 की अवधि हेतु पता चला कि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(7) के प्रावधान के विपरीत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत सेवा कर का भुगतान करने से पहले ₹ 1.29 करोड़ के निवेश के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग किया।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2017), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की (अगस्त 2018) और सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.29 करोड़ की अस्वीकार्य सेनवेट क्रेडिट को वापस कर दिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि एसटी-3 विवरणियों की गैर संवीक्षा का मुख्य कारण विभागीय संरचना का पुनर्गठन था।

5.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों की दृष्टि में निर्धारिती द्वारा अनुपालन के स्तर को मापने में आंतरिक लेखापरीक्षा सहायता करता है। बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

लेखापरीक्षा नियमावली 2015 (सीईएसटीएमएम 2015) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की गई थी।

अक्टूबर 2014 में विभाग के पुनर्गठन के बाद, लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों को पुनः तीन श्रेणियों में अर्थात् बड़ी, मध्यम और छोटी में संगठित किया गया है। डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए केन्द्रीकृत जोखिम आकलन पर इकाईयां आधारित है। लेखापरीक्षा कमिश्नरी में उपलब्ध श्रमशक्ति को बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाईयों के बीच 40:25:15 के अनुपात में आबंटित किया है और नियोजन, समन्वय और अनुवर्तीकरण के लिए शेष 20 प्रतिशत श्रमशक्ति का उपयोग किया जाना है।

प्रक्रिया के अनुसार, लेखापरीक्षा वर्ष के लिए लेखापरीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से इकाईयों की एक सूची डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा कमिश्नरियों को भेजी जाएगी। लेखापरीक्षा कमिश्नरी स्थानीय जोखिम धारणाओं और मानकों के संदर्भ में डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा अग्रेषित सूची की समीक्षा करने के बाद किसी विशेष वर्ष में लेखापरीक्षित करने के लिए इकाईयों का चयन कर सकते हैं। लेखापरीक्षा कमिश्नरी भी कम जोखिम वाले स्कोर के साथ निर्धारिती का चयन कर सकता है लेकिन इस तरह के चयन के कारणों को इंगित किया जाना चाहिए जो डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा फीडबैक के रूप में उपयोग किया जाएगा।

आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित सूचना मासिक निष्पादन रिपोर्टों (एमपीआर) में निहित है और डाटा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) की वेबसाइट में रखी जाती है। एमपीआर को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा अपलोड किया जाता है और इसमें लेखापरीक्षा, राजस्व, अधिनिर्णयन, वापसियों, बकायों, अपीलों आदि की जानकारी शामिल होती है।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद, मंत्रालय/विभाग ने विव18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए देय इकाईयों से संबंधित डाटा प्रदान नहीं किया।

जब हमने इस सूचना के प्रस्तुत नहीं करने के कारणों के बारे में पूछा तो, डीजी (लेखापरीक्षा) ने कहा (सितम्बर 2018) कि इकाईयों के आंकड़े हर महीने बदलते हैं क्योंकि लेखापरीक्षा कमिश्नरियों को उपलब्ध श्रमशक्ति के अनुसार

लेखापरीक्षा की सूची को बदलना होता है और पिछली छूटी हुई इकाईयां लेखापरीक्षा से बच जाती है।

डीजी (लेखापरीक्षा) आगे कहा कि डीडीएम से अनुरोध किया गया कि चयनित अवधि के लिए जानकारी उत्पन्न करने में सक्षम तंत्र की सुविधा प्रदान करें और वे इस पर काम कर रहे हैं।

इस डेटा को प्रस्तुत करने में विभाग की विफलता विभाग की डाटा रखने की बड़ी कमियों को उजागर करती है।

विभाग द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा का परिणाम तालिका 5.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में कुल पहचान (₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	लेखापरीक्षित कुल इकाई	कम उगाही का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के % के रूप में वसूली
विव18	बड़ी इकाईयों	2,521	2,441	581	23.80
	मध्य इकाईयां	4,473	994	319	32.09
	छोटी इकाईयां	9,173	643	302	46.97
	कुल	16,167	4,078	1,202	29.48

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े।

यह देखा गया है बड़ी इकाईयों में कम उगाही की पहचान और वसूली गई राशि अन्य इकाईयों की तुलना में काफी अधिक है लेकिन पता लगाई गई राशि की तुलना में वसूल की गई राशि छोटी और मध्यम इकाईयों में अधिक है। विभाग को बड़ी इकाईयों में कम वसूली के कारणों की जांच करनी चाहिए।

विव18 के दौरान विभागीय इकाईयों में रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, हमने आठ कमिश्नरियों⁵² एवं अपर महानिदेशक लेखापरीक्षा, मुम्बई के कार्यालय में लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाईयों के गैर-कवरेज, निर्धारिती की मास्टर फाइल तैयार न करना, गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जारी करने में देरी (क्यूएआर) अनुवर्ती कार्यवाही में देरी आदि के 16 उदाहरणों को देखा। इन मामलों में ₹ 22.23 करोड़ का राजस्व शामिल था।

52 हैदराबाद लेखापरीक्षा, मुम्बई लेखापरीक्षा-I, पुणे एसटी लेखापरीक्षा, लखनऊ लेखापरीक्षा, चेन्नई लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-II और मुम्बई पश्चिम

उपर्युक्त के अलावा, हमने ₹ 94.17 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए 51 मसौदा पैराग्राफों (परिशिष्ट-I की धारा सी में समाहित) को जारी किया, जहां आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण कर का कम/गैर-भुगतान, कर के देरी से भुगतान पर ब्याज का गैर-भुगतान आदि को नहीं पकड़ा गया था। 19 मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की, 26 मामलों में मंत्रालय ने राजस्व हानि को स्वीकार किया लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया और छह मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

5.7.1 आंतरिक लेखापरीक्षा में कवर नहीं किया

हमने विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित रिकॉर्डों की संवीक्षा के दौरान देखा, पांच कमिश्नरियों⁵³ में विव16, विव17 एवं विव18 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए नियोजित 4,540 इकाइयों में से, 3,641 इकाइयों (80 प्रतिशत) को विभाग द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

जब हमने यह इंगित किया (मई 2017), मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर ध्यान दिया गया था और लेखापरीक्षा अधिकारियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाया गया था।

5.7.2 लेखापरीक्षा की विफलता लेखापरीक्षा नियोजन और निगरानी के उचित कार्यान्वयन की कमी के कारण भी हो सकती है। पुणे एसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरी के रिकॉर्डों की जांच पर यह देखा गया था (मई 2017) कि बड़ी एवं मध्यम श्रेणी इकाइयों की लेखापरीक्षा के संबंध में, विभाग ने लेखापरीक्षा के लिए 18 दिनों से 9 महीनों लिए जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल (सीईएसटीएएम), 2015 के पैरा सं. 4.3.1 का उल्लंघन है जो बड़ी, मध्यम और छोटी श्रेणियों के अधीन लेखापरीक्षा इकाइयों के लिए क्रमशः छह से आठ, चार से छह और दो से चार कार्य दिवसों का समय प्रदान किया गया था।

53 चेन्नई लेखापरीक्षा-I, कोयम्बटूर लेखापरीक्षा, कोलकाता लेखापरीक्षा-I, कोलकाता लेखापरीक्षा-II और पुणे एसटी लेखापरीक्षा

जब हमने यह इंगित किया (मई 2017), पुणे एसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरी ने कहा (मई 2018) कि तय समय की तुलना में अधिक दिन लिए क्योंकि निर्धारिती ने समय पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लिए गए दिनों की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी जो, विभाग की कार्यात्मकता में कमजोरी की ओर संकेत करती है।

5.7.3 हमने रिकॉर्डों के नमूना जांच के दौरान, चार कमिश्नरियों में, एक डिविजन और डीजी (लेखापरीक्षा) मुम्बई में यह देखा कि

- एडीजी (डीजी लेखापरीक्षा) मुम्बई में गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा रिपोर्टों को उच्च प्राधिकारियों को 12 दिनों से 131 दिनों तक की देरी के साथ भेजा गया था।
- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में 24 मामलों में लेखापरीक्षा के लिए कोई मासिक स्कोरिंग नहीं की गई थी।
- दो कमिश्नरियों में निर्धारिती की मास्टर फाइल तैयार/अद्यतन नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मानकों को लागू किए बिना लेखापरीक्षा के लिए निर्धारितियों का चयन किया गया।
- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में, 13 मामलों में लेखापरीक्षा लंबित थी भले ही सूचनाएं एक वर्ष पहले ही निर्धारितियों को भेजी गई थी। इनमें से, दो मामलों में लेखापरीक्षा योजना को अनुमोदित किया गया था और पांच मामलों में लेखापरीक्षा समूहों द्वारा दस्तावेज पहले ही प्राप्त हो गए थे।
- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी के 13 मामलों में और लखनऊ लेखापरीक्षा कमिश्नरी के 8 मामलों में निगरानी समिति बैठक (एमसीएम) के 15 दिनों के बाद अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एफएआर) को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। तीन कमिश्नरियों में एफएआर और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट (डीएआर) को जारी करने में 14 दिनों से 148 दिनों तक की देरी हुई थी।
- लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी मुम्बई की एफएआर की संवीक्षा पर, यह देखा गया था कि 52 मामलों में केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर लेखापरीक्षा

मैनुअल के क्रमशः पैरा 4.6.1 और 7.6.2 के अनुसार अपेक्षित सत्यापन रिपोर्टें और निष्पादन रिपोर्टें नहीं थीं और इस प्रकार, वहां लेखापरीक्षा समूहों के निष्पादन का मूल्यांकन के लिए अपेक्षित जानकारी का प्रस्तुतिकरण या प्राप्ति की कोई निगरानी नहीं थी।

- मुम्बई लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में यह देखा गया था कि एमसीएम में स्वीकृति और आंतरिक लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद सीईएसटीएएम में निर्धारित आगे की कार्यवाही के लिए ₹ 22.33 करोड़ राजस्व के 45 पैरा विलंबित है। 28 मामलों में विलम्ब दो से छह महीने के बीच था और 17 मामलों में छह महीने में अधिक की देरी हुई थी।
- मुम्बई पश्चिम कमिश्नरी के मंडल-IV में, हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा में पता चला कि एक निर्धारिती ने अपनी संबंधित कंपनी को व्यापार सपोर्ट सेवा प्रदान की थी और ₹ 4.92 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। इस अवलोकन को गलत बताते हुए छोड़ा गया कि वहां कोई सेवा प्रदाता प्राप्तकर्ता का संबंध नहीं था यद्यपि दोनों कानूनी रूप से अलग-अलग संस्थाएँ थीं। यह बताता है कि कोई उचित अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी इस तथ्य के बावजूद कि एमसीएम में आपत्ति स्वीकार की गई थी और एससीएन जारी किया गया था।
- अपर महानिदेशक (एडीजी लेखापरीक्षा) मुम्बई क्षेत्र की क्यूएआर फाइलों की संवीक्षा से पता लगा कि कमिश्नरी की राजस्व प्रोफाइल उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा अवलोकनों से यह प्रतीत होता है कि सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल 2011 और सीईएसटीएएम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का पालन विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा नहीं किया जा रहा था। चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न प्रावधानों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के मुख्य कार्यों में से एक है, इसकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (अक्टूबर 2018) कि संबंधित कमिश्नरियों को भविष्य में आवश्यक कदम उठाने के लिए पहले ही सूचित किया जा चुका था।

5.7.4 आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित रिकॉर्डों को रखने का अप्रभावी तंत्र

सीईएसटीएएम 2015 के पैरा सं. 8.2.2 के अनुसार, लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जानी चाहिए, जिसमें कार्यकारी आयुक्त या उसके प्रतिनिधि को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लेखापरीक्षा आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय, सभी बकाया की वसूली के बाद लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के संबंध में या अस्थिर लेखापरीक्षा आपत्तियों को छोड़ना, ही अंतिम होगा। अनुमोदित लेखापरीक्षा आपत्तियां, जिनमें कारण बताओं नोटिस जारी करने का प्रस्ताव शामिल है को एमसीएम की कार्यवृत्तों के रूप में कार्यकारी आयुक्त को बताया जाना चाहिए, जो एमसीएम के कार्यवृत्तों की प्राप्ति के 15 दिनों में उनकी सहमति/ असमति व्यक्त करते हुए इन आपत्तियों का जवाब देंगे।

उपरोक्त को देखते हुए कार्यकारी कमिश्नरियों, को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

हमने देखा कि 21 निर्धारित इकाईयों के मामले में, कार्यकारी कमिश्नरी जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका कि क्या निर्धारितियों की विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी या नहीं। इनमें से, 20 मामलों में मंत्रालय ने शामिल राजस्व के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया लेकिन आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित जानकारी के संबंध में, यह कहा गया कि इसे लेखापरीक्षा कमिश्नरियों से एकत्र किया जा सकता है और एक मामले में मंत्रालय का जवाब इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित जानकारी पर मौन था।

एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.7.4.1 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 (3) के अनुसार कर योग्य सेवा के लिए वसूली गई सकल राशि में ऐसी सेवाओं के प्रावधानों के दौरान या उसके बाद कर योग्य सेवा की ओर प्राप्त कोई भी राशि शामिल होगी। इसके अलावा, कराधान का बिन्दु नियमावली, 2011 के नियम 3(बी) के अनुसार कर योग्य सेवा के लिए भुगतान की प्राप्ति या भविष्य में कर योग्य सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान करने के संबंध में भुगतानों का प्राप्ति की तारीख कराधान के बिन्दु है। अधिनियम की धारा 75 के संबंध में, सेवा कर के भुगतान में देरी, इसके एक हिस्से सहित, साधारण ब्याज आकर्षित करती है।

जीएसटी कमिश्नरी हैदराबाद में (पूर्व हैदराबाद ॥ कमिश्नरी), एक निर्धारिती ने विव15 एवं विव16 के दौरान विभिन्न फर्मों से आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विंड पॉवर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कुल स्वीकृत फीस की 25 प्रतिशत की दर से ₹ 6.01 करोड़ की अग्रिम राशि की प्राप्ति की। हालांकि, निर्धारिती ने ऐसी अग्रिम प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था जो ऊपर वर्णित नियमों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 74.24 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था जिसे ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित था।

जब हमने यह इंगित किया (मार्च 2017), मंत्रालय ने (जुलाई 2018) में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सूचित किया कि निर्धारिती ने सितम्बर 2017 में ₹ 42.02 लाख के ब्याज के साथ ₹ 74.24 लाख के सेवा कर का भुगतान किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि सीएजी लेखापरीक्षा संबंधित लेखापरीक्षा कमिश्नरी से आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण मांग सकती है।

सीईएसटीएएम 2015 में प्रदान किए गये तंत्र के अनुसार लेखापरीक्षा कमिश्नरी के द्वारा कार्यकारी कमिश्नरी के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम के संबंध में जानकारी साझा करने के संबंध में उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों के संदर्भ में आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी कमिश्नरी की अक्षमता

विभाग द्वारा महत्वपूर्ण डाटा के अनुचित रखरखाव और निगरानी तंत्र की अप्रभावशीलता दिखाती है।

5.7.5 आंतरिक लेखापरीक्षा दलों (आईएपी) द्वारा चूकों की पहचान न कर पाना

आईएपी लेखापरीक्षा योजना के अनुसार निर्धारिती इकाईयों की लेखापरीक्षा करते हैं और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, 2011 जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, 2015 (सीईएसटीएएम 2015) के साथ प्रतिस्थापित किया गया, में उल्लेखित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने आईएपी द्वारा लेखापरीक्षित निर्धारितियों के नमूने की लेखापरीक्षा करके आईएपी द्वारा की गई लेखापरीक्षा की गुणवत्ता की जांच की। ₹ 86.20 करोड़ के राजस्व से जुड़े 30 मामलों में से जहां हमने निर्धारितियों द्वारा गैर-अनुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाने में आईएपी की चूक की और इशारा किया, मंत्रालय ने 19 मामलों को स्वीकार कर लिया। शेष 11 मामलों में से, मंत्रालय ने पांच मामलों में राजस्व हानि को स्वीकार किया, लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया और छह मामलों में, लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।

कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं:

5.7.5.1 सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के अनुसार, सभी सेवाओं के मूल्य पर चौदह प्रतिशत की दर से कर (इसके बाद सेवा कर रूप में संदर्भित किया) लगाया जाएगा, नकारात्मक सूची निर्दिष्ट सेवाओं के अलावा, प्रदान किए गए या एक व्यक्ति द्वारा कर योग्य क्षेत्र के प्रदान किए जाने के लिए सहमत होकर दूसरे से और जैसा निर्धारित है उस तरीके से एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(ई) के अनुसार “किसी कार्य से बचने के लिए दायित्व से सहमत होना या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करना, या कार्य करना” एक घोषित सेवा है।

मुम्बई दक्षिण कमिश्नरी में एक निर्धारिती, अपनी मूल कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों को खरीदने वाले ग्राहकों को वित्त प्रदान करने का व्यापार कर रहा है। इस व्यापारिक गतिविधि के संबंध में, निर्धारिती ने अपनी मूल कंपनी के साथ समझौता किया था। इसके द्वारा निर्मित वाहनों को खरीदने के लिए ग्राहकों को निर्बाध वित्त पोषण के लिए, मूल कंपनी उन हानियों की क्षतिपूर्ति करने पर सहमत हो गई थी जो अपने ग्राहकों द्वारा निर्धारिती और अन्य खर्चों के ऋण के पुनर्भुगतान की चूक से उत्पन्न हो सकती थी। चूंकि निर्धारिती सीधे मूल कंपनी को कोई ऋण प्रदान नहीं करता था, अतः इससे प्राप्त क्षतिपूर्ति को ब्याज आय के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसके बजाए, यह मूल कंपनी के साथ समझौते के अनुसार प्रदान की गई सेवा से संबंधित अपनी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित सीधे तौर पर व्यवसायिक आय थी। विव16 एवं विव17 के दौरान, निर्धारिती को लाभ और हानि खाते में दिखाए गए अनुसार “गारंटी व्यापार निर्माता पर ब्याज हानि की ओर क्षतिपूर्ति” के रूप में क्रमशः ₹ 295.81 करोड़ एवं ₹ 148.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इस राशि पर निर्धारिती द्वारा कोई सेवाकर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 62.91 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इंगित किया (अक्टूबर 2017), तो मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि निर्धारिती द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और यह लेन-देन केवल एक मौद्रिक लेन-देन है। प्रदत्त की गई सेवा और लेनदेन में प्राप्त प्रतिफल का कोई संबंध नहीं है। समझौते की शर्तों और शब्दावली लेन-देन की प्रकृति को निर्धारित करने में निर्णायक कारक नहीं माना गया है। इस मुद्दे में किसी कार्य की कोई सहनशीलता शामिल नहीं है। प्राप्त राशि मूल धन और ब्याज जिसका ग्राहकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। अतः यह राशि सेवा कर के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस तथ्य के कारण मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है कि निर्धारिती ने अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति के बदले सहमत शर्तों पर मूल कंपनी के ग्राहकों को ऋण प्रदान किया था। यह गतिविधि उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के अनुसार घोषित सेवा के तहत कवर की गई है।

5.7.5.2 परिसमाप्त क्षतियों की वसूली पर सेवा कर का गैर-भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई के उपखंड (ई) के अनुसार (01 जुलाई 2012 में प्रभावी), “किसी कार्य से बचने के लिए दायित्व से सहमत होना या किसी कार्य या परिस्थिति को सहन करना या कार्य करना” एक घोषित सेवा का गठन करेगा।

कोच्चि कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने विभिन्न कार्यों/आपूर्ति ठेकेदारों से विव14 विव15 और विव16 में क्रमशः ₹ 10.07 करोड़, ₹ 33.46 लाख और ₹ 20.66 लाख की क्षति परिसमाप्त की वसूली/ दावा किया गया था। हालांकि निर्धारिती ने खाते में परिसमाप्त क्षति को आय के रूप में मान्यता दी थी, फिर भी कोई सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विव14 से विव16 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ के सेवा कर का गैर-भुगतान हुआ था।

जब हमने इसे लगातार लेखापरीक्षा में इंगित किया (सितम्बर 2015 और सितम्बर 2016), मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार्य थी और ₹ 1.32 करोड़ का सेवा कर की मांग करते हुए एससीएन जारी किया गया।

5.7.5.3 सेनवेट क्रेडिट का कम-उत्क्रमण

सेवा प्रदाता, कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं दोनों के प्रावधानों के लिए उपयोग की जाने वाली आगतों/ आगत सेवाओं के प्राप्ति और उपयोग के लिए अलग-अलग खातों को बनाए रखने का नहीं चुनने के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) या 6(3ए) के तहत पद्धतियों में से किसी एक के चयन द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोगी आगत सेवाओं से संबंधित सेनवेट क्रेडिट को वापस करना है।

बेंगलुरु उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती, अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं के कर योग्य सेवाओं के प्रावधान में लगी हुई है। निर्धारिती दोनों श्रेणियों के तहत कुछ छूट-प्राप्त सेवाओं को प्रदान करने में लगा हुआ था और वस्तुओं का क्रय-विक्रय में भी, जोकि एक छूट प्राप्त सेवा थी। निर्धारिती छूट-प्राप्त और कर योग्य सेवाओं दोनों को प्रदान करने के लिए सभी आगत सेवाओं के उपयोग करने पर पूरा सेनवेट

क्रेडिट का लाभ उठा रहे थे। सेवा कर रिकॉर्डों के सत्यापन पर पता चला कि गणना में गलती के कारण निर्धारिती ने विव15 से विव16 के लिए ₹ 2.43 करोड़ की सीमा तक की पूर्वोक्त नियम 6 के तहत सेनवेट क्रेडिट कम-उत्क्रमण किया।

अप्रैल 2014 से जून 2017 की अवधि को कवर करते हुए विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा इस कम-उत्क्रमण का पता लगाने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक गलती का पता नहीं लग पाया।

जब हमने यह इंगित किया (दिसम्बर 2017), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि सीएजी लेखापरीक्षा ने आपत्ति के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया था।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हम लेखापरीक्षा टिप्पणी के साथ आपत्तिकृत राशि की गणना के लिए अपनाए गए प्रत्येक आँकड़े के संबंध में जानकारी⁵⁴ के स्रोत का वर्णन करते हैं। विभाग निर्धारिती से इन दस्तावेजों को एकत्रित कर सकता है।

5.7.5.4 सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 प्रदान करता है कि सेवा कर प्रदाता द्वारा वसूल की गई सकल राशि पर सेवा कर का भुगतान किया जाता है।

बेंगलुरु दक्षिण कमिश्नरी में एक निर्धारिती कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाला एक वैधानिक निगम है, जो बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संचालन में लगा हुआ है। जनता को परिवहन प्रदान करने के अतिरिक्त निर्धारिती ने बसों और इसके स्वामित्व वाली इमारतों को पट्टे पर और अपने परिसरों और बसों पर विभिन्न संस्थाओं के विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देकर आय अर्जित करता है। निर्धारित को इन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान करना था। निर्धारिती के सेवा कर रिकॉर्डों के सत्यापन से पता चला कि एसटी-3 विवरणियों में निर्धारिती द्वारा घोषित इन सेवाओं का आकलन मूल्य अप्रैल 2014 से सितम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान

54 निर्धारिती की वाणिज्यिक बहियां और एसटी-3 विवरणी

बही-खातों के अनुसार एकत्रित सेवा शुल्कों से कम था। इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान ₹ 1.26 करोड़ के सेवा कर का कम-भुगतान हुआ था।

विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (जनवरी 2015) ने सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर देने के संबंध में सेवा कर के गैर/कम-भुगतान का पता लगाया। भले ही निर्धारिती ने आंतरिक लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार राशि का भुगतान किया हो इसी तरह के कम-भुगतान अक्टूबर 2014 के बाद की अवधि के लिए भी जारी रहे। अर्थात्, विभाग ने अनुवर्ती कार्यवाही के भाग के रूप में बाद की अवधि के लिए कोई एससीएन जारी नहीं किया। विभाग द्वारा बाद में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा (मार्च 2017) भी इस कम-भुगतान का पता लगाने में विफल रही। इसके अलावा, मोटर वाहनों को किराए पर देने और विज्ञापनों के लिए स्थान की अनुमति पर सेवा कर के कम-भुगतान का दोनों आंतरिक लेखापरीक्षाओं के दौरान पता नहीं लगा पाए थे।

जब हमने यह इंगित किया (जुलाई 2017), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और कहा (अगस्त 2018) कि निर्धारिती ने अचल संपत्ति के किराए के संबंध में ₹ 0.52 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था।

आईएपी की विफलता पर, मंत्रालय ने कहा कि कमिश्नरी से अनुरोध किया है कि संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे और तदनुसार उचित कार्यवाही करें।

5.7.5.5 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9(1), के निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा सेनवेट क्रेडिट लिया जा सकता है। उक्त नियम के खंड (बीबी) के अनुसार अनुपूरक चालान के आधार पर सेनवेट क्रेडिट की अनुमति नहीं है, निर्गत सेवा के प्रदाता द्वारा बिल या चालान जारी किया गया, जहां निर्गत सेवा के प्रदाता से कर की अतिरिक्त राशि वसूली योग्य है, जहां कर की अतिरिक्त राशि गैर-उगाही या गैर-भुगतान या कम-उगाही धोखाधड़ी या संलग्न या जान बूझकर गलत कथन या तथ्यों के दमन या किसी भी वित्तीय नियम के प्रावधान के उल्लंघन के कारण सेवा के प्रदाता

से वसूल करने योग्य हो या सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे के अधीन यह नियम बनाए गए हैं।

कोलकाता उत्तर जीएसटी कमिश्नरी (पूर्व कोलकाता एसटी-1 कमिश्नरी) के तहत बीबीडी बैग II मंडल के रेंज- III की लेखापरीक्षा (पूर्व बीबीडी बैग II मंडल के रेंज-II) जनवरी 2017 में आयोजित की थी। उक्त रेंज के सेवा कर से संबंधित खातों की लेखापरीक्षा के दौरान और निर्धारिती के दस्तावेजों के सत्यापन में, हमने पाया कि निर्धारिती ने दो सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए अनुपूरक चालान के आधार पर आगत सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लिया था, जिन्होंने वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन में विव11 से विव15 तक अपनी सेवा कर देयता पूर्ण नहीं की थी, और फरवरी 2016 में कोलकाता एसटी-1 कमिश्नरी को अपवंचन-रोधी इकाई द्वारा जांच के अनुसरण के बाद ही उनकी सेवा कर पूर्ण की थी। इसके बाद उक्त दो सेवा प्रदाताओं ने सेनवेट क्रेडिट पास करने के लिए अनुपूरक चालान जारी किए और निर्धारिती ने इसका लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप विव16 के दौरान ₹ 94.61 लाख के सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ लिया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने विव16 तक की अवधि के लिए जनवरी 2017 में निर्धारिती की लेखापरीक्षा की थी लेकिन इस चूक का पता नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटि को अनदेखा किया गया।

जब हमने यह इंगित किया (जून 2017), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की (अगस्त 2018) और रिपोर्ट की कि शास्ति के साथ मांग की पुष्टि की गई थी।

5.8 अपवंचन-रोधी सेल द्वारा जांच

निवारक एवं जांच मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों का जांच में शामिल होना अपेक्षित है और मामलों को उनकी क्रेन्द्रित, प्रभावी और त्वरित पूर्णता के लिए समीक्षा करना आवश्यक है। यद्यपि पूर्णता के लिए कोई निर्दिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी, यह उम्मीद की जाती है कि एक जटिल मामले की जांच के लिए भी छह से नौ महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11

और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 कर/शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध करता है जोकि अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को देय हो।

विव18 में रिकार्डों की नमूना जांच के दौरान, हमने चार कमिश्नरियों⁵⁵ में अपवंचन-रोधी मामलों में सुस्त जांच के 36 उदाहरण देखे, जिसके कारण डाटा की नियमित सत्यापन की जांच विचाराधीन समय की समाप्ति के बाद भी पूरी नहीं हुई थी। इन मामलों में ₹ 2.50 करोड़ का राजस्व शामिल है। मामलों के उदाहरण निम्नानुसार है।

5.8.1 एसटी-IV कमिश्नरी मुम्बई में अपवंचन-रोधी सेल की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि एक निर्धारिती के मामले में जांच नवम्बर 2013 से शुरू की गई थी। तथापि, अगस्त 2016 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। आगे यह देखा गया था कि जांच अब तक (जुलाई 2018) समाप्त नहीं हुई थी।

इसी प्रकार, एसटी-V कमिश्नरी मुम्बई में अपवंचन-रोधी सेल की लेखापरीक्षा के दौरान, वित्त वर्ष 14 से विव17 की अवधि के लिए एक निर्धारिती की दिसंबर 2016 में विवरणियों की गैर/बंद फाइलिंग के विरुद्ध जांच शुरू की गई थी। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों ने ₹ 46.58 लाख की सेवा कर देयता और ₹ 35.62 लाख की ब्याज देयता का खुलासा किया। हालांकि, एक वर्ष बाद भी जांच पूरी नहीं हुई थी।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि जवाब दिया जायेगा।

5.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी प्रतिदाय दावों एवं मंजूरी के लिए कानूनी प्राधिकरण प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के आवेदन की तारीख से तीन महीनों के अंदर प्रतिदाय नहीं हुई तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भी भुगतान करना है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल निर्धारित करता है कि विभाग को केवल तभी प्रतिदाय के दावों की स्वीकार करना चाहिए जब सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रतिदाय का दावा हो बिना अपेक्षित दस्तावेजों के

55 मुम्बई पूर्व, मुम्बई एसटी-II, मुम्बई एसटी-IV और मुम्बई एसटी-VI

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

प्रतिदाय की मंजूरी में देर हो सकती है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रतिदाय दावों से संबंधी प्रावधान सेवा कर पर भी लागू है।

विभाग द्वारा प्रतिदाय के दावों के निपटान की स्थिति को तालिका 5.3 में दर्शाया गया है। दावों की अंतिम प्रक्रिया तक प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तारीख से लिये गये समय के संबंध में देरी दर्शाई गई है।

तालिका 5.3: सेवा कर में प्रतिदाय के दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष		प्राप्ति (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)				मामले जहां ब्याज का भुगतान किया		3 महीने के निपटाए गए मामलों की संख्या
					संस्वीकृत		अस्वीकृत		सं.	ब्याज का भुगतान	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि			
विव16	20,740	12,370	26,230	10,633	23,860	6,598	7,973	6,302	0	0	1,131
विव17	12,243	8,319	33,343	14,792	28,154	9,953	7,165	5,954	4	6	1,632
विव18	10,089	6,904	22,065	10,469	16,412	5,567	4,014	3,485	11	0.01	13,020

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ें

यह देखा गया है कि विव17 की तुलना में विव18 स्वीकृत राशि के साथ-साथ प्रतिदाय के मामले के निपटान की संख्या दोनों में काफी हद तक गिरावट आई। विव18 में निपटाए गए कुल 20,426 मामलों में से 13,020 मामले (63.74 प्रतिशत) निर्धारित तीन महीने की अवधि के अन्दर संसाधित किए गए थे। विव17 में तीन महीने के भीतर 5.80 प्रतिशत मामलों के निपटान की तुलना में यह एक तीव्र वृद्धि है। विभाग ने प्रतिदाय की मंजूरी में देरी के लिए केवल 11 मामलों में ब्याज का भुगतान किया था। यद्यपि निपटान के लगभग 36 प्रतिशत मामलों में देरी हुई थी लेकिन प्रतिदाय देरी के लगभग सभी मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जो दोनों अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे।

अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्रतिदाय के दावों के लंबन का एक वर्ष-वार विश्लेषण तालिका 5.4 में दर्शाया है।

तालिका 5.4: 31 मार्च को सेवा कर के प्रतिदाय के मामले का वर्ष-वार लंबन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष जमा वर्ष में प्राप्त दावे	31 मार्च को लंबित प्रतिदाय के दावों की कुल संख्या		लंबित प्रतिदाय के दावों के लिए			
				एक वर्ष से कम		1 वर्ष से अधिक	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
व.व16	46,970	12,243	8,319	9,403	5,146	2,840	3,173
विव17	45,586	10,089	6,994	9,063	6,035	1,026	959
विव18	32,154	9,266	7,207	8,266	5,674	1,000	1,533

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ें।

यह देखा गया है कि एक वर्ष से अधिक के लंबित प्रतिदाय के लंबित दावों की संख्या में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन विव17 की तुलना में विव18 में शामिल राशि में काफी वृद्धि हुई है। विव18 के अंत शेष के आंकड़े सही नहीं प्रतीत होते हैं। सही आंकड़े 11,728 होने चाहिये जो इस प्रकार प्राप्त हुए, आदि शेष जमा वर्ष के दौरान हुई वृद्धि घटा वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले। लेकिन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अंत शेष 9,266 है। मंत्रालय इन भिन्नता के कारणों पर गौर कर सकता है।

विभाग ने एक वर्ष से अधिक लंबित मामलों को वर्ष-वार ब्रेक-अप को नहीं बनाए रखा है। ये विवरण विभाग को बहुत लंबे समय तक लंबित मामलों पर निगरानी रखने में मदद करेंगे। मंत्रालय काल-वार ब्यौरों को बनाए रखने के लिए अपने एमपीआर प्रारूप को संशोधित कर सकता है।

विव18 में विभागीय इकाईयों में रिकॉर्डों के नमूना जांच के दौरान हमने छह कमिश्नरियों⁵⁶ में प्रतिदाय आदि की मंजूरी में अनियमितता, प्रतिदाय की मंजूरी में देरी के 7 उदाहरणों को देखा। इन मामलों में ₹ 87.39 करोड़ का राजस्व शामिल था।

उपरोक्त के अलावा, हमने दो मसौदे पैराग्राफ भी जारी किए हैं (परिशिष्ट-1 की धारा डी में शामिल), जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदाय के दावों के निपटाने में कमी देखी गई थी यदि सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहीं किया गया होता तो इसका पता लगने से बच रहा होता। मंत्रालय ने दोनों

56 दिल्ली एसटी-II, मुम्बई केन्द्रीय, मुम्बई दक्षिण, अहमदाबाद-1, अहमदाबाद एसटी और बंगलुरु एसटी-II

मामले में राजस्व हानि को स्वीकार किया लेकिन विभागीय विफलता को स्वीकार नहीं किया।

कुछ निदर्शी मामलें निम्नानुसार हैं:

5.9.1 हमने विव13 से विव17 के दौरान अहमदाबाद-। कमिश्नरी के डिविजन-11 द्वारा संस्वीकृत प्रतिदायों की संवीक्षा के दौरान देखा (अप्रैल 2017) कि एक मामले में अनुचित संवर्धन के कारण दावे को निरस्त कर दिया गया था। एक निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 7.76 लाख के प्रतिदाय का आदेश सहायक कमिश्नर द्वारा ओआईओ दिनांक 30 अक्टूबर 2013 के द्वारा उपभोक्ता कल्याण निधि में क्रेडिट करने के लिए दिया गया था और ओआईओ की एक प्रति उपभोक्ता कल्याण निधि में प्रतिदाय राशि को क्रेडिट करने के लिए पीएओ, अहमदाबाद को भी भेजी गई थी।

कमिश्नर (अपील) अहमदाबाद ने प्रतिदाय के दावेदार द्वारा दर्ज की गई अपील पर अधिनिर्णयन प्राधिकरण से मामले को वापस मांगा था जिसके प्रति विभाग ने सेसटेट में अपील (कमिश्नर-अपील के रिमांड अधिकार को चुनौती देते हुए) दर्ज की थी और मामले को काल बुक में दर्ज कर दिया जिसे बाद में विभाग द्वारा वापस ले लिया गया था। तदनुसार, प्रतिदाय दावे को काल बुक से वापस ले लिया गया था और सहायक कमिश्नर ने फिर से ओआईओ दिनांक 10 नवम्बर 2016 के माध्यम से उपभोक्ता कल्याण निधि में ₹ 7.76 लाख के दावे को क्रेडिट करने का आदेश दे दिया और ओआईओ की एक प्रति दोबारा पीएओ, अहमदाबाद को भेज दी गई। इस प्रकार, यह देखा गया कि दो विभिन्न ओआईओ (अक्टूबर 2013 और नवम्बर 2016) के माध्यम से ₹ 7.76 लाख के प्रतिदाय को उपभोक्ता कल्याण निधि में क्रेडिट करने का आदेश दिया गया। पीएओ, अहमदाबाद ने भी प्रतिदाय राशि के दो बार क्रेडिट की पुष्टि की थी (अप्रैल 2017)।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2017) तब मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि पीएओ, अहमदाबाद ने प्रतिदाय की दोहरी संस्वीकृति को लौटाने के लिए प्रधान सीसीए, बोर्ड, नई दिल्ली से अनुरोध किया था।

5.9.2 बोर्ड के परिपत्र सं.869/07/2008-सीएक्स, दिनांक 16 मई 2008 के पैराग्राफ 2.2 के अनुसार ₹ 5 लाख या इससे अधिक राशि वाले सभी प्रतिदाय/छूट दावे कमिश्नरी मुख्यालय में उप/सहायक कमिश्नर (लेखापरीक्षा) के स्तर पर पूर्व-लेखा परीक्षा के विषयाधीन होने चाहिए।

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी (अब जीएसटी डिविजन-VI, अहमदाबाद-दक्षिण) के डिविजन-II में संस्वीकृत प्रतिदाय दावों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि एक निर्धारिती के ₹ 69.05 लाख के एक प्रतिदाय दावे को कमिश्नरी लेखापरीक्षा, सेवा कर को पूर्व लेखापरीक्षा के लिए डिविजन कार्यालय द्वारा भेजा गया था। इसे सहायक कमिश्नर (लेखापरीक्षा), सेवा कर द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा किए बिना यह कहते हुए वापस भेज दिया गया था (जनवरी 2017) कि दावेदार सेवा कर अहमदाबाद कमिश्नरी में पंजीकृत नहीं था। यह देखा गया कि विभाग ने पूर्व-लेखापरीक्षा किए बिना ₹ 69.05 लाख का प्रतिदाय संस्वीकृत कर दिया था (फरवरी 2017) जोकि बोर्ड के उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन है।

जब हमारे द्वारा इस बारे में बताए जाने पर (जनवरी 2018) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2018) कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने प्रतिदाय की संस्वीकृति दी क्योंकि इसके लिए समय सीमा जल्द ही समाप्त हो रही थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कमिश्नरी, जहां निर्धारिती पंजीकृत था, की प्रतिदाय संस्वीकरण से पूर्व प्रक्रिया के पालन हेतु पहचान की जानी चाहिए थी। इस प्रकार पूर्व-लेखापरीक्षा किए बिना प्रतिदाय का संस्वीकरण बोर्ड के उपरोक्त अनुदेशों का उल्लंघन था।

5.9.3 प्रतिदाय आदेश पर अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 5 सेवा के निर्यातक को निर्यातित आउटपुट सेवाओं के प्रति उपयोग की गई इनपुट या इनपुट सेवाओं के सेनवेट क्रेडिट के प्रतिदाय प्राप्त करने की अनुमति देता है जहां यह क्रेडिट अप्रयुक्त रह गया हो। ऐसे प्रतिदाय अधिसूचना सं.5/2006-सीई (एनटी) दिनांक 14 मार्च 2006 के द्वारा निर्धारित शर्तों के विषयाधीन होंगे और संस्वीकरण प्राधिकारी को प्रतिदाय की संस्वीकृति के पश्चात सेनवेट अकाउंट में उक्त राशि का उत्क्रमण सुनिश्चित करना चाहिए।

5.9.3.1 बेंगलुरु एसटी-॥ कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 की अवधि हेतु अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट का प्रतिदाय दावा दर्ज किया था (मार्च 2012)। डिविजनल अधिकारी ने ₹ 6.05 करोड़ का प्रतिदाय संस्वीकृत करते समय (मार्च 2016) निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में उक्त राशि के उत्क्रमण तथा प्रतिदाय की प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के अंदर ऐसे उत्क्रमण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तथापि, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में उत्क्रमण नहीं किया था। तथापि, निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में ऐसा उत्क्रमण किए बिना रेंज अधिकारी को एसटी-3 विवरणी प्रस्तुत कर दी थी फिर भी विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) तब मंत्रालय ने कहा कि (जून 2018) निर्धारिती ने ₹ 6.05 करोड़ वापस कर दिए थे और उक्त को अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि की एसटी-3 विवरणी में दर्शाया गया था। मंत्रालय का उत्तर क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की विफलता पर मौन था।

5.9.3.2 बेंगलुरु एसटी-॥ कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने उपरोक्त अधिसूचना के संबंध में अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 47.88 लाख के अप्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट का प्रतिदाय दावा दर्ज किया था (सितम्बर 2012)। डिविजनल अधिकारी द्वारा ₹ 40.85 लाख के प्रतिदाय को संस्वीकृत कर दिया गया (जून 2015) जबकि ₹ 7.03 लाख के दावे को अपात्र सेनवेट क्रेडिट के रूप में खारिज कर दिया गया था। संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी ने निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट अकाउंट में उक्त राशि के उत्क्रमण तथा प्रतिदाय की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर ऐसे व्युत्क्रमण के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तथापि निर्धारिती ने प्रतिदाय की प्राप्ति के बाद भी सेनवेट अकाउंट में उक्त राशि का उत्क्रमण नहीं किया था। हालांकि निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट के अंत शेष के भाग के रूप में प्रतिदाय राशि को दर्शाते हुए रेंज अधिकारी को एसटी-3 विवरणी प्रस्तुत की थी फिर भी कमिश्नरी ने उक्त उत्क्रमण को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया (जून 2018) और बताया कि निर्धारिती ने ₹ 47.88 लाख वापस कर दिए थे (मार्च 2017)। मंत्रालय का उत्तर क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की विफलता पर मौन था।

5.10 एससीएन तथा अधिनिर्णयन

अधिनिर्णयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों को निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्य निर्धारण, प्रतिदाय दावों, अनंतिम निर्धारण आदि से संबंधित पहलुओं के निमित्त शामिल हो सकते हैं। अधिनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपील फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 5.5: सेवा कर में एससीएन का निपटान

वर्ष	आदि शेष		प्राप्ति (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)		अंत शेष		1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
विव16	33,136	78,529	34,613	76,592	37,296	78,997	30,453	76,124	8,587
विव17	30,453	76,124	54,310	67,413	65,710	74,596	19,053	68,941	6,919
विव18	19,053	68,941	35,173	70,918	34,180	57,220	22,208	81,280	5,789

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ें।

अधिनिर्णयन हेतु लंबित कुल मामलों में विव17 की तुलना में विव18 में 16.56 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। तथापि, एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों में 16.33 प्रतिशत तक कमी हुई थी। इन मामलों में शामिल कुल अंत शेष में विव17 की तुलना में विव18 में 17.90 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। विव18 के अंत शेष के आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते। सही आंकड़ें (मामलों की संख्या) वर्ष के कुल मामले घटा कुल निपटान होने चाहिए जोकि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 20,046 बनते हैं परन्तु मंत्रालय द्वारा दिया गया आंकड़ा 22,208 है। मंत्रालय को इस विसंगति के कारणों की जांच करनी चाहिए।

विव18 के दौरान एससीएन तथा अधिनिर्णयन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने 2,500 एससीएन के अधिनिर्णयन में विलम्ब पाया, जिसमें से 1,783 एससीएन (71 प्रतिशत) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, एससीएन जारी न करने के छः मामले और 15 कमिश्नरियों⁵⁷ में कम मांग का एक मामला देखा। इन मामलों में शामिल राजस्व ₹ 8,295.98 करोड़ था।

उपरोक्त के अलावा, हमने दो ड्राफ्ट पैराग्राफ (परिशिष्ट-1 का भाग ई) भी जारी किए थे जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा एससीएन जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन आदेश में मांग समय बाधित हो गई। मंत्रालय ने एक मामले में लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली तथा अन्य मामले में लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार नहीं की, हालांकि निहित मामला और कमिश्नरी दोनों मामलों में समान थी।

कुल निदर्शी मामलें निम्नानुसार हैं:

5.10.1 मुंबई पूर्वी कमिश्नरी की डिविजन III ने एक निर्धारिती को विव11 से विव12 की अवधि हेतु ₹ 57.72 करोड़ के लिए और वीवीआईपी प्रचालनों हेतु तीन 747-400 विमानों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु दी गई सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करने पर विव13 की अवधि हेतु ₹ 46.60 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया था। विभाग ने इस आधार पर अगली अवधि अर्थात् विव14 के लिए आवधिक एससीएन जारी नहीं किया था कि निर्धारिती ने भुगतान कर दिया था।

अभिलेखों से यह देखा गया (अप्रैल 2018) कि विव14 के लिए निर्धारिती को अनुरक्षण लागत के भुगतान हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹ 84.06 करोड़, विदेश मंत्रालय द्वारा ₹ 56.04 करोड़ तथा गृह मंत्रालय द्वारा ₹ 196.14 करोड़ का बजटीय प्रावधान किए गए थे। इसमें से, निर्धारिती को रक्षा मंत्रालय से पूरी राशि प्राप्त हो गई थी जबकि गृह मंत्रालय ने ₹ 196.14 करोड़ के प्रति ₹ 163.14 करोड़ का आंशिक भुगतान किया था और विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई राशि नहीं दी थी। इस प्रकार निर्धारिती को विव14 के लिए

57 अहमदाबाद एसटी, भरुच, बोलपुर, चंडीगढ़-II, गुरुग्राम, हल्दिया, जमशेदपुर, मुंबई लेखापरीक्षा-I, मुंबई सेंट्रल, मुंबई पश्चिम, मुंबई पूर्व, नवी मुंबई, पंचकुला, सलेम और सोनीपत।

₹ 247.20 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई थी और उसने ₹ 336.24 करोड़ पर देय ₹ 44.03 करोड़ के सेवा कर के प्रति ₹ 30.55 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था।

इस प्रकार, निर्धारिती ने विव14 के लिए ₹ 109.04 करोड़ की शेष अनुरक्षण लागत पर ₹ 13.48 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। तथापि, विभाग ने उक्त के लिए न तो आवधिक एससीएन जारी किया और न ही निर्धारिती ने शेष अनुरक्षण लागत पर सेवा कर का भुगतान न करने पर स्पष्टीकरण दिया। इसके परिणामस्वरूप 18 महीनों की निर्धारिती समय सीमा में आवधिक एससीएन जारी न करने के कारण ₹ 13.48 करोड़ की राजस्व हानि हुई थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.2 मुंबई पूर्वी कमिश्नरी की डिविजन-IV के अधिनिर्णयन अभिलेखों से पता चला कि एक निर्धारिती को विभिन्न सेवाओं पर विव11 एवं विव12 की अवधि हेतु क्रमशः ₹ 12.16 करोड़ और ₹ 2.70 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए अक्टूबर 2011 और अक्टूबर 2012 में दो एससीएन जारी किए गए थे। उक्त का अधिनिर्णयन किया गया और मांग की पुष्टि की गई (मई 2014) जिसके प्रति निर्धारिती ने न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी। तथापि, आगामी अवधि के लिए निर्धारिती ने कारबार सहायक सेवाओं (बीएएस), जो आपत्ति के साथ किया गया था, को छोड़कर सभी सेवाओं में अंततः कर का भुगतान कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारिती ने विव14 और विव15 की अवधि के लिए ₹ 6.49 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया था इसमें से बीएएस के प्रति किए गए भुगतान पर निर्धारिती अभी तक विवाद कर रहा था। विव13 के सेवा कर भुगतान के ब्यौरे अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। अतः विभाग को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए बीएएस पर अगली अवधि के लिए एससीएन जारी रखने चाहिए थे। तथापि, विभाग ने बीएएस सहित सभी सेवाओं के संबंध में विव13 के बाद से एससीएन जारी करना बंद कर दिया जोकि नियमानुसार नहीं था जिससे ₹ 6.49 करोड़ तक का राजस्व (विव14 एवं विव15) विधिक रूप से असुरक्षित हो गया।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.3 नवी मुंबई कमिश्नरी के डिविजन-V के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वित्तीय लेखाओं और एसटी-3 विवरणी के बीच अंतरीय राशि पर 2012 में 2007 से 2011 और 2013 में विव12 की अवधि हेतु एक निर्धारिती को एससीएन जारी किए गए थे। इसके पश्चात, विव14 के लिए 27 सितम्बर 2017 को आवधिक एससीएन जारी किया गया था। तथापि, विव13 के लिए आवधिक एससीएन को आवधिक एससीएन की अंतिम तिथि बीत जाने के कारण जारी नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 2018) कि विव13 के लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार कुल राजस्व ₹ 8.96 करोड़ था (₹ 8.75 करोड़ की सेवा बिक्रियों सहित) जिसके प्रति निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणी में ₹ 6.45 करोड़ की घोषणा की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ (₹ 8.96 करोड़ - ₹ 6.45 करोड़) की अंतरीय राशि पर सेवा कर की अमुक्त देयता हुई। इस राशि पर सेवा कर देयता ₹ 30.17 लाख संगणित की गई। अतः आवधिक एससीएन जारी न करने के परिणामस्वरूप शास्ति एवं ब्याज के अलावा ₹ 30.17 लाख की राजस्व हानि हुई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.4 मुंबई पूर्वी कमिश्नरी की डिविजन-III के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि एक निर्धारिती को अप्रैल 2009 से जून 2012 की अवधि हेतु ₹ 11.83 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। तत्पश्चात, जुलाई 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि हेतु आवधिक एससीएन जारी किए गए थे। तथापि, विव15 के लिए विभाग ने ₹ 7.58 करोड़ की बजाय ₹ 7.15 करोड़ के सेवा कर के गैर-भुगतान की गलत गणना की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.60 लाख की कम मांग की गई।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2018) कि उत्तर भेजा जाएगा।

5.10.5 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (आई) अन्य बातों के साथ-साथ बताती है कि जहां सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया है वहां एससीएन साधारण मामले में संबंधित तिथि से एक वर्ष के अंदर (28 मई 2012 से प्रभावी, अठारह माह में) और भुगतान से बचने या गलत प्रतिदाय प्राप्त करने की इच्छा से छलकपट, मिलीभगत, तथ्यों के

स्वैच्छिक छिपाव आदि के मामले में संबंधित तिथि से पाँच वर्षों के अंदर भेजा जाना चाहिए।

5.10.5.1 फरवरी 2018 में डिब्रुगढ़ कमिश्नरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने “मूर्त माल की आपूर्ति” के तहत सेवा कर के गैर-भुगतान जारी करने के लिए समय-सीमा में विस्तारित अवधि मांगने के लिए विव12 से विव15 (नवम्बर 2014 तक) के लिए ₹ 32.86 लाख (ब्याज एवं शास्ति सहित) की मांग दर्शाते हुए 28 सितम्बर 2015 एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया था और अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 18 मार्च 2016 के उसके आदेश से उक्त मांग की पुष्टि की थी। तत्पश्चात, अपील प्राधिकारी ने दिनांक 15 फरवरी 2017 के उसके आदेश द्वारा इस आधार पर मांग को आंशिक रूप से (24 अक्टूबर 2013 की पूर्व अवधि से संबंधित मांग) छोड़ दिया था कि एससीएन में मांग का हिस्सा समय बाधित हो गया था। इस प्रकार, समय पर एससीएन जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 14.76 लाख की राजस्व हानि हुई।

तीन निर्धारितियों के संबंध में इसी कमिश्नरी में समान अनियमितताएँ देखी गई थी जिसमें क्रमशः ₹ 13.71 लाख, ₹ 12.45 लाख और ₹ 15.45 लाख की राजस्व हानि हुई थी। एससीएन जारी करने में विलम्ब के कारण कुल राजस्व हानि ₹ 56.37 लाख थी।

अतः कमिश्नरी द्वारा एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप अपील प्राधिकारी द्वारा मांग समय बाधित हो गई जिससे राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2018) तब मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2018) कि मामला पहले ही विभाग के संज्ञान में था।

मंत्रालय का उत्तर विभाग द्वारा समय पर एससीएन जारी करने में विफलता संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी से संबंधित नहीं है जिसके कारण अधिनिर्णयन में मांग समय बाधित हो गई थी।

5.10.5.2 समान कमिश्नरी (डिब्रुगढ़ कमिश्नरी) ने एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समय सीमा अवधि मांगते हुए विव11 और विव12 की अवधि के लिए ₹ 21.70 लाख की मांग दर्शाते हुए एक निर्धारिती को एससीएन जारी

किया था (अप्रैल 2014)। वह एससीएन फरवरी 2013 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर जारी किया गया था।

अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 27 नवम्बर 2014 के आदेशानुसार इस आधार पर उक्त मांग को छोड़ दिया कि उक्त पर अक्टूबर 2008 से जून 2010 की अवधि को कवर करते हुए पहले एक एससीएन जारी किया गया था और उसी ठेके पर विस्तारित समयावधि मांगते हुए 14 मार्च 2013 को निर्धारिती को जारी किया गया था और विभाग को 2008 से निर्धारिती द्वारा निष्पादित कार्यकलापों के बारे में पूर्णतः जानकारी थी। अतः दूसरे एससीएन में निर्धारिती द्वारा तथ्य छुपाने का आरोप संधारणीय नहीं था क्योंकि निर्धारिती द्वारा निष्पादित कार्यकलाप अनवरत प्रक्रिया थे और विभाग सामान्य समय सीमा में आवधिक रूप से एससीएन जारी कर सकता था। अतः समय सीमा में एससीएन जारी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 21.70 लाख की राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2018), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (अगस्त 2018) और बताया कि ऐसी चूक के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।

5.11 अन्य चूकें

हमने ₹ 6.10 करोड़ के राजस्व वाले 11 मामले देखे (परिशिष्ट-4 की धारा एफ में शामिल किए गए) जो क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों की कार्यप्रणाली में कमी को दर्शाते हैं। मंत्रालय ने सात मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली और चार मामलों में मंत्रालय ने राजस्व हानि स्वीकार की परन्तु विभागीय चूक स्वीकार नहीं की।

कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

5.11.1 अनुवर्ती कार्यवाही में कमियाँ

विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे विवरणियों की संवीक्षा या आंतरिक लेखापरीक्षा का वांछित प्रभाव केवल तब होगा जब क्षेत्राधिकारी अधिकारी पूर्व में देखी गई चूकों पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही करें।

अहमदाबाद उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के तहत किसी ब्याज का भुगतान किए बिना लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि अर्थात् विव13 से विव17 के दौरान देय सेवा कर के भुगतान में निरंतर विलम्ब किया था। विभाग के निवारक विंग ने दिसम्बर 2015 तक निर्धारिती की ब्याज देयता और शास्ति पर टिप्पणी की थी (जुलाई 2016) जिसके बावजूद निर्धारिती ने अपनी ब्याज देयता का भुगतान किए बिना अगली अवधि हेतु सेवा कर भुगतान में विलम्ब जारी रखा। जनवरी 2016 से फरवरी 2017 की अवधि हेतु सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज ₹ 33.31 लाख था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2017), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2017) और सूचना दी कि निर्धारिती ने ₹ 33.31 लाख की आपत्तिकृत ब्याज राशि का भुगतान कर दिया है (मई से अक्टूबर 2017)। इसके अलावा, मंत्रालय ने बताया कि कानून के अनुसार ब्याज भुगतान के लिए निर्धारिती पर दंड लगाया गया था, रेंज अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न्यायसंगत नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आदतन दोषी होने और निवारक विंग द्वारा बताए जाने के बावजूद रेंज अधिकारी द्वारा सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक निर्धारिती के विरुद्ध कोई प्रतिरोधी उपाय नहीं किए गए।

5.11.2 अमान्य दस्तावेजों के आधार पर सेनवेट क्रेडिट की निरंतर अनियमित प्राप्ति

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9(आई) के अनुसार सेनवेट क्रेडिट आऊटपुट सेवा के प्रदाता द्वारा जारी बीजक/बिल/चालान के आधार पर लिया जाना चाहिए। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4(ए1) के अनुसार कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यथावत हस्ताक्षरित, क्रमबद्ध ढंग से संख्या डाले गए और ऐसे व्यक्ति का नाम, पता एवं पंजीकरण संख्या वाले बीजक/बिल/चालान; कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता; प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली करयोग्य सेवा का विवरण, वर्गीकरण और मूल्य तथा उस पर देय सेवा कर जारी करेगा। बैंकिंग कम्पनी

के मामले में इस उप-नियम के परन्तुक के अनुसार बीजक/ बिल/चालान में कोई दस्तोवज, जो भी नाम हो, चाहे वह क्रमबद्ध ढंग से संख्या डाली गई हो या नहीं और चाहे करयोग्य सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लिखा हो या नहीं, शामिल किया जाएगा परंतु नियम 4(ए)(1) के तहत अपेक्षित अन्य सूचना शामिल होगी।

कालीकट कमिश्नरी के अंतर्गत बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले एक सेवा कर निर्धारिती ने मई 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान बीजकों के बिना ₹ 38.75 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त और उपयोग किया। क्रेडिट को नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) प्रचालनों, एक साझा ऑटोमेटिड टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क जो विभिन्न बैंकों के एटीएम स्विच से इंटर कनेक्टेड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रचालित थी, से संबंधित संव्यवहारों के ई-विवरणों के आधार पर प्राप्त किया गया था।

सीएजी के 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.4 के पैरा सं. 6.1 के द्वारा समान मामले के बारे में बताया गया था जिसमें सितम्बर 2010 में इसी कमिश्नरी में अन्य निर्धारिती, को वर्ष 2012 में विभाग ने एससीएन जारी किया था। परन्तु निर्धारिती द्वारा एनएफएस प्रचालनों पर क्रेडिट की समान अनियमित प्राप्ति की पहचान हेतु कार्यवाही नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (जनवरी 2015), तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया तथा बताया (अगस्त 2018) कि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान ब्याज एवं शास्ति सहित लिए एवं उपयोग किए गए ₹ 1.66 करोड़ के अपात्र सेनवेट क्रेडिट की मांग करते हुए निर्धारिती को एससीएन दिनांक 11 अप्रैल 2016 को जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि संबंधित कमिश्नर से संभावित राजस्व जोखिम मामलों के साथ व्यवहार करने में अधिक सावधानी बरतने के लिए क्षेत्राधिकारी और आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कहा गया है।

5.11.3 संशोधित एसटी-3 विवरणी की विलम्ब से फाइलिंग के संबंध में रेंज अधिकारी द्वारा कार्यवाही न करना

सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 7बी अनुबंध करता था कि एक निर्धारिती नियम 7 के अंतर्गत विवरणी के प्रस्तुतिकरण की तिथि (अर्थात् मूल विवरणी की फाइलिंग की तिथि) से नब्बे दिनों की अवधि में गलती या त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म एसटी-3 में संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

रेंज-II, डिविजन-अंजर (भचाऊ), कच्छ कमिश्नरी (गांधीधाम) के क्षेत्राधिकार में आने वाली एक निर्धारिती ने अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान ₹ 11.75 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया था जिसका प्रदत्त अवधि की इसकी एसटी-3 विवरणी से पता चला।

तत्पश्चात, निर्धारिती ने 27 मई 2015 को आधे वर्ष अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 (अर्थात् चूक की प्रदत्त अवधि से पूर्व की अवधि) के लिए संशोधित एसटी-3 विवरणी प्रस्तुत की थी जिसमें इसने दर्शाया कि इसने वास्तव में देय सेवा कर के प्रति अधिक शुल्क भुगतान कर दिया था। विभागीय पत्राचार से प्रतीत हुआ कि निर्धारिती अनुवर्ती आधे वर्ष (अर्थात् अक्टूबर 2013 से मार्च 2014) के दौरान किए गए कम भुगतान को कवर करने के लिए पूर्व अवधि के अधिक भुगतान का (संशोधित विवरणी में दर्शाया गया) समायोजन करना चाहता था।

चूँकि, निर्धारिती ने उक्त नियम 7बी के तहत अनुमत 90 दिनों की अवधि के पश्चात 27 मई 2015 (अर्थात् 23 अक्टूबर 2013 को फाइल की गई मूल विवरणी की तिथि से 19 माह के बाद) सितम्बर 2013 को अप्रैल-सितम्बर 2013 की अवधि हेतु संशोधित विवरणी फाइल की थी, इसलिए यह समय बाधित हो गई और संशोधित विवरणी के अंतर्गत दावा की गई किसी राशि की अनुवर्ती विवरणी में समायोजन हेतु अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

रेंज अधिकारी द्वारा पूर्व में भुगतान किए गए अधिक सेवा कर के समायोजन हेतु एसटी-3 विवरणी की विलम्बित फाइलिंग को अस्वीकार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.75 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिसकी लागू ब्याज सहित वसूली करना आवश्यक था।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2016) तब मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जून 2018) और बताया कि निर्धारिती ने ₹ 11.75 लाख जमा करा दिए थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारिती ने अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 की अवधि हेतु ऑनलाइन संशोधित विवरणी फाइल नहीं की थी जो कानून द्वारा अधिदेशित थी। इस प्रकार, क्षेत्राधिकारी रेंज अधिकारी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि निर्धारिती द्वारा संशोधित विवरणी फाइल न की गई होती तब रेंज अधिकारी को कम भुगतान राशि की वसूली के लिए परिशोधन कार्यवाही करनी चाहिए थी जोकि संबंधित अवधि हेतु निर्धारिती द्वारा फाइल की गई मूल विवरणी से स्पष्ट था।

अध्याय VI

कर प्रशासन एवं आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

6.1 प्रस्तावना

किसी संरचना में आंतरिक नियंत्रण जोखिमों का समाधान करने तथा यह उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए परिकल्पित है कि सत्वों के मिशन के अनुसरण में निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है:

- जवाबदेही दायित्व पूर्ण करना;
- लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति से संसाधनों की सुरक्षा।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

744 लेखापरीक्षित रेंजों में निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत की गई 51,610 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी जांच के दौरान हमें अधिनियमों, नियमों, प्रावधानों, अनुदेशों आदि के अनुपालन में कई कमियों का पता चला। जैसा कि लेखापरीक्षा समष्टि, नमूना और निष्कर्ष के संबंध में इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.3 और 2.4 में चर्चा की गई है, मंत्रालय को जारी किये गये 263 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से, विवरणियों की संवीक्षा विवरणी की आंतरिक लेखापरीक्षा क्षेत्र अधिकारियों के कार्यों पर उत्पाद शुल्क से संबंधित 93 पैराग्राफ इस अध्याय में शामिल किये गये हैं।

93 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ में से ₹ 45.65 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 67 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ (परिशिष्ट III) द्वारा हमने मंत्रालय को 42 कमिशनरियों के विभागीय कर्मचारियों की कमियां दर्शाते हुए लेखापरीक्षा आपत्तियां प्रेषित की। मंत्रालय ने 27 मामलों में चूकों को स्वीकार किया। मंत्रालय ने 22 मामलों में चूकों को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा राजस्व वसूली हेतु उपचारात्मक कार्यवाही के मामलों मंत्रालय ने 18 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार नहीं की।

हमने 18 कमिश्नरियों में निर्धारितियों द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ब्याज भुगतान न करने/कम भुगतान करना और सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति/गलत उपयोग के ₹ 129.65 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 26 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ (परिशिष्ट IV) भी जारी किए थे। मंत्रालय/विभाग ने 25 मामलों में आपत्तियां स्वीकार की हैं और वसूलियां की हैं/वसूली कार्यवाही शुरू/पूरी की है। मंत्रालय ने एक मामले में आपत्ति स्वीकार नहीं की थी।

आपत्तियों पर चार प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

- विवरणियों की संवीक्षा
- आंतरिक लेखापरीक्षा न करना
- आंतरिक लेखापरीक्षा में चूक का पता न लगना
- अन्य चूकें

6.3 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

बोर्ड ने 1996 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व निर्धारण शुरू किया था। स्व निर्धारण की शुरुआत के साथ विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ सुदृढ अनुपालन जांच तंत्र का भी प्रावधान किया। निर्धारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों का मुख्य कार्य है जिन्हें शुल्क भुगतान की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा करनी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा हेतु नियमपुस्तक के अनुसार रैंज अधिकारी द्वारा प्राप्त एवं संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या के संबंध में डिविजन के क्षेत्राधिकारी सहायक/उप कमिश्नर के समक्ष मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। संवीक्षा दो चरणों अर्थात् केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के स्वचालन (एसीईएस) द्वारा प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा, जिन्हें एसीईएस या अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर हस्त्य रूप से किया जाता है, में की जाती है।

6.3.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

सभी विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा एसीईएस में ऑनलाइन की जाती है और निश्चित त्रुटियों वाली विवरणियों को समीक्षा एवं सुधार (आरएण्डसी) हेतु चिन्हित किया जाता है। इन्हें रेंज अधिकारियों द्वारा तदनुसार संसाधित किया जाता है। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी की समय पर प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, संगणित राशि की अंकगणितीय सटीकता तथा विवरणी जमा न करने वाले/ जमा करना बंद करने वाले की पहचान सुनिश्चित करना था। यदि एसीईएस प्रणालियों द्वारा कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी सभी विवरणियों को आरएणसी हेतु चिन्हित किया गया था। एसीईएस द्वारा आरएणसी हेतु चिन्हित इन विवरणियों को निर्धारित से परामर्श के बाद विधिमान्य किया जाना तथा प्रणाली में दुबारा दर्ज किया जाना चाहिए। विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा तथा आरएणसी विवरणियों की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अंदर पूरी की जानी थी।

तालिका 6.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा के संबंध में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 6.1: केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस में फाइल की गई विवरणियों की सं.	आरएणसी हेतु चिन्हित विवरणियों की सं.*	आरएणसी हेतु चिन्हित विवरणियों की %	आरएणसी के बाद संशोधित विवरणियों की सं.	आरएणसी हेतु लंबित विवरणियों की सं.	सुधार हेतु लंबित चिन्हित विवरणियों की %
विव16	20,59,541 ⁵⁸	16,28,408	79.07	9,17,264	7,11,144	43.67
विव17	17,66,749	15,95,570	90.31	9,92,952	6,02,618	37.77
विव18	7,16,016	6,35,182	88.71	2,69,494	3,65,688	57.57

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े

यह देखा गया है कि एसीईएस द्वारा संवीक्षा की गई विवरणियों की काफी उच्च प्रतिशतता (88.71 प्रतिशत) को विव18 में आरएणसी हेतु चिन्हित किया

58 मंत्रालय द्वारा विव16 के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़े (नवम्बर 2018) उसी वर्ष के पहले प्रस्तुत किए गए आंकड़ों (2016) से मेल नहीं खाते।

गया था। आरएनसी हेतु विवरणियों को उच्च प्रतिशतता में चिन्हित करना तथा इसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लंबित विवरणियों की उच्च संख्या एसीईएस प्रणाली में त्रुटियों की सूचक हैं। विभाग हमारे द्वारा निरंतर बताए जाने के बावजूद त्रुटियों का परिशोधन नहीं कर सका।

यह भी देखा गया कि यद्यपि एसीईएस में फाइल की गई रिटनों की संख्या में विव17 (17.66 लाख) की तुलना में विव18 (7.16 लाख) तक तीव्र गिरावट आई, विभाग केवल 42.43 प्रतिशत विवरणियों पर ही कार्यवाही कर सका था, विव17 में लंबित 37.77 प्रतिशत विवरणियों की तुलना में आरएनसी हेतु 57.57 प्रतिशत विवरणी लंबित रह गई थी।

विव18 के दौरान विभागीय इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा की नमूना जांच के दौरान हमने आरएनसी/विस्तृत संवीक्षा आदि हेतु चिन्हित विवरणियों के गैर-निष्पादन/गैर-मंजूरी के मामले देखे। एक मामले (परिशिष्ट-III के भाग क में शामिल), जिसमें प्रारंभिक संवीक्षा की प्रणाली में कमी के कारण सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति/उपयोग का पता नहीं चला, को नीचे दर्शाया गया है।

6.3.1.1 प्रारंभिक संवीक्षा के दौरान सेनवेट क्रेडिट के अनियमित उपयोग का पता न चलना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की 06 अगस्त 2014 से यथासंशोधित धारा 35 एफ के अनुसार न्यायाधिकरण धारा 35 की उप धारा (1) के तहत किसी अपील पर विचार नहीं करेगा जब तक कि अपीलकर्ता ने साढ़े सात प्रतिशत शुल्क, उस मामले में जहां शुल्क और शास्ति विवादास्पद हो या शास्ति, जहां ऐसी शास्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के अनुरूप विवादास्पद है, जमा नहीं कराए हो। सेस्टेट ने अपने परिपत्र एफ.सं.15/सेस्टेट/सामान्य/2013-14 दिनांक 28 अगस्त, 2014 से स्पष्ट किया कि उत्पाद शुल्क, सेवा कर या सीमाशुल्क राशि का पूर्व जमा नकद में भुगतान के अलावा सेनवेट क्रेडिट के उत्क्रमण के माध्यम से किया जा सकता है परंतु शास्ति राशि का पूर्व जमा अपील पंजीकरण से पूर्व नकद में किया जाना है। इसी प्रकार, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3

का उप-नियम 4 शुल्क के प्रकार दर्शाता है जिनका भुगतान सेनवेट क्रेडिट अकाउंट के माध्यम से किया जा सकता है, पूर्व-जमा इनमें से एक नहीं है। अतः शास्ति का पूर्व जमा नकद के द्वारा किया जाना है।

बोलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आसनसोल-II डिविजन की रेंज रूपनारायणपुर के लेखाओं की लेखापरीक्षा और एक निर्धारिती से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित अभिलेखों की अनुवर्ती जांच के दौरान हमने देखा कि उक्त निर्धारिती के विरुद्ध दिसम्बर 2015 में ₹ 39.51 करोड़ की शास्ति मांग के रूप में पुष्टि की गई थी। निर्धारिती ने अप्रैल 2016 में सेस्टेट, कोलकाता के समक्ष उक्त ओ-आई-ओ के विरुद्ध अपील दर्ज कराई थी और सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करते हुए मार्च 2016 में शास्ति राशि का 7.50 प्रतिशत ₹ 2.96 करोड़ के पूर्व जमा का भुगतान किया था जो सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) का उल्लंघन करता है। इसके परिणामस्वरूप विव16 में ₹ 2.96 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग और इस सीमा तक सरकारी राजकोष में नकद जमा नहीं हुआ।

सेनवेट क्रेडिट का उपयोग निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी से स्पष्ट होता था। निर्धारिती ने उक्त पूर्व जमा के भुगतान के प्रति सेनवेट क्रेडिट के उपयोग से संबंधित विवरणी में टिप्पणी की थी और विवरणी को एसीईएस द्वारा आरएनसी हेतु चिन्हित कर दिया गया था। हालांकि उक्त विवरणी की रेंज द्वारा जांच की गई थी फिर भी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विशेष उल्लेख के बावजूद अनियमितता का पता नहीं चला।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने अपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) और बताया कि निर्धारिती को ₹ 2.96 करोड़ के लिए एससीएन जारी कर दिया गया था। रेंज अधिकारियों की चूक के लिए इसने बताया कि गलती करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

6.3.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

बोर्ड ने परिपत्र सं.1004/11/2015/सीएक्स, दिनांक 21 जुलाई 2015 के द्वारा अनुबंध किया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी में एक माह में प्राप्त कुल विवरणियों के कम से कम 2 प्रतिशत तथा अधिकतम 5 प्रतिशत की विस्तृत संवीक्षा पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए क्षेत्र में उचित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए। विस्तृत संवीक्षा हेतु कमिश्नरियों द्वारा निर्धारितियों का चयन महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा पत्र फाइल सं.381/20/2015, दिनांक 18 मई 2015 के द्वारा भेजे गये, जोखिम गणना तथा इसे उपयोग करने की प्रक्रिया पर आधारित होगा मुख्य कमिश्नर तथा कमिश्नरों को जोखिम के आधार पर चयनित निर्धारितियों की सूची के लिए ऐसे मानदंडों, जैसा उचित समझे, को उपयोग करते हुए विस्तृत संवीक्षा हेतु मानवीय रूप से विवरणियों का चयन करने की शक्ति भी दी गई है।

हमारे सर्वोत्तम अनुसरण के बावजूद मंत्रालय/विभाग ने विव16 से विव18 के लिए विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये थे। हमने यह भी देखा कि सेवा कर विवरणियों की भांति, बोर्ड को क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा केन्द्रीय उत्पादशुल्क विवरणियों की संवीक्षा के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई प्रणाली स्थापित नहीं की गई हैं और उक्त की बोर्ड द्वारा निगरानी नहीं की जा रही है।

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता स्थापित करना और प्राप्त छूट की स्वीकार्यता पर विचार करने के बाद मूल्य निर्धारण की सटीकता, सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति, लागू शुल्क के वर्गीकरण तथा प्रभारी दर आदि सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा से भिन्न विस्तृत संवीक्षा में कर दाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों में प्रस्तुत सूचना के आधार पर जोखिम मापदंडों के आधार पर चिन्हित, विवरणियों को ही कवर किया जाता है।

चूंकि स्वयं निर्धारण व्यवस्था में, कर निर्धारण की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु कर संवीक्षा मुख्य साधन तथा विभाग का कार्य है, संवीक्षा के आंकड़ों का रखरखाव एवं उसकी निगरानी ना करना राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण तंत्र में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन के पैरा 5.6 में यथाउल्लिखित विस्तृत संवीक्षा न करने के मामलों के अलावा, एक मामले (परिशिष्ट-III के भाग ए में शामिल किया गया है) जिसमें सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति का पता नहीं चला था, यद्यपि विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा की गई थी, को नीचे दर्शाया गया है:

6.3.2.1 विस्तृत संवीक्षा में सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति का पता न चलना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 14 बताता है कि जहां सेनवेट क्रेडिट को गलत रूप से लिया एवं उपयोग किया गया हो या त्रुटिपूर्ण ढंग से लौटाया गया हो, तब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ए तथा 11ए के प्रावधानों के तहत निर्गत सेवा के प्रदाता या विनिर्माता से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर (अधिसूचना सं.15/2016-सीई(एनटी) दिनांक 1 मार्च 2016) ब्याज सहित उक्त की वसूली की जाएगी।

राँची कमिश्नरी के अंतर्गत हजारीबाग डिविजन के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-II की लेखापरीक्षा तथा स्पंज लौह, नान अलॉय स्टील इन्गोट आदि का विनिर्माता एक निर्धारिती के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अभिलेखों की अनुवर्ती जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने विव16 के दौरान 45,530.98 एमटी आयातित कोयला खरीदा था और इस पर ₹ 33.03 लाख का अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि उक्त 45,530.98 एमटी कोयले में से निर्धारिती ने ₹ 14.05 लाख के सेनवेट क्रेडिट के उत्क्रमण के बिना 19,369.56 एमटी कोयले की निकासी की। इस प्रकार ₹ 1.67 लाख के लागू ब्याज (जनवरी 2017 तक) सहित ₹ 14.05 लाख की सेनवेट क्रेडिट राशि निर्धारिती से वसूली योग्य थी।

विभाग ने नवम्बर 2015 से संबंधित विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा की (जनवरी 2016) परन्तु चूक का पता नहीं लगा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016), तब मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा सूचना दी कि निर्धारिती ने ₹ 3.04 लाख के ब्याज सहित ₹ 14.05 लाख का क्रेडिट लौटा दिया था। यह भी बताया गया कि संवीक्षा हेतु जवाबदेह अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

6.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर निर्धारितियों द्वारा अनुपालन के स्तर के मापन में सहायता करती है। बोर्ड ने केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2015 (सीईएसटीएएम 2015) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी।

इस प्रतिवेदन के पैरा 5.7 के ब्यौरे के अनुसार हमारे उत्कृष्ट अनुसरण के बावजूद मंत्रालय/विभाग ने पैरा में निर्दिष्ट कारणों से विव18 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु देय इकाईयों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये थे।

इस आंकड़े को प्रस्तुत करने में विभाग की विफलता से विभाग के आंकड़ों के रख-रखाव में मुख्य कमियों का पता चलता है।

विभाग द्वारा विव18 के दौरान की गई लेखापरीक्षा के परिणामों को नीचे तालिका 6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.2: विव18 के दौरान आपत्तिकृत एवं वसूली गई राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी	कुल लेखापरीक्षित इकाईयां	पता चले कम उदग्रहण	कुल वसूली	कुल संसूचन की % के रूप में वसूली
विव18	बड़ी इकाईयां	2,836	1,760	380	21.57
	मध्यम इकाईयां	5,467	328	162	49.46
	छोटी इकाईयां	7,382	134	90	66.95
	कुल	15,685	2,222	632	28.42

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

यह देखा गया कि बड़ी इकाईयों में पता चली और वसूली गई कम उदग्रहण राशि अन्य इकाईयों से काफी अधिक थी परन्तु पता चली राशि की तुलना में वसूली गई कुल राशि छोटी और मध्यम इकाईयों में अधिक थी। विभाग को बड़ी इकाईयों में कम वसूली के कारणों की जांच करनी चाहिए।

6.4.1 आंतरिक लेखापरीक्षा न करना

हमारी नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निर्धारितियों के पर्याप्त आवृत्त क्षेत्र और लेखापरीक्षा हेतु देय निर्धारित इकाईयों के मामले में विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के संभावित प्रभाव की जांच करने का प्रयास किया था। हमने 9 कमिशनरियों में नौ निर्धारितियों (परिशिष्ट-III के भाग बी में शामिल) के मामले में ₹ 7.04 करोड़ की मूल्य राशि की चूकों का पता लगाया जो विभागीय मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु देय थे परन्तु आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इनमें से सात मामलों को मंत्रालय ने स्वीकार/ आंशिक रूप से स्वीकार किया था। दो मामलों में मंत्रालय ने आपत्तियां स्वीकार नहीं की थी। दो मामले नीचे दर्शाए गए हैं:

6.4.1.1 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न लगना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(आई) अन्य बातों के साथ-साथ आऊटपुट सेवा प्रदान करने हेतु करयोग्य सेवा प्रदाता द्वारा उपयोग की गई; अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में या के संदर्भ में विनिर्माता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग की गई किसी सेवा तथा निस्तारण स्थान तक अंतिम उत्पादों की निकासी के रूप में इनपुट सेवा को परिभाषित करती है जिसमें आधुनिकीकरण, पुनरूद्धार, विज्ञापन, बाजार अनुसंधान, लेखाकरण, लेखापरीक्षण आदि शामिल हैं परन्तु इसमें आऊटडोर केटरिंग, सौन्दर्य उपचार, स्वस्थ्य सेवाएं, सौन्दर्य एवं प्लास्टिक सर्जरी, क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य एवं फिटनेस सेंटर, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और अवकाश या गृह यात्रा रियायत के रूप में छुट्टियों पर गए कर्मचारियों को दिए गए यात्रा लाभ जैसी सेवाओं को छोड़ा गया है, जब इन सेवाओं का उपयोग मुख्यतः किसी कर्मचारी के निजी उपयोग या खपत के लिए किया जाता है।

तत्प्रभावी लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के पैरा 3.1.2 के अनुसार अनिवार्य इकाईयों (₹ 3 करोड़ से अधिक राजस्व देने वाली) की लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जानी थी।

पुणे-1 कमिशनरी के अंतर्गत डिविजन VII (शिरूर) की रेंज II की लेखापरीक्षा तथा सेटा 1985 के अध्याय 87 के अंतर्गत उत्पादशुल्क योग्य माल के

विनिर्माण में संलग्न एक निर्धारिती के अभिलेखों की अनुवर्ती जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने विव15 से विव17 की अवधि के दौरान आउटडोर केटरिंग सेवाओं के संबंध में ₹ 1.22 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट लिया था जोकि स्वीकार्य नहीं था और इसका ब्याज सहित उत्क्रमण अपेक्षित था।

हालांकि, निर्धारिती मौजूदा मानदंडों के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु अनिवार्य इकाई था फिर भी अप्रैल 2010 से इस अवधि हेतु लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप चूक का पता नहीं चला।

जब हमने इस बारे में बताया (जून 2017), तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2017) और बताया कि निर्धारिती को ₹ 1.22 करोड़ के लिए एससीएन जारी कर दिया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के लिए मंत्रालय ने चूक पर खेद जताया और बताया कि श्रम बल सीमाओं के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी।

6.4.1.2 समयबाधित बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न चलना

1 सितम्बर 2014 से 28 फरवरी 2015 की अवधि के दौरान प्रभावी सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(1) अनुसार निर्गत सेवा के प्रदाता या विनिर्माता छः माह से अधिक समय पहले जारी (01 मार्च 2015 से एक वर्ष) बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट लेने के पात्र नहीं थे।

तत्प्रभावी लेखापरीक्षा नियमपुस्तक के पैरा 3.1.2 के अनुसार अधिदेशी इकाईयों (₹ 3 करोड़ से अधिक राजस्व देने वाली) की प्रति वर्ष लेखापरीक्षा की जानी थी।

बोलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत दुर्गापुर-III डिविजन के रेंज-III के लेखाओं की लेखापरीक्षा और एक निर्धारिती के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित दस्तावेजों की अनुवर्ती जांच के दौरान हमने देखा कि अगस्त 2013 से पूर्व की अवधि से संबंधित बीजकों के संबंध में सितम्बर 2014 में ₹ 43.49 लाख और 1 फरवरी 2014 को या इससे पूर्व की अवधि से संबंधित बीजकों के संबंध में फरवरी 2015 में ₹ 5.20 लाख का सेनवेट क्रेडिट लिया था। इनपुट बीजक, जिस पर क्रेडिट लिया गया था, एक वर्ष से अधिक पुराने थे। इसके

परिणामस्वरूप विव15 के लिए ₹ 48.70 लाख तक सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति की गई थी।

विभाग ने मार्च 2010 से निर्धारिती की लेखापरीक्षा नहीं की थी, यद्यपि मौजूदा मानदंडों के अनुसार अनिवार्य अधिदेशी इकाई थी जिसके कारण चूक का पता नहीं चल सका।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2016) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (जुलाई 2018) और सूचना दी कि ₹ 1.16 करोड़ के लिए एससीएन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। मार्च 2010 से आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के लिए इसने बताया कि निर्धारिती की लेखापरीक्षा अगस्त 2017 में निर्धारित थी और निर्धारिती से प्रासंगिक दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा गया था परन्तु निर्धारिती इसका पालन करने में विफल रहा तथा विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14 के अंतर्गत सम्मन जारी करने की प्रक्रिया में था।

मंत्रालय का उत्तर मार्च 2010 से आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन था।

6.4.2 आइएपीज द्वारा चूकों का पता न लगाना

आइएपीज लेखापरीक्षा योजना के अनुसार तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2015 (सीईएसटीएएम-2015) के द्वारा फरवरी 2015 से प्रतिस्थापित केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा नियमपुस्तक, 2008 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारिती इकाईयों की लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान हमने आइएपी द्वारा पहले से लेखापरीक्षित निर्धारितियों के नमूने के लेखापरीक्षण द्वारा आइएपीज द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। 30 कमिश्नरियों में ₹ 31.38 करोड़ राजस्व वाले 43 मामलों में, जहां हमने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को पता लगाने हेतु आइएपीज की चूक के बारे में बताया था, मंत्रालय ने 30 मामलों को स्वीकार/आंशिक रूप से स्वीकार किया (*परिशिष्ट III* के भाग सी)। मंत्रालय ने 13 मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणी का विरोध किया। तीन मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

6.4.2.1 सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ और उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(आई) (ixबी) के अनुसार, अंतिम उत्पाद के विनिर्माण या आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा किसी प्राप्त की गई इनपुट सेवा पर भुगतान किये गये सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त करना अनुमत है। आउटडोर केटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि के संबंध में प्रदान की जाने वाली इनपुट सेवाएं सीसीआर 2004 के नियम 2(आई)(बीए)(सी) में इनपुट सेवा की परिभाषा से विशेषरूप से हटा दी गई है।

कोच्चि कमिश्नरी के अंतर्गत एर्नाकुलम II डिवीजन के पेट्रोलियम उत्पाद रैंज की लेखापरीक्षा और एक निर्धारिती के रिकॉर्ड की अनुवर्ती जांच के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने विव16 के दौरान इनपुट सेवा वितरण (आईएसडी) बीजक पर आधारित भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान के संबंध में ₹ 1.19 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट (अगस्त 2015 और फरवरी 2016) प्राप्त किया। इसके परिणामतः ₹ 1.19 करोड़ के अनर्हक क्रेडिट का अनुचित लाभ और उपयोग हुआ जो लागू ब्याज के साथ वापिस किया जाना था।

जून 2016 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च 2014 से मार्च 2016 की अवधि को शामिल करते हुए संचालित की गई; लेकिन किसी प्रकार की चूक पकड़ी न जा सकी।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया कि निर्धारिती को ₹ 1.19 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया जा चुका था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक के लिए यह कहा गया कि आईएपी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

6.4.2.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट का कम उत्क्रमण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(2) के अनुसार जहां एक विनिर्माता इनपुट और इनपुट सेवा और छूट प्राप्त वस्तुओं के साथ-साथ कर योग्य माल का विनिर्माण करता है, प्रयुक्त इनपुट्स की प्राप्तियों, उपयोग और

मालसूची और इनपुट सेवाओं की प्राप्ति और उपभोग में या छूट प्राप्त वस्तुओं के विनिर्माण के संबंध में अलग लेखाओं का रखरखाव करेगा और केवल उन इनपुट की मात्रा या इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट लेगा जो करयोग्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त होंगी। नियम 6(3) यह कहता है कि वस्तुओं का विनिर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता जो अलग लेखाओं के रखरखाव करने का चयन नहीं करता उसे छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के छह प्रतिशत की राशि का भुगतान करना होगा अथवा उप नियम (3ए) में यथा विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, नियम 6(3) के नीचे लिखी व्याख्या में यह परिकल्पित किया गया है कि यदि वस्तु का विनिर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता, इस उपनियम के अंतर्गत किसी विकल्प का चयन करता है तो, उसे उसके द्वारा विनिर्मित सभी छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए या यथास्थिति, उसके द्वारा प्रदत्त सभी छूट प्राप्त सेवाओं के लिए उसी विकल्प का चयन करना होगा और ऐसा विकल्प वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान वापिस नहीं लिया जा सकता।

पूणे-1 सीजीएसटी कमिश्नरी के अंतर्गत डिविजन IV के रेंज V की लेखापरीक्षा और एक निर्धारिती जो शुल्कयोग्य वस्तुओं के विनिर्माण, विनिर्मित वस्तुओं की ट्रेडिंग और छूट योग्य के साथ-साथ कर योग्य सेवाएँ प्रदान करने में संलिप्त था, के अभिलेखों की अनुवर्ती जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने विव16 के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत उत्कृमण की जाने वाली राशि की गणना नहीं की। छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य की गणना करते हुए, निर्धारिती ने परिचालन पट्टे से हुई आय पर विचार नहीं किया। छूट प्राप्त सेवाओं के मूल्य की गणना करते समय व्यापार की गई वस्तुओं के मूल्य के केवल 10 प्रतिशत पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 की अर्ध वार्षिक अवधि के दौरान भी, इस अवधि से संबंधित एसटी-3 विवरणी से यथा सत्यापित नियम 6(3) के अंतर्गत किसी राशि का उत्कृमण नहीं किया गया। इसके परिणामतः विव16 के दौरान ₹ 33.21 लाख के सेनवेट क्रेडिट का कम उत्कृमण हुआ।

मार्च 2014 से जून 2016 की अवधि के लिए निर्धारिती इकाई की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई। तथापि, यह मुद्दा आंतरिक लेखापरीक्षा में नहीं उठाया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2017), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) और सूचित किया कि निर्धारिती ने ब्याज और शास्ति सहित ₹ 74.20 लाख का भुगतान कर दिया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा की चूक के लिए यह कहा गया कि आयुक्त ने दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

6.4.2.3 कम पाए गए माल के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान का न किया जाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1)(ए) यह व्यवस्था करती है कि, भारत में विनिर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 नियम 10(1) के अनुसार, प्रत्येक निर्धारिती को विनिर्मित और हटाई गई वस्तुओं की मात्रा के संबंध में विवरण दर्शाते हुए, दैनिक उत्पादन रिकॉर्ड (डीपीआर) का रखरखाव करना होगा।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 3(5बी) यह व्याख्या करता है कि किसी इनपुट का मूल्य जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, पूर्ण या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया है तो विनिर्माता उक्त इनपुटों के संबंध में लिये गए सेनवेट क्रेडिट की राशि के बराबर भुगतान करेगा। यह नियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. 907/27/2009-सीएक्स दिनांक 7 दिसम्बर 2009 में स्पष्ट की गई अर्ध निर्मित वस्तुओं पर भी समान रूप से लागू होगा।

बेलागावी कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्धारिती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाली लोह एवं स्टील की वस्तुओं का विनिर्माता है। निर्धारिती के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि निर्धारिती ने विव15 और विव16 के दौरान अर्धनिर्मित वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं के भंडार में भंडार

जांच के दौरान भंडार की कमी पाई। निर्धारिती ने कम पाई गई वस्तुओं के मूल्य का लेखांकन संबंधित वर्षों के लिए लाभ हानि लेखा (पीएंडएल) में व्यय की ओर विनिर्माण व्ययों के रूप में किया। चूँकि उक्त वस्तुएँ विनिर्माण की प्रक्रिया से गुज़री थी, निर्धारिती कम पाई गई तैयार वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने हेतु दायी था। तथापि, निर्धारिती ने उक्त अवधि के दौरान कम पाई गई तैयार वस्तुओं के ₹ 14.46 करोड़ के मूल्य पर देय ₹ 1.80 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इसी प्रकार, निर्धारिती, इसी अवधि के दौरान कम पाई गई ₹ 636.85 करोड़ की अर्धनिर्मित वस्तुओं पर सेनवेट क्रेडिट के उत्कृमण के लिए दायी था। आवश्यक विवरणों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा उत्कृमण की जाने योग्य सेनवेट क्रेडिट के मूल्य का आकलन नहीं कर पायी।

मार्च-अप्रैल 2016 में विभाग द्वारा संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा में अप्रैल 2012 से जनवरी 2016 तक की अवधि को शामिल किया गया, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान न किये जाने और सेनवेट क्रेडिट के गैर-उत्कृमण का पता लगाने में विफल रहा।

जब हमने इस बारे में बताया (अगस्त 2016), मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2018) कि निर्धारिती अनुमानित मात्रा का लेखांकन सॉफ्टवेयर सिस्टम में कर रहा था और उसे ही भौतिक जांच द्वारा बाद में लेखांकित किया गया और किसी कमी/अधिशेष मात्रा को ईआर विवरणी में स्वयं के उपभोग तथा अधिसूचना 67/95 सीई के अंतर्गत इसके लिए छूट प्राप्त के रूप में समायोजित किया गया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गलत है चूँकि स्वयं द्वारा उपयोग की गई सामग्री को छूट का दावा करने हेतु रिकॉर्ड किया जाना होता है और कम पाई गई वस्तुओं को स्व उपयोग के रूप में उपचारित नहीं किया जाता। कम पाई गई निर्मित वस्तुएँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विषय वस्तु है। यह वस्तुओं को गुप्त रूप से हटाने की संभावना को जन्म देती है। निर्धारिती द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गंभीर नियंत्रण कमजोरी को दर्शाती है। मंत्रालय को मामले की जांच करने की

आवश्यकता है और कमियों को सुधारने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

6.4.3 मामले जहां आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे

अलग लेखापरीक्षा कमिश्नरी के निर्माण के बाद, आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन लेखापरीक्षा कमिश्नरियों की जिम्मेदारी बन गई है। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम कार्यकारी कमिश्नरियों को सूचित किए जाते हैं और उन्हें लेखापरीक्षित निर्धारितियों की जानकारी रखना आवश्यकता है। तथापि, ₹ 1.47 करोड़ के राजस्व के पांच मामलों (परिशिष्ट-III के भाग घ में शामिल) के आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा के लिए इन इकाइयों का चयन, लेखापरीक्षा का संचालन, आईएपी रिपोर्ट आदि हमें उपलब्ध नहीं कराए गये थे। इस प्रकार इन मामलों में हम आंतरिक लेखापरीक्षा की क्षमता की जांच करने में असमर्थ थे। ऐसे मामलों का वर्णन निम्नानुसार हैं:

6.4.3.1 आईएसडी द्वारा वितरित इनपुट सेवा क्रेडिट का अधिक लाभ- आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट से निपटान के लिए अप्रभावी तंत्र

सीईएसटीएएम 2015 के पैरा सं. 8.2.2 के अनुसार, निगरानी समिति बैठक (एमसीएम) लेखापरीक्षा कमिश्नरी में आयोजित की जानी चाहिए, जिसके लिए कार्यकारी आयुक्त या उसके प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। सभी देयों की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान या अरक्षणीय लेखापरीक्षा आपत्तियों के विस्तारण के संबंध में लेखापरीक्षा आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियां, जिनमें कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित हैं उन्हें सम्मिलित करके, एमसीएम के कार्यवृत्त के रूप में कार्यकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो एमसीएम के कार्यवृत्त की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इन आपत्तियों के प्रति सहमति/असहमति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, सीईएसएएम का अनुलग्नक एक्स (सीई एंड एसटी) वह प्रारूप प्रदान करता है जिसमें निर्धारित आईएपी द्वारा ली गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यकारी कमिश्नरी को उत्तर लिखेगा जो निर्धारित को स्वीकार और आपत्ति राशि का भुगतान कर दिया गया है ताकि उन मामलों में कार्यकारी कमिश्नरी द्वारा एससीएन जारी ना हो।

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1) और उसके अंतर्गत व्याख्या यह व्यवस्था करती है कि निर्धारिती द्वारा बेची गई उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य उत्पाद शुल्क सहित, यदि शुल्क उनके मूल्य के साथ भारित है, वह मूल्य होगा जो उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान और अतिरिक्त प्रतिदाय के लिए मौद्रिक मूल्य होगा, यदि कोई हो तो, जो वस्तुओं की बिक्री के संबंध में निर्धारिती को क्रेता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गांधीनगर कमिश्नरी III रेंज, डिविजन I के अंतर्गत एक निर्धारिती ने अपने डीलरों को और अपने खुदरा उपभोक्ताओं को “मदर सीएनजी स्टेशन” के माध्यम से ‘सीएनजी गैस’ बेची थी। हमने पाया कि निर्धारिती ने अपने खुदरा ग्राहकों से कीमत के अतिरिक्त कुछ ‘अन्य प्रभार’ (अपने बीजको में अलग से दर्शाया) एकत्रित किए जिस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। 01 अप्रैल 2012 से 15 जून 2016 के बीच ‘अन्य प्रभारों’ की राशि पर निर्धारिती द्वारा देय उत्पाद शुल्क का अंतर ₹ 12.69 लाख था जो कि ₹ 3.90 लाख के लागू ब्याज (जून 2016 तक गणित) के साथ वसूल किया जाना था।

जब इस बारे में बताया (जुलाई 2016) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2018) और कहा कि निर्धारिती को ₹ 17.54 लाख के लिए एससीएन जारी किया जा चुका है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के लिए कहा गया कि कमिश्नरी के पुनर्गठन के कारण लेखापरीक्षा रिपोर्ट का पता नहीं लगाया जा सका। मंत्रालय ने रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की (अगस्त 2018) जिससे पता चला कि अंतिम आंतरिक लेखापरीक्षा विव12 में संचालित की गई थी।

इस प्रकार मार्च 2012 के बाद कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई जिसके परिणामतः चूक का पता नहीं लग पाया।

(ii) सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 7 इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा क्रेडिट के वितरण के ढंग की व्याख्या इस शर्त के साथ करता है कि एक से अधिक इकाई द्वारा प्रयुक्त सेवा को देय सेवा कर का

क्रेडिट उसकी सभी इकाईयों के कुल बिक्री की संबंधित अवधि के दौरान ऐसी इकाईयों के बिक्री के आधार पर यथानुपात वितरित किया जाएगा।

वड़ोदरा-II कमिश्नरी, डिवीज़न-XI, रेंज-IV की लेखापरीक्षा और एक निर्धारिती के अभिलेखों के अनुवर्ती सत्यापन के दौरान, हमने पाया कि निर्धारिती ने आईएसडी के रूप में अपने मुंबई कार्यालय और मोहाली कार्यालय द्वारा वितरित सामान्य सेवाओं पर देय सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। निर्धारिती के मुंबई मुख्यालय ने विव16 के लिए क्रेडिट के वितरण के लिए विव15 के बिक्री टर्नओवर को शामिल किया निर्धारिती (पनोली इकाई) के लिए जिसका अनुपात 5.74 प्रतिशत रहा। तदनु रूप मोहाली कार्यालय ने निर्धारिती को देय 5.74 प्रतिशत समान क्रेडिट के वितरण के लिए आईएसडी बीजक जारी कर दिए। तथापि, यह पाया गया कि निर्धारिती का वास्तव में 7.71 प्रतिशत सेनवेट क्रेडिट वितरित किया गया। इसके परिणामतः आईएसडी द्वारा क्रेडिट का गलत वितरण हुआ और इसके साथ-साथ निर्धारिती द्वारा ₹ 59.56 लाख का अधिक क्रेडिट प्राप्त किया गया जिसकी निर्धारिती से वसूली की जानी थी।

यद्यपि दिसम्बर 2016 तक की अवधि को शामिल करते हुए विभाग द्वारा निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी, हमारे अत्याधिक अनुसरण के बावजूद भी, आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण उपलब्ध नहीं कराये गए। यद्यपि, पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार इसे कार्यकारी कमिश्नरी में उपलब्ध होना चाहिए।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2017) मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) और सूचित किया कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया जा चुका था। आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण उपलब्ध न किए जाने के लिए यह कहा गया कि जनवरी से मई 2017 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की गई थी और जून 2017 में आयोजित एमसीएम में पैरा अनुमोदित किया गया था तथा एमसीएम का कार्यवृत्त कार्यकारी कमिश्नरी के साथ साझा किया गया।

इयके बाद भी यह तथ्य शेष रहता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके कारण आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6.5 प्रतिदाय दावों का निपटान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी दावे और प्रतिदाय प्रदान करने के लिए विधिक प्राधिकार प्रदान करती है। प्रतिदाय शब्द में विदेशों में निर्यातित उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं पर छूट के साथ-साथ विदेशों में निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क में छूट शामिल है। इसमें अतिरिक्त धारा 11बीबी यह व्याख्या करती है कि यदि प्रतिदाय राशि का भुगतान प्रतिदाय के आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर नहीं किया गया है तो उस पर ब्याज का भुगतान भी किया जाना चाहिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल यह निर्धारित करती है कि विभाग को प्रतिदाय दावे तभी स्वीकार करने चाहिए जब वह सभी सहायक दस्तावेज उसके साथ संलग्न हो क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों के बिना प्रतिदायों की स्वीकृति में विलम्ब हो सकता है।

तालिका 6.3 विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति दर्शाती है। दर्शाया गया विलम्ब प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दावे के अंतिम प्रसंस्करण तक लिये गये समय को दर्शाता है।

तालिका 6.3: उत्पाद शुल्क में प्रतिदाय दावों का निपटान

वर्ष	आरंभिक शेष		प्राप्तियां (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)				3 माह के निपटारे गए मामलों की सं.	मामले जिन में ब्याज का भुगतान किया गया	
					स्वीकृत प्रतिदाय		अस्वीकृत प्रतिदाय				
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
विव16	82,146	7,878	3,36,614	27,829	3,65,485	27,593	7,577	1,763	3,24,340	3	0.01
विव17	45,719	6,356	3,18,462	27,903	3,13,487	25,874	6,471	2,342	17,957	3	0.09
विव18	44,223	6,042	42,886	8,348	37,602	6,638	4,018	3,114	38,694	25	1.16

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह पाया गया कि विव18 के दौरान प्रतिदाय दावों के नए मामलों की संख्या काफी कम हुई। तथापि, विव18 के दौरान विभाग ने 87,109 मामलों में से केवल 41,620 मामलों का निपटान किया। विव17 में तीन मामलों में ₹ 9 लाख की तुलना में विभाग ने विव18 में 25 मामलों में ₹ 1.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 6.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिदाय दावों के विलम्ब का वर्ष-वार विश्लेषण को दर्शाती है।

तालिका 6.4: 31 मार्च को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय मामलों का वर्ष वार विलम्बन (₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लंबित प्रतिदाय दावों की कुल सं.		प्रतिदाय दावे लंबित			
			एक वर्ष से कम		एक वर्ष से अधिक	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
विव16	45,719	6,356	45,592	6,273	127	83
विव17	44,223	6,042	44,211	6,039	12	3
विव18	9,140	1,772	9,119	1,593	21	179

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

विव18 के अंत शेष के आंकड़ें सत्य प्रतीत नहीं होते हैं। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सही आंकड़े आरंभिक शेष जमा नए प्रतिदाय मामले घटा कुल निपटान की गणना करके 45,489 मामले होने चाहिए लेकिन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े 9,140 मामले हैं। मंत्रालय इस विसंगति के कारणों की जांच की जानी चाहिए।

6.6 कॉल बुक

बोर्ड के परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स.3, दिनांक 14 दिसम्बर 1995 के साथ पठित परिपत्र सं. 992/16/2014-सीएक्स दिनांक 26 दिसम्बर 2014 और 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 08 अप्रैल 2016 यह परिकल्पित करते हैं कि विभाग के अपील, न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदि के कारण जिन मामलों में निर्णय नहीं लिया जाता ऐसे मामलों को कॉल बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। सदस्य (सीएक्स) द्वारा उनके अ.शा. प.सं. 101/2/2003-सीएक्स दिनांक 3 जनवरी 2005 के माध्यम से इस बात पर जोर दिया गया कि कॉल बुक

मामलों की समीक्षा प्रति माह की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2005 में मासिक समीक्षा की आवश्यकता को यह कहते हुए दोहराया कि कॉल बुक की समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट मांगों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। तालिका 6.5 हाल ही के वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक निपटान के संबंध में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाती है।

तालिका 6.5: 31 मार्च को लंबित कॉल बुक मामले

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में अंतरित मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अंत में अंतः शेष (सं.)	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत में विलम्बन का वर्ष-वार ब्यौरा			
						6 माह से कम	6-12 माह	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
विव16	36,587	7,437	7,994	36,030	64,260	5,157	2,479	6,262	22,132
विव17	36,030	13,418	19,768	29,682	58,648	5,601	2,457	4,244	17,380
विव18	29,682	9,196	10,460	25,649	62,483	4,951	1,789	3,901	15,008

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह पाया गया कि विव18 में कॉल बुक में लंबित मामलों की संख्या 25,649 थी जिसमें 62,483 करोड़ का राजस्व शामिल था। इनमें से, 15,008 मामले दो वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। विव18 के अंत शेष के आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते हैं। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सही आंकड़े आरंभ शेष जमा नई कॉल बुक घटा कुल निपटान की गणना करके 28,418 होने चाहिए, लेकिन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा 25,649 का है। मंत्रालय द्वारा इस विसंगति के कारणों की जांच की जानी चाहिए।

कॉल बुक से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि छह कमिश्नरियों⁵⁹ और पांच डिवीज़नों⁶⁰ के कॉल बुक मामलों की समीक्षा नहीं की गई थी। मुंबई ज़ोन और तीन डिवीज़नों⁶¹ में ₹ 284.64 करोड़ के राजस्व के मामले कॉल बुक अनियमित रूप से लंबित थे। पुणे एसटी कमिश्नरी की

59 बेलगाम, भरुच, दमन, कच्छ, मुंबई पश्चिम और वडोदरा-I

60 तिरुनेलवेली, डिवीजन I और तूतीकोरिन (सलेम), डिवीजन I (वडोदरा) और डिवीजन V (भरुच)

61 डिवीजन I (बेंगलुरु एसटी-I), उडुपी (मैंगलोर) और डिवीजन XII (दमन)

डिवीज़न III में, कॉल बुक रजिस्टर का रखरखाव निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया था और उसमें प्रविष्टियां नहीं की गई थी। मासिक सार भी तैयार नहीं किया गया था और कोई समीक्षा संचालित नहीं की गई थी। अहमदाबाद कमिश्नरी की डिवीज़न IV में 31 मार्च 2017 तक कॉल बुक में कुल 71 मामले लंबित थे। तथापि, कॉल बुक रजिस्टर में केवल 30 मामलों की प्रविष्टि की गई थी।

तीन मामलों का वर्णन निम्नानुसार है:

6.6.1 कॉल बुक में एससीएन को अनियमित रूप से रखना

(i) दमन कमिश्नरी के अम्बरगांव डिवीजन XII में कॉल बुक की जांच के दौरान, हमने पाया कि अक्टूबर 1991 में एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था और सेस्टेट में विभाग द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के आधार पर इसे कॉल बुक में हस्तांतरित किया गया। अक्टूबर 1998 में सेस्टेट द्वारा अधिनिर्णयन प्राधिकारी को मामला वापिस भेज कर पुनर्विचार याचिका का निपटान किया गया। सेस्टेट आदेशों के अनुपालन में मामले को कॉल बुक से वापस ले कर पुनः निपटान किया जाना था। तथापि, हमने पाया कि विभाग केस फाइलों का पता नहीं लगा पाया और एससीएन कॉल बुक 19 वर्षों से अधिक समय के लिए रखा रहा। कॉल बुक से एससीएन निकासित न करने के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में विलम्ब और राजस्व में अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि इसकी समीक्षा आयुक्त द्वारा नहीं की गई थी।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और कहा की आगामी अधिनिर्णय के लिए एससीएन कॉल बुक में से निकाल लिया गया है। केस फाइल ढूंढ ली गई थी और एक माह में इसका निर्णय हो जाएगा।

इस प्रकार, कॉल-बुक की समीक्षा न किये जाने के परिणामस्वरूप कॉल बुक में 19 वर्षों के लिए मामले का अनियमित विलम्ब हुआ। मंत्रालय को कारणों की जांच करने और ऐसी चूकों से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ii) बेलगाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि कॉल बुक में 132 एससीएन लंबित थे। इन में से, हमने 17 मामलों की नमूना जांच की और पाया कि एक निर्धारिती को जारी एससीएन सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड से निर्देशों की आवश्यकता के कारण लंबित था। एक सेवा प्राप्तकर्ता के समाशोधन और अग्रेषण एजेंट (सीएफए) को जनवरी 2012 में ₹ 21.04 लाख की केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग का एससीएन जारी किया गया था। चूंकि मै. टाइटन इंडस्ट्रीज लिमि. के अन्य सीएफए एजेंट को भी समान एससीएन जारी किये गए थे, अतिरिक्त महानिदेशक (डीजीसीईआई), चैन्नई ने सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई याचिका के आधार पर सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु बोर्ड में मामला उठाने के लिए महानिदेशक (डीजीसीईआई), नई दिल्ली को अनुरोध किया। अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगाम कमिश्नरी ने सामान्य प्राधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड के आदेश प्रतिक्षित होने के आधार पर एससीएन कॉल बुक में अंतरित करने का निर्णय लिया। यद्यपि जुलाई 2013 में बोर्ड ने चैन्नई III कमिश्नरी के आयुक्त को सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन फरवरी 2017 में लेखापरीक्षा होने तक सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी को अंतरित करने के लिए एससीएन कॉल बुक से नहीं निकाला गया। कमिश्नरी कॉल बुक में एससीएन के अनियमित रूप से रखे जाने को तदोपरांत की जाने वाली कॉल बुक मामलों की आवधिक समीक्षा के दौरान भी खोज नहीं पाई।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017), मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (जुलाई 2018) और कहा कि अनदेखी के कारण, एससीएन कॉल बुक से सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी को अंतरित नहीं किए जा सके।

(iii) कच्छ (गांधी धाम) कमिश्नरी में बकाया कॉल बुक मामलों की संवीक्षा में पता चला कि एक वर्ष और सात माह से आठ वर्ष और छह माह तक की अवधि के लिए बिना अनुवर्ती कार्यवाही/कार्यवाही के कॉल बुक में दो निर्धारितियों को जारी किए गये ₹ 78.75 लाख की कुल शुल्क राशि के पांच एससीएन लंबित थे जिनका वर्णन निम्नानुसार है:

क. विभाग ने एक निर्धारिती को अपने ओआईए (दिसम्बर 2005) में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत छूट की वसूली के लिए 4 एससीएन जारी किए (जून 2007) क्योंकि विभाग द्वारा समीक्षा आवेदन इकाई (आरएयू), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के समक्ष समीक्षा आवेदन दिया (मार्च 2006) था और एससीएन से कॉल बुक में अंतरित कर दिये गये थे (जनवरी 2008)।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2016) कि कमिश्नरी के पास फाइल किए गये समीक्षा आवेदन की स्थिति पर 10 वर्ष से अधिक समय से कोई जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कमिश्नरी के अभिलेखों में ऐसे कोई दस्तावेज़ नहीं पाए गए जो यह दर्शाते हो कि आरएयू नई दिल्ली से इसकी स्थिति प्राप्त करने के संबंध में प्रयास किए गए हो। यद्यपि कमिश्नरी के 'अधिनिर्णयन अनुभाग' ने कमिश्नरी के 'समीक्षा, सुधार और अपील (आरआरए) अनुभाग' को विभाग द्वारा फाइल किए गए समीक्षा आवेदन की स्थिति पता करने हेतु कई पत्र लिखे। 'अधिनिर्णयन अनुभाग' के अनुरोधों के अननुपालन और 'आरआरए अनुभाग' के अनुवर्ती कार्यवाही न किये जाने के कारण ये एससीएम कॉल बुक में लेखापरीक्षा की तारीख तक लंबित रहे। हमने यह भी पाया कि 'अधिनिर्णयन अनुभाग' ने दो अनुवर्ती कार्यवाही पत्रों के बीच 4 माह से 3 वर्ष से अधिक अवधि के साथ 10 वर्षों में 'आरआरए अनुभाग' के साथ इस मामले पर केवल 5 बार अनुवर्ती कार्यवाहियां की। अंतिम कार्यवाही दिसम्बर 2015 में की गई थी।

विभाग द्वारा अप्रयाप्त प्रयास और कमिश्नरी के विभिन्न अनुभागों में समन्वय की कमी के कारण 8 वर्षों से अधिक अवधि के लिए कॉल-बुक में इन एससीएन का लंबन हुआ।

ख. एक निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ (सितम्बर 2010) जिसे निर्धारिती द्वारा समझौता आयोग में एक आवेदन देने के पश्चात कॉल-बुक में अंतरित कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता आयोग द्वारा अंतिम आदेश (नवम्बर 2014) की सूचना प्राप्त करने बाद (नवम्बर 2014) कमिश्नरी

ने निर्धारिती को आयोग द्वारा लगाई गई शास्ति का भुगतान करने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2014)¹ तथापि, हमने पाया कि यद्यपि निर्धारिती ने उक्त शास्ति राशि के भुगतान का विवरण उपलब्ध कराया (दिसम्बर 2014), कमिश्नरी ने मामले को कॉल बुक से निकालने और एससीएन का निपटान करने के लिए जुलाई 2016 तक कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की।

जब हमने इस बारे में बताया (जुलाई 2016) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2018) और कहा कि कॉल बुक मामले को निकालने में हुआ विलम्ब कमिश्नरी के विभाजन और फाइलों के हस्तांतरण के कारण हुआ। मामले कॉल बुक से निकाले जा चुके हैं और तदनु रूप उनका निपटान किया जा चुका है।

मंत्रालय को कॉल बुक मामलों की समीक्षा की समुचित निगरानी और क्षेत्रीय-संरचनाओं द्वारा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

6.7 एससीएन तथा अधिनिर्णयन

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 धारा 11ए(4) यह व्याख्या करती है कि इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों या उसके अंतर्गत नियमों के उल्लंघन द्वारा शुल्क के भुगतान से बचने के प्रयोजन से शुल्क के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति द्वारा जहां कोई उत्पाद शुल्क लगाया या भुगतान नहीं गया है या कम लगाया गया या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय या धोखाधड़ी या मिली भगत या जानबूझ कर गलत विवरण द्वारा या तथ्यों को दबाया गया हो तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी संबंधित तिथि से पांच वर्षों के भीतर ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देगा कि उसके द्वारा धारा 11ए के अंतर्गत देय ब्याज के साथ नोटिस में निर्दिष्ट राशि और नोटिस में निर्दिष्ट शुल्क के बराबर शास्ति का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

अधिनिर्णयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारिती की कर देयता संबंधी मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य विषयों के साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, पुनःभुगतान दावे, अल्पकालीन निर्धारण आदि से संबंधित आयामों पर विचार करना शामिल होता है।

अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 6.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णयन का वर्ष वार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 6.6: विभागीय प्राधिकारियों के साथ अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		प्राप्ति (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)		जमा शेष		लंबन के काल-वार ब्रेकअप		
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	3-6 महीने	6-12 महीने	1 वर्ष से अधिक
विव16	27,674	25,107	46,551	44,599	51,211	40,352	23,014	29,355	14,649	4,728	3,637
विव17	23,014	29,355	55,520	50,219	68,166	59,098	10,347	20,474	6,320	1,934	2,093
विव18	10,347	20,474	28,876	50,513	30,321	53,776	8,534	17,402	5,909	1,424	1,201

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक ₹ 17,402 करोड़ के शुल्क के 8,534 मामले अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे। यह भी पाया गया कि 1,201 मामले एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित थे। अंत शेष के आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते हैं और उनके मिलान की आवश्यकता है। मंत्रालय लंबित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए उपाय आरंभ करें क्योंकि जीएसटी के लागूकरण के पश्चात पुराने मामलों में अधिनिर्णय का लंबन, प्राथमिकता खो सकता है।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने तीन कमिश्नरियों में तीन मामले पाये (परिशिष्ट-III के भाग एफ में शामिल) जहां एससीएन जारी करने में चूक पायी गई। मंत्रालय ने किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है। दो मामलों का वर्णन निम्नानुसार है:

6.7.1 एससीएन जारी न किए जाने से मांग का समय बाधित हो जाना

हल्दिया कमिश्नरी के अंतर्गत हल्दिया-II डिवीज़न की रेंज-III की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि विभाग ने एक निर्धारिती को विभिन्न प्रक्रियाएँ जैसे कि पैकिंग/रिपैकिंग, लेबलों की छपाई आदि करने के लिए ठेके पर कार्य करने वाले द्वारा प्रस्तुत बिलों पर इन्पुट सेवा क्रेडिट के अनियमित लाभ के संबंध में एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित अवधि का आहवाहन करते हुए मार्च 2014 तक की अवधि की शामिल करते हुए सितम्बर 2015 में

एससीएन जारी किया। यह एससीएन मार्च 2015 में सीएजी आपत्ति के आधार पर जारी किया गया था। निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ठेके पर कार्य करने वाले के साथ करार के अनुसार अप्रैल 2014 से मार्च 2016 तक समान कार्य कर रहा था और यह पाया गया कि अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014 तक की अवधि के दौरान ठेके पर कार्य करने वाले द्वारा प्रस्तुत बिलों पर निर्धारिती ने ₹ 26.80 लाख का इनपुट सेवा क्रेडिट प्राप्त किया। यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा की तारीख तक (दिसम्बर 2016) तक निर्धारिती को मार्च 2014 की अनुवर्ती अवधि को शामिल करते हुए कोई एससीएन जारी नहीं किया गया यद्यपि निर्धारिती पूर्व की भांति ठेके पर कार्य करने वालों द्वारा प्रस्तुत ठेकाकार्य बिलों पर इनपुट सेवा क्रेडिट प्राप्त करता रहा और देय तारीखों पर ई-आर-। विवरणी भी भरता रहा। मार्च 2014 से अनुवर्ती अवधि और लेखापरीक्षा की तारीख (16 नवम्बर 2016) तक एससीएन जारी न किए जाने के परिणामतः अनर्हक सेवा क्रेडिट ₹ 26.80 लाख के राजस्व की हानि हुई क्योंकि अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014 तक की अवधि के लिए एससीएन का जारी किया जाना उपरोक्त वर्णित न्यायिक निर्णय के अनुसार समय बाधित हो गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (दिसम्बर 2016) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और कहा (जुलाई 2018) कि इस मामले पर कई निर्णय हैं और यह माना गया है कि जब किसी ठेके पर कार्य करने वाले/विनिर्माता ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर का भुगतान कर दिया हो जब वह विधि द्वारा कानूनी रूप से देय न हो और प्राप्तकर्ता विनिर्माता द्वारा क्रेडिट प्राप्त किया गया हो, तब शुल्क का भुगतान ही काफी है और अतिरिक्त उत्कृमण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि ठेके पर कार्य करने वाला नियमित रूप से सेवा कर का भुगतान कर रहा था और विभाग द्वारा यह स्वीकार्य था अतः क्रेडिट उत्कृमण की आवश्यकता नहीं थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभियुक्ति शुल्क भुगतान के तकनीकी पहलु पर नहीं वरन् अनुवर्ती अवधि के लिए एससीएन के जारी न किए जाने पर है जब विभाग द्वारा चूक के लिए एससीएन पहले ही जारी की जा चुकी थी। मंत्रालय का उत्तर एससीएन जारी किए जाने पर और

एससीएन में विलम्ब के कारणों पर तथा चूक के लिए की गई कार्यवाही पर मौन है।

6.7.2 शुल्क लगाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए यह प्रावधान करती है कि कारण बताओं नोटिस सामान्य प्रक्रिया में एक वर्ष के भीतर और शुल्क से बचने के लिए धोखाधड़ी, मिलीभगत, ऐच्छिक गलत विवरण, तथ्यों को दबाना आदि के मामलों में संबंधित तिथि से पांच वर्षों की अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जोन, चंडीगढ़ के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि एक निर्धारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय शीर्ष 96091000 के अंतर्गत पेंसिल विनिर्माण के साथ अध्याय शीर्ष 44219040 के अंतर्गत पेंसिल स्लेट का विनिर्माण भी कर रही था और यह 2003 से बिना केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान के निष्पादित किया जा रहा था। तदनुसार, निर्धारित को ₹ 1.17 करोड़ राशि के दो कारण बताओं नोटिस जारी किये गये।

नोटिस प्राप्तकर्ता ने उत्तर दिया कि दिनांक 06 फरवरी 2014 का विवादित एससीएन 1 दिसम्बर 2009 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित है जो कि समय सीमा द्वारा समय बाधित हो गया था, जैसा कि नोटिस प्राप्तकर्ता ने विभाग को सूचित किया (फरवरी 2010) कि वह इन तथ्यों के मद्देनजर कि पेंसिल स्लेट छूट प्राप्त थे, शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा था और तथ्यों का कथित रूप से दबाने का आरोप और विस्तारित अवधि धारणीय नहीं था। नोटिस प्राप्तकर्ता के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई को ध्यान में रखते हुए, अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 19 मार्च 2015 में एससीएन के लिए निर्णय देते हुए यह टिप्पणी दी कि यह विभाग की जानकारी में था (फरवरी 2010) अतः शुल्क भुगतान से बचने की इच्छा से तथ्यों को दबाना या गलत विवरण देने का आरोप नोटिस प्राप्तकर्ता पर नहीं लगाया जा सकता। इस स्थिति को देखते हुए, सीमा की विस्तारित अवधि की मांग न्यायोचित नहीं थी। तथापि, निर्धारित मांग की अवधि अर्थात् एक वर्ष

के लिए ब्याज सहित शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी था। अतः, जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013 की अवधि हेतु ₹ 1.17 करोड़ की मांग में से केवल ₹ 28.45 लाख की मांग की पुष्टि हुई तथा ₹ 88.64 लाख की मांग एक वर्ष से आगे की मांग होने के कारण रद्द कर दी गई। चूँकि, विभाग इस बात का निश्चय, कि वह मद शुल्क योग्य है, करने के लिए समयानुसार कार्यवाही करने में विफल रहा इसलिए विभाग ₹ 88.64 लाख की वसूली में असफल रहा। यदि विभाग वर्तमान कानून के अनुसार समय सीमा के अंतर्गत मांग प्रस्तुत करने में सतर्क रहता तो, सरकारी खज़ाने को ₹ 88.64 लाख की हानि से बचाया जा सकता था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2017), विभाग ने आपत्ति को यह कहते हुए अस्वीकार किया (अगस्त 2018) कि विभाग का विचार था कि पेंसिल स्लेट की प्रक्रिया विनिर्माण की न होने के कारण शुल्क योग्य नहीं है। अन्य राज्यों में भी पेंसिल स्लेट की शुल्कयोग्यता के मामले में भिन्न-भिन्न व्यवहार मौजूद हैं। इसलिए, इस मामले में विस्तारित अवधि लागू नहीं की जा सकी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फरवरी 2010 में निर्धारिती द्वारा यह सूचित किए जाने के बावजूद भी पेंसिल स्लेट छूट प्राप्त होने के कारण वह शुल्क का भुगतान नहीं कर रहा है, विभाग द्वारा पेंसिल स्लेट की शुल्क योग्यता की कोई जांच नहीं की गई। मंत्रालय का उत्तर यह भी दर्शाता है कि इस मामले पर देश भर में भिन्न-भिन्न व्यवहार किए जा रहे हैं। तथापि, इस संदिग्धता को स्पष्ट करने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी भी नहीं दी गई है। यह तथ्य फिर भी रह जाता है कि उत्पादों की शुल्कयोग्यता के संबंध में निर्धारिती के दावों की अनुचित जांच के कारण मांग जारी करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई और राजस्व समय बाधित हो गया।

6.8 अन्य चूकें

हमें ₹ 1.41 करोड़ के राजस्व की तीन आपत्तियां पाईं जो क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यों (परिशिष्ट-III की धारा छ) में कमियां दर्शाती हैं। मंत्रालय ने दो आपत्तियों को स्वीकार/आंशिक स्वीकार किया जबकि एक आपत्ति स्वीकार नहीं की गई। दो मामलों का वर्णन निम्नानुसार है:

6.8.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन मामले में कार्यवाही आरंभ न करना और परिणामतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पंजीकरण और भुगतान न किया जाना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो शुल्कयोग्य वस्तुओं का विनिर्माण करता है, पंजीकृत होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 9 यथा संशोधित के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माण करता है उसे नियम 8 उपलब्ध ऐसी वस्तुओं पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा और शुल्क योग्य वस्तुएँ जिन पर शुल्क देय है उन्हें शुल्क का भुगतान किए बिना उस जगह से निकासित नहीं किया जाएगा, जहां उनका विनिर्माण हुआ है। नियम 6 यह व्याख्या करता है कि केवल सिगरेट के मामले को छोड़कर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर देय शुल्क का निर्धारण निर्धारिती स्वयं करेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क संवीक्षा मैनुअल यह उपलब्ध करती है कि अन्य बातों के साथ विवरणी की संवीक्षा, लेखापरीक्षा और कर अपवंचन रोकना, कर प्रशासन के स्व-निर्धारण व्यवस्था में अनुपालन जांच प्रक्रिया की तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। रोकथाम और अन्वेषण मैनुअल मह व्याख्या करता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कमिश्नरी की रोकथाम शाखा को चोरी के संबंध के जानकारी रखना एकल निर्धारितियों के शुल्क भुगतान अभिलेखों की गोपनीय जानकारी रखना, फैक्ट्रियों में औचक निरीक्षण, चाहे पंजीकृत है या नहीं और शुल्क चोरी को रोकने के किसी प्रयास को विफल करने के लिए प्रभावी कदम उठाकर शुल्क चोरी से मुकाबला करने के उपाय करने होंगे।

कोच्चि कमिश्नरी की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सेवा कर के अपवंचन के संबंध में त्रिवेंद्रम कमिश्नरी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कोच्चि कमिश्नरी ने एक निर्धारिती के विरुद्ध मामला दर्ज किया और नोटिस जारी किए (अगस्त 2016)। सत्व द्वारा प्रस्तुत सेवा कर चोरी को सिद्ध करने वाले दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात एससीएन जारी करके कार्यवाही पूर्ण की गई (जनवरी 2017)।

तथापि, जांच के दौरान विभाग यह देखने में विफल रहा कि इकाई केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 48 और 49 में वर्गीकृत उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, लेजर पुस्तके, कैश बुक, डायरियां, फाईल फोल्डर आदि का विनिर्माण भी कर रही थी। इकाई केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण लिए और शुल्क का भुगतान किए बिना, 1978 से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का विनिर्माण और स्थानान्तरण कर रही थी। विव13 से विव15 की अवधि के दौरान, ₹ 3.66 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य की वस्तुओं की मंजूरी शुल्क के भुगतान के बिना की गयी। विव16 के लिए वस्तुओं के निष्पादन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया और विव17 में ₹ 2.90 करोड़ की निर्धारण योग्य वस्तुओं का निष्पादन किया गया। इसके परिणामतः विव13 से विव15 और विव17 की अवधि के दौरान ₹ 62.76 लाख के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं हुआ। कमिश्नरी न केवल 1978 से विनिर्माण इकाई के पंजीकरण के हेतु कार्यवाही करने में विफल हुई बल्कि त्रिवेंद्रम कमिश्नरी द्वारा दी गई जानकारी पर समुचित संज्ञान लेने और शुल्क के गैर-भुगतान का पता लगाने में भी असफल हुई।

जब हमने इस बारे में बताया (सितम्बर 2017), मंत्रालय में आंशिक रूप से आपत्ति को स्वीकार किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान न किए जाने पर, यह कहा गया कि निर्धारिती को ₹ 74.91 लाख का एससीएन जारी किया जा चुका था। विभाग की चूक के लिए, यह बताया गया कि निवारक शाखा ने सेवा कर के अपवंचन का निरीक्षण किया था जिसके लिए एससीएन जनवरी 2017 में जारी किया गया था। संवीक्षा के दौरान प्रिंटिंग सामग्री की प्राप्ति देखी गई थी और विस्तृत अभिलेख मंगाए गए थे। इन अभिलेखों की जांच सीएजी लेखापरीक्षा ने की थी। विस्तृत जांच के पश्चात केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली हेतु एससीएन जारी किया गया था। इसके अलावा निर्धारिती विभाग में पंजीकृत नहीं था, अतः विभागीय अधिकारियों को इकाई के कार्यकलापों की जांच करने का कोई अवसर नहीं मिला।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, चूँकि विभाग द्वारा प्रिंटिंग कार्यकलापों से संबंधित अभिलेख मांगे गए थे और जनवरी 2017 में सेवा कर अपवंचन का निरीक्षण भी किया गया था फिर भी सितम्बर 2017 तक लेखापरीक्षा द्वारा इस बारे में बताए जाने तक विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन हेतु

कार्यवाही करने में विफल रहा। विभाग इस तथ्य का संज्ञान लेने में भी विफल रहा कि निर्धारिती केरल में सबसे बड़ी मल्टी कलर ऑफसेट प्रिंटिंग इकाई थी और 1978 से प्रिंटिंग में संलग्न थी और विभाग में पंजीकृत नहीं थी।


6.8.2 विद्युत प्रभारों पर सरकारी शुल्क के भुगतान के प्रति परिहार्य अधिक व्यय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 287 के अनुसार, जब तक संसद निर्णय न ले, राज्य का कोई कानून विद्युत की खपत या बिक्री (सरकार या अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई) पर, जिसकी खपत भारत सरकार द्वारा की जाती है या उस सरकार द्वारा खपत हेतु भारत सरकार को बेची जाती है, कर लगाने या इसे लगाने को अधिकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, बंगाल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1935 की धारा 3 की उप-धारा 3 के अनुसार, विद्युत शुल्क खपत की गई ऊर्जा के निवल प्रभार पर या आवासीय उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने वाले परिसरों को छोड़कर किसी सरकार द्वारा मीटर में दर्ज खपत की गई ऊर्जा की इकाईयों पर उदगृहीत नहीं किया जाएगा।

कोलकाता-1 कमिश्नरी (वर्तमान में कोलकाता उत्तर कमिश्नरी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (इंडिया) लि. (सीईएससी) द्वारा भेजी गए मासिक विद्युत बिलों में मासिक विद्युत प्रभारों के 17.50 प्रतिशत की दर पर सरकारी शुल्क भी शामिल थे। चूँकि, कमिश्नरी भारत सरकार का कार्यालय है, अतः उन्हें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विद्युत प्रभारों पर राज्य सरकार के शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। कमिश्नरी ने सीईएससी को मार्च 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 51.27 लाख तक परिहार्य शुल्क का भुगतान किया था। बोलपुर कमिश्नरी की दुर्गापुर-1 डिविजन और दुर्गापुर कमिश्नरी (वर्तमान में बोलपुर कमिश्नरी) के मामले में ₹ 12.17 लाख और ₹ 2.26 लाख का समान परिहार्य अधिक व्यय हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.70 लाख तक परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

विव16 के लिए कोलकाता-11 कमिश्नरी की आंतरिक लेखापरीक्षा भी मई 2016 में की गई थी, तथापि चूक का पता नहीं लगाया जा सका।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2017 से अगस्त 2017), तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2018) और बताया कि बोलपुर कमिश्नरी ने विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए और पहले से भुगतान किए गए शुल्क के समायोजन के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि. से अनुरोध किया है।



(सतीश सेठी)

नई दिल्ली

दिनांक: 30 मई 2019

प्रधान निदेशक (वस्तु एवं सेवा कर-11)

प्रतिहस्ताक्षरित



(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली

दिनांक: 31 मई 2019

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

विभागीय चूकों पर अभ्युक्तियों की सूची (सेवा कर)

(संदर्भ: पैराग्राफ: 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10 और 5.11)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
भाग क: कर आधार का विस्तार					
1	111डी	69.00	69.00		बेंगलुरु दक्षिण
2	131डी	0.60	0.60	0.02	कोचीन
भाग ख: विवरणियों की संवीक्षा में विफलता					
3	46डी	1.40	1.40		बेंगलोर एसटी-I
4	14डी	1.11	1.11	1.11	बेंगलोर एसटी II
5	115डी	0.64	0.64		जालंधर
6	47डी	0.58	0.58		बेंगलोर दक्षिण
7	117डी	0.25	0.25	0.25	गुरुग्राम
8	114डी	0.16	0.16	0.16	गुरुग्राम
9	30डी	0.15	0.15	0.15	गांधीनगर
10	18डी	0.13	0.13	0.13	कोलकाता उत्तर
11	25डी	0.12	0.12	0.12	कच्छ
12	53डी	0.48	0.48	0.48	आगरा
13	107डी	10.32	10.32	10.32	बेंगलुरु उत्तर
14	90डी	0.42	0.42	0.3	कच्छ
15	59डी	0.34	0.34	0.34	हैदराबाद
16	88डी	0.15	0.15		कच्छ
17	92डी	1.37	1.37	1.37	वडोदरा-I
18	118डी	0.74	0.74	0.74	लुधियाना
19	110डी	0.39	0.39	0.05	बेंगलुरु उत्तर
20	93डी	0.28	0.28	0.28	सूरत-I
21	119डी	0.22	0.22	0.22	लुधियाना
22	84डी	1.25		1.05	सलेम
23	86डी	0.56	0.56	0.07	चेन्नई उत्तर
24	130डी	0.38		0.09	कोयंबटूर

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
25	121डी	0.35	0.35	0.13	पटना-॥
26	133डी	0.35		0.35	कोचीन
27	108डी	0.31	0.31	0.31	मंगलौर
28	83डी	0.10	0.10		लखनऊ
29	102डी	1.36	1.36		रांची
30	79डी	1.29	1.29	1.29	आगरा
31	81डी	0.27	0.27	0.27	आगरा
32	60डी	2.33	2.33	2.33	पटना-।
33	22डी	0.27	0.27		जयपुर
34	78डी	0.39	0.39		पटना-॥
35	27डी	0.31	0.31	0.31	कच्छ
36	126डी	0.27	0.27	0.27	जयपुर
37	68डी	0.22			पुणे-।
38	80डी	0.17	0.17		पटना-॥
भाग ग: आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यचालन में चूक					
39	31डी	1.89	1.89		कोलकाता उत्तर
40	1डी	1.54	1.54	0.12	सिकंदराबाद
41	138डी	1.32	1.32		कोचीन
42	74डी	0.64	0.64		बेंगलुरु दक्षिण
43	77डी	0.52	0.52	0.52	बेंगलुरु उत्तर
44	4डी	0.41	0.41	0.41	बेंगलोर पूर्व
45	106डी	0.40	0.40		बेंगलुरु पूर्व
46	125डी	0.40	0.40	0.12	जयपुर
47	24डी	0.38	0.38		बेंगलुरु पूर्व
48	134डी	0.34	0.34	0.34	कोचीन
49	2डी	0.33	0.33		उदयपुर
50	94डी	0.23	0.23		बेलगाम
51	10डी	0.15	0.15	0.15	अहमदाबाद उत्तर
52	76डी	0.14	0.14		बेंगलुरु पूर्व
53	20डी	0.13	0.13	0.13	पुणे-।

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
54	127डी	0.13	0.13	0.13	जयपुर
55	3डी	0.17	0.17		तिरुवनंतपुरम
56	12डी	0.12	0.12	0.12	वडोदरा ।
57	5डी	0.10	0.10	0.10	मुंबई पश्चिम
58	123डी	62.91			मुंबई दक्षिण
59	91डी	7.17			वडोदरा-।
60	113डी	2.43			बेंगलुरु उत्तर
61	109डी	1.26	0.52	0.52	बेंगलुरु दक्षिण
62	44डी	1.05			गांधीनगर
63	75डी	0.27	0.27		बेलगाम
64	23डी	0.23		0.23	बेंगलुरु उत्तर
65	17डी	0.21	0.21		कोलकाता उत्तर
66	6डी	0.17	0.17	0.17	कच्छ
67	55डी	0.15		0.15	मुंबई पूर्व
68	136डी	0.11	0.11	0.11	कोचीन
69	38डी	1.74	1.74	1.74	पुणे-।
70	96डी	1.16	1.16	1.16	हैदराबाद
71	67डी	0.90	0.90		गोवा
72	36डी	0.78	0.78	0.78	मुंबई दक्षिण
73	37डी	0.51	0.51	0.51	पुणे-।
74	65डी	0.51	0.51		गोवा
75	35डी	0.34	0.34	0.34	मुंबई दक्षिण
76	71डी	0.31	0.31		रायपुर
77	100डी	0.25	0.25		हैदराबाद
78	98डी	0.24	0.24		हैदराबाद
79	104डी	0.23	0.23	0.23	दिल्ली पूर्व
80	95डी	0.20	0.20	0.20	सिकंदराबाद
81	39डी	0.19	0.19	0.19	पुणे-।
82	64डी	0.15	0.15	0.15	पुणे-।
83	57डी	0.14	0.14	0.14	पुणे-।

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्तिकृत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
84	101डी	0.13	0.13		हैदराबाद
85	33डी	0.12	0.12	0.12	मुंबई पूर्व
86	103डी	0.12	0.12	0.12	दिल्ली पूर्व
87	63डी	0.11	0.11	0.11	मुंबई दक्षिण
88	34डी	0.10	0.10	0.1	पुणे ॥
89	73डी	0.64	0.64		रायपुर
भाग घ: प्रतिदाय दावों की स्वीकृति में कमियां					
90	45डी	6.05	6.05	6.05	बैंगलोर एसटी ॥
91	48डी	0.41	0.41	0.41	बैंगलोर दक्षिण
भाग ङ: एससीएन में कमियां					
92	61डी	0.56			डिब्रुगढ़
93	52डी	0.22	0.22		डिब्रुगढ़
भाग च: क्षेत्राधिकारी कमिश्नरियों के कार्यचालन में कमियां					
94	132डी	1.66	1.66		कालीकट
95	112डी	0.77	0.77	0.57	बैंगलोर उत्तर
96	51डी	0.44	0.44	0.44	हैदराबाद
97	135डी	0.23	0.23	0.23	इंदौर
98	85डी	0.13	0.13	0.13	चेन्नई दक्षिण
99	99डी	1.69	1.69	1.46	हैदराबाद
100	89डी	0.43	0.43	0.43	अहमदाबाद उत्तर
101	62डी	0.11	0.11	0.11	पुणे-1
102	8डी	0.33	0.33	0.33	अहमदाबाद उत्तर
103	9डी	0.12	0.12	0.12	कच्छ
104	11डी	0.19	0.19		मदुरै
	कुल	206.54	129.10	42.00	

परिशिष्ट II

**निर्धारितियों द्वारा अननुपालन की अभ्युक्तियों की सूची
(सेवा कर)**

(संदर्भ: पैराग्राफ: 5.2)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
सेवा कर का गैर-भुगतान					
1	124डी	1.75	1.75	1.75	मुंबई दक्षिण
2	1बी	1.60	1.60	1.60	अहमदाबाद उत्तर
3	9ए	1.53	1.53		रांची-I
4	54डी	1.20	1.20		पुणे-I
5	16बी	1.12	1.12	1.12	आगरा
6	122डी	0.97	0.97		अहमदाबाद दक्षिण
7	20ए	0.79	0.79		कच्छ
8	10ए	0.52	0.52	0.52	गोवा
9	21डी	0.43	0.43	0.43	रायगढ़
10	4बी	0.32	0.32		कच्छ
11	11बी	0.31	0.31	0.31	सलेम
12	7डी	0.27	0.27	0.27	अहमदाबाद III
13	42डी	0.26	0.26	0.26	गांधीनगर
14	13बी	0.24	0.24		अहमदाबाद उत्तर
15	7ए	0.19	0.19		अहमदाबाद दक्षिण
16	116डी	0.19	0.19		रोहतक
17	15बी	0.17	0.17	0.17	दिल्ली पूर्व
18	14बी	0.16	0.16	0.16	वडोदरा II
19	23ए	0.15	0.15		जबलपुर
20	10बी	0.15	0.15	0.15	चेन्नई बाहरी
21	7बी	0.14	0.14	0.14	जयपुर
22	18बी	0.14	0.14	0.14	चेन्नई दक्षिण
23	25ए	0.13	0.13	0.05	भोपाल

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
24	19बी	0.13	0.13	0.13	सिकंदराबाद
25	15ए	0.11	0.11		हैदराबाद जीएसटी
26	2बी	0.11	0.11	0.11	पुणे ।
27	105डी	0.11	0.11	0.11	दिल्ली दक्षिण
28	12बी	0.10	0.10		अहमदाबाद उत्तर
29	4ए	1.86	1.86		चेन्नई उत्तर
30	22ए	0.65	0.65		उज्जैन
सेवा कर का कम भुगतान					
31	12ए	2.61	2.61		हैदराबाद जीएसटी
32	21ए	1.49	1.49		बेंगलोर पूर्व
33	32डी	1.24	1.24	1.24	मुंबई पश्चिम
34	58डी	0.73	0.73	0.73	पुणे-।
35	3बी	0.44	0.44	0.44	अहमदाबाद उत्तर
36	13ए	0.38	0.38		हैदराबाद जीएसटी
37	14ए	0.15	0.15		हैदराबाद जीएसटी
38	9बी	0.12	0.12	0.12	दिल्ली पूर्व
39	40डी	0.12	0.12	0.12	मुंबई पूर्व
40	3ए	6.12	6.12		चेन्नई उत्तर
41	17ए	5.30	5.30		हैदराबाद जीएसटी
42	16ए	9.66	9.66		हैदराबाद जीएसटी
43	5ए	0.49	0.49		चेन्नई उत्तर
सेनवेट क्रेडिट का अनियमित प्राप्ति/उपयोग					
44	18ए	1.73	1.73		गुरुग्राम
45	43डी	0.94	0.94		कच्छ
46	11ए	0.42	0.42	0.42	दिल्ली उत्तर
47	69डी	0.31	0.31	0.31	मुंबई पूर्व
48	1ए	0.29	0.29		हैदराबाद जीएसटी
49	5बी	0.26	0.26		उदयपुर
50	41डी	0.22	0.22		मुंबई पूर्व

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
51	26डी	0.19	0.19	0.19	जयपुर
52	29डी	0.15	0.15	0.15	कोलकाता एसटी ॥
53	28डी	0.12	0.12		जयपुर
54	6बी	0.11	0.11	0.11	पुणे-1
55	8बी	0.10	0.10	0.10	दिल्ली पूर्व
56	19ए	0.64	0.64		लखनऊ
57	2ए	0.38	0.38		कोलकाता उत्तर
ब्याज का गैर भुगतान					
58	70डी	0.29	0.29	0.29	मुंबई पूर्व
59	15डी	0.28	0.28		दुर्गापुर
60	97डी	0.17	0.17		हैदराबाद
61	20बी	0.11	0.11	0.11	इंदौर
62	6ए	0.43	0.43		चेन्नई उत्तर
63	8ए	0.21	0.21		सिकंदराबाद
	कुल	52.00	52.00	11.75	

परिशिष्ट III

विभागीय चूकों पर अभ्युक्तियों की सूची (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

(संदर्भ: पैराग्राफ 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.7 और 6.8)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
भाग क: विवरणियों की संवीक्षा में विफलता					
1	50डी	2.96	2.96		बोलपुर
2	80डी	0.17	0.17	0.17	रांची
भाग ख: आंतरिक लेखापरीक्षा का गैर-संचालन					
3	8डी	1.16	1.16		बोलपुर
4	26डी	0.32	0.32		कोलकाता उत्तर
5	29डी	0.15	0.15	0.15	रायगढ़
6	52डी	0.21	0.21		दुर्गापुर
7	54डी	0.64	0.64		पटना-II
8	57डी	1.22	1.22		पुणे-I
9	75डी	1.94	1.94		राउरकेला
10	85डी	1.22			रायपुर
11	88डी	0.18			हल्दिया
भाग ग: आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा चूकों का पता न लगाना					
12	2डी	0.54	0.54		दमन
13	4डी	0.15			दमन
14	5डी	0.16			अहमदाबाद उत्तर
15	7डी	0.17	0.17	0.17	बेंगलुरु पश्चिम
16	9डी	0.29			हल्दिया
17	10डी	0.74	0.74		बोलपुर
18	12डी	0.40	0.40		हावड़ा
19	13डी	0.29	0.29		हल्दिया
20	14डी	0.60	0.60		कोलकाता II
21	15डी	0.04			मेडचाल
22	18डी	0.24	0.24		उदयपुर
23	20डी	0.15	0.15	0.15	चेन्नई बाहरी
24	21डी	0.29	0.00		उदयपुर
25	22डी	9.47	9.47		उदयपुर
26	23डी	0.55	0.55	0.55	बेंगलुरु उत्तर पश्चिम

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
27	24डी	1.38	1.38		मदुरै
28	25डी	1.19	1.19		कोच्चि
29	30डी	0.30	0.30	0.30	पुणे-I
30	31डी	0.98	0.98		वडोदरा II
31	33डी	0.35	0.35		राजकोट
32	34डी	0.45	0.45	0.45	कच्छ
33	36डी	0.22	0.15	0.15	बेलगाम
34	39डी	0.26	0.26		बेलागावी
35	40डी	1.80			बेलागावी
36	41डी	1.17	1.17		मदुरै
37	44डी	0.73			भुवनेश्वर
38	46डी	0.26	0.26	0.26	रंगारेड्डी
39	47डी	1.21	1.21		मेडचाल
40	49डी	0.86			तिरुपति
41	51डी	0.36			कोलकाता I
42	53डी	0.16	0.16		बोलपुर
43	56डी	0.23	0.23		पुणे-II
44	59डी	0.29	0.29		रायगढ़
45	63डी	0.50		0.02	दमन
46	71डी	0.27	0.27	0.27	गुरुग्राम-I
47	74डी	0.58			राउरकेला
48	76डी	0.20	0.20		कोलकाता IV
49	77डी	0.15			हल्दिया
50	79डी	0.19	0.19		रांची
51	84डी	0.15	0.15		रायगढ़
52	87डी	1.47	0.31		पुणे-I
53	90डी	0.74	0.74	0.74	पुणे-I
54	91डी	0.85			नागपुर I
भाग घ: मामले जहां आंतरिक लेखापरीक्षा सूचना मुहैया नहीं कराई गई					
55	62डी	0.22	0.22	0.22	कच्छ
56	64डी	0.60	0.60		वडोदरा II
57	65डी	0.23	0.23		वडोदरा II
58	66डी	0.18	0.18		गांधीनगर
59	73डी	0.25	0.25		राउरकेला

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
भाग ड़: एससीएन को समय पर जारी करने में विफलता					
60	6डी	एनएमवी	एनएमवी	एनएमवी	बेलगाम
61	67डी	एनएमवी	एनएमवी	एनएमवी	कच्छ
भाग च: कॉल बुक मामले की अप्रभावी निगरानी					
62	19डी	0.27			हल्दिया
63	69डी	0.89			चंडीगढ़ ॥ जोन
64	86डी	0.06	0.06		रायगढ़
भाग छ: अन्य मामले					
65	11डी	0.66	0.66		कोलकाता उत्तर और बोलपुर
66	42डी	0.75	0.75		कोच्चि
67	35डी	एनएमवी	एनएमवी	एनएमवी	वडोदरा-॥
	कुल	45.65	35.10	3.60	

परिशिष्ट IV

**निर्धारितियों द्वारा अननुपालन की अभ्युक्तियों की सूची
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
(संदर्भ: पैराग्राफ 6.2)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर/कम भुगतान					
1	5ए	0.23	0.23		जबलपुर
2	6बी	0.21	0.21	0.21	जयपुर
3	3डी	0.49	0.49		वडोदरा II
4	37डी	108.66	108.66		बेंगलुरु एलटीयू
5	48डी	0.38	0.38	0.38	गुंटूर
6	58डी	0.95	0.95		गोवा
7	60डी	3.87	3.87		शिलांग
8	68डी	0.34	0.34	0.13	जयपुर
9	83डी	0.96	0.96		जबलपुर
सेनवेट क्रेडिट का अनियमित प्राप्ति/उपयोग					
10	1ए	2.20	2.20	2.20	रायगढ़
11	2ए	2.37	2.37	2.37	रायगढ़
12	3ए	2.19	2.19	2.19	रायगढ़
13	4ए	0.21	0.21		लुधियाना
14	6ए	0.24	0.24		पटना-I
15	7ए	1.30			रायगढ़
16	1बी	0.22	0.22	0.22	अहमदाबाद उत्तर
17	2बी	0.86	0.86		त्रिची
18	3बी	0.17	0.17	0.17	चेन्नई आउटर
19	4बी	0.18	0.18	0.18	बेलापुर
20	5बी	0.36	0.36		कच्छ
21	1डी	0.37	0.37	0.37	कच्छ
22	16डी	1.16	1.16	1.16	रायगढ़
23	17डी	0.26	0.26		कच्छ

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

क्र. सं.	डीएपी सं.	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	कमिश्नरी का नाम
24	27डी	0.62	0.62		पुणे-॥
25	28डी	0.55	0.55	0.55	पुणे-।
26	61डी	0.32	0.32		दमन
	कुल	129.65	128.35	10.13	

शब्दावली

एसी	सहायक आयुक्त
एसीईएस	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर स्वचालन
एडीजी	अपर महानिदेशक
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एटीएन	की गई कार्यवाही टिप्पणी
बीएस	व्यवसाय सहायक सेवा
बीई	बजट आकलन
बीआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बोर्ड	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सीएपी	कंप्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा कार्यक्रम
सीएटी	कंप्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीक
सीएस	केंद्रीय एजेंसी अनुभाग
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सीसी	मुख्य आयुक्त
सीडीआर	कमिश्नरी डिवीजन और रेंज
सीडीआर	मुख्य विभागीय प्रतिनिधि
सीई/सीएक्स	केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सीईएसटीएएम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर लेखापरीक्षा नियमपुस्तक
सेनवेट	केंद्रीय मूल्य संवर्द्धित कर
सेस्टेट	सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीएफए	निकासी एवं अग्रेषण एजेंट
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

सीएमए	सिविल विविध अपील
सीएनजी	सम्पीडित प्राकृतिक गैस
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटीसी	वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग
सीटीएफ	केंद्रीयकृत कार्यबल
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीडीएम	आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीजीए	महानिदेशक लेखापरीक्षा
डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
डीजीएसटी	महानिदेशक सेवाकर
डीएलए	विधि मामले निदेशालय
डीजी जीएसटी	महानिदेशक वस्तु एवं सेवाकर
डीओआर	राजस्व विभाग
डीजीपीएम	महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन
डीपीसी	कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम
डीएनपी	उपलब्ध न कराये गये आंकड़े
डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र
एफएआर	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवाकर
आईएपी	आंतरिक लेखापरीक्षा दल
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआर	आय कर विवरणी
एलएआर	स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एमसीएम	निगरानी समिति बैठक
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमपीआर	मासिक निष्पादन रिपोर्ट
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनएफएस	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
एनएमवी	गैर मुद्रा मूल्य
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनटी	गैर-शुल्क
ओआईए	अपीलीय आदेश
ओआईओ	मूल आदेश
ओएल	आधिकारिक परिसमापक
पीएओ	वेतन एवं लेखा अधिकारी
पीडी	प्रधान निदेशक
पीआर. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
पीएंडएल	लाभ एवं हानि
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएलए	व्यक्तिक बही लेखे
क्यूएआर	गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट
आरए	संशोधन आवेदन
आरएनसी	समीक्षा एवं सुधार

2019 का प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)

आरई	संशोधित आकलन
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक जोन
एसटी	सेवाकर
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवाकर
टीएआर	कर बकाया रिपोर्ट/वसूली
यूटीजीएसटी	संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवाकर
वैट	मूल्य संवर्धित कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in